बिहार सामान्य भविष्य-निधि नियमावली, 1948

सं॰ 10757-वि॰ दिनांक 16 अगस्त, 1948/- भारत (औपबंधिक संविधान) आदेश, 1947, द्वारा यथा अंगीकृत, भारत का शासन अधिनियम, 1935 की धारा 241 की उपधारा (2) के खंड (बी) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, बिहार, प्रान्तीय सरकार के नियमविधायी नियंत्रण के अधीन सरकारी सेवकों के लिए बिहार सामान्य भविष्य-निधि से सम्बन्धित सभी पूर्ववर्ती नियमों को अवक्रमित करते हुए निम्नांकित नियम निर्मित करते हैं।

संक्षिप्त नाम और परिभाषा

1. (क) इन नियमों को "बिहार सामान्य भविष्य-निधि नियमावली, 1948" कहा जाएगा।

(ख) यह 1 अक्तूबर, 1948 से लागू होगी।

2. इन नियमों में–

[1][(क) "लेखा पदाधिकारी" से अभिप्रेत है निधि अनुभाग का प्रभारी शाखा पदाधिकारी।

(ख) "परिलब्धियां" अन्यथा अभिव्यक्त उपबन्धित के सिवा परिलब्धियों से अभिप्रेत है बिहार सेवा में यथा परिभाषित वेतन, छुट्टी वेतन या जीवन-निर्वाह अनुदान और इसमें विनिमय की ऐसी दर पर परिवर्तित स्तर लिंग समुद्र पार (sterling overseas) वेतन जो इस निमित्त प्रांतीय सरकार विहित करे और इसमें विदेश-सेवा से सम्बन्धित प्राप्त वेतन के स्वरूप का पारिश्रमिक भी शामिल होगा।

(ग) "परिवार" से अभिप्रेत है:–

(i) पुरुष अभिदाता की स्थिति में, अभिदाता की पत्नी या पत्नियां और संतान; और अभिदाता के मृत पुत्र की विधवा या विधवाएं और संतान:

परंतु यह कि यदि अभिदाता साबित कर दे कि उसकी पत्नी उससे न्यायिक रूप से अलग हो गई है या उस सम्प्रदाय की रूढ़िगत विधि (customary law) के तहत, जिसका वह सदस्य है, भरण-पोषण का हकदार नहीं रही, तो वह उन विषयों में, जिनसे इस नियमावली का सम्बन्ध है, उस वक्त से अभिदाता के परिवार की सदस्य कदापि नहीं समझी जाएगी जबतक उक्त अभिदाता लेखा पदाधिकारी को लिखित अभिव्यक्त अधिसूचना द्वारा बाद में यह नहीं बताए कि उसे उस तरह माना जाना जारी रखा जाए;

(ii) महिला अभिदाता की स्थिति में, अभिदाता का पति और संतान, और अभिदाता के मृत पुत्र की विधवा या विधवाएं और संतान:

परंतु यह कि यदि अभिदाता, लेखा पदाधिकारी को लिखित अधिसूचना के द्वारा, अपने पति को अपने परिवार में नहीं शामिल करने की अपनी इच्छा प्रगट करेगी तो पति उन विषयों में, जिनसे इस नियमावली का सम्बन्ध है उस वक्त से अभिदाता के परिवार का सदस्य कदापि नहीं समझा जाएगा जबतक वह बाद में उसे नहीं शामिल करने की अपनी अधिसूचना लिखित में औपचारिक रूप से निरस्त नहीं करेगी।

टिप्पणी 1- "संतान" से अभिप्रेत है वैध संतान।

1. शुद्धि पत्र सं॰ 9 दि॰ 30.5.1967 द्वारा प्रतिस्थापित।

टिप्पणी 2- दत्तक संतान एक संतान समझी जाएगी जब लेखा पदाधिकारी, या यदि लेखा पदाधिकारी के मन में संदेह उत्पन्न हो तो विधि-कार्य अधीक्षक और परामर्शी, बिहार, का समाधान हो जाय कि अभिदाता की स्वीय विधि के तहत दत्तक-ग्रहण प्राकृतिक संतान की हैसियत प्रदान करने जैसा विधितः मान्यता प्राप्त है, किंतु ऐसा केवल इस मामला में होगा।

जब व्यक्ति अपनी संतान को अन्य व्यक्ति को गोद (adoption) दे देगा और यदि गोद लेनेवाले व्यक्ति की स्वीय विधि के तहत गोद लेना प्राकृतिक संतान की हैसियत प्रदान करने जैसा विधितः मान्यता प्राप्त होगा तब वैसी संतान, भविष्य-निधि नियमावली के प्रयोजनों के लिए, प्राकृतिक पिता के परिवार में नहीं शामिल मान्य जाएगा।

(घ) "निधि" से अभिप्रेत है बिहार सामान्य भविष्य-निधि।

(ङ) "छुट्टी" से अभिप्रेत है बिहार सेवा संहिता द्वारा मान्यता प्राप्त किसी प्रकार की छुट्टी।

(च) "वर्ष" से अभिप्रेत है वित्तीय-वर्ष।

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त कोई अन्य अभिव्यक्ति, जो भविष्य-निधि अधिनियम (1925 का 19) में या बिहार सेवा संहिता में परिभाषित है, तदस्मिन् परिभाषित मायने में ही प्रयुक्त हुई मानी जाएगी।

(3) इस नियमावली की किसी बात का प्रभाव अबतक अस्तित्व में रही सामान्य भविष्य-निधि के अस्तित्व का अंत या कोई नई निधि का गठन नहीं समझा जाएगा।

[**नियम 2 (ख) की समीक्षा:**–सामान्य भविष्य निधि के प्रयोजन के लिए परिलब्धियों में भत्तों को नहीं शामिल किया जाएगा। उदाहरणार्थ, यदि किसी व्यक्ति को कुल परिलब्धियां 108 रू॰ हो, अर्थात् उसका वेतन 75 रू॰, जीवन यापन भत्ता 20 रू॰ और मकान किराया भत्ता 13 रू॰ हो, तो उसका वेतन 75 रू॰ मात्र सामान्य भविष्य निधि के अंतर्गत माना जाएगा। परिलब्धियों में मकान किराया–भत्ता या स्थायी यात्रा भत्ता नहीं शामिल होगा।]

निधि का गठन

3. निधि का संधारण रूपयों में होगा।

[1][**4.** स्थायी पेंशनप्रदायी और गैरपेंशनप्रदायी सेवा के (परिवीक्षाधीन समेत) सभी सरकारी सेवकों और उन अस्थायी सरकारी सेवकों को (सभी पुनर्नियुक्त पेंशनधारकों समेत), जिन्होंने एक वर्ष सेवा पूरी कर ली हो और जिनकी सेवा-शर्तों के निर्धारण करने के लिए राज्य सरकार सक्षम हो, न्यूनतम अभिदान करना आवश्यक होगा। सभी सरकारी सेवकों को छुट्टी, प्रतिनियुक्ति और विदेश-सेवा के दौरान न्यूनतम निर्धारित दर से अभिदान करना होगा।]

[2][* * * * *]

टिप्पणी 1—[3][* * *]

टिप्पणी 2— अभिदाता जिस महीना में निधि में सम्मिलित होगा उसके आगामी महीना की 1 ली तारीख से अभिदान करना आरंभ कर सकेगा, लेकिन महीना के बीच में नई नियुक्ति की स्थिति में अभिदान नियुक्ति की तारीख से आरंभ हो सकेगा, अभिदान की राशि उस महीना में कार्यस्थ दिनों की संख्या के अनुपात में होगी बकाया अभिदान स्वीकार्य नहीं होगा।

राज्य सरकार की अधिसूचना:

भारत के संविधान का अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, बिहार, बिहार भविष्य-निधि नियमावली, 1948, में निम्नांकित संशोधन करते हैं, अर्थात् :–

1. ज्ञाप सं॰ 4967 वि॰ दिनांक 18.5.1993 (1.4.1983 के प्रभाव से) द्वारा प्रतिस्थापित। (सम्बन्धित अधिसूचना का पूर्ण पाठ नियम 4 के अन्त में देखें)
2. शुद्धि पत्र सं॰ 1 दि॰ 6.5.1949 द्वारा "व्याख्या" विलुप्त।
3. "टिप्पणी 1" ज्ञाप सं॰ 4967 वि॰ दि॰ 18.5.1983 द्वारा विलुप्त (1.4.1983 के प्रभाव से)

(2) नियम 4, 11 (1) (ख) और 11 (4) के वर्तमान प्रावधान क्रमशः निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किये जाते है:–

(i) नियम 4:- स्थायी पेंशनप्रदायी और गैर पेंशनप्रदायी सेवा के (परिवीक्षाधीन समेत) सभी सरकारी सेवकों और उन अस्थायी सरकारी सेवकों को (सभी पुनर्नियुक्त पेशनधारकों समेत), जिन्होंने एक वर्ष सेवा पूरी कर ली हो, और जिनकी सेवा-शर्तों के निर्धारण करने के लिए राज्य सरकार सक्षम हो, न्यूनतम अभिदान करना आवश्यक होगा। सभी सरकारी सेवकों को छुट्टी, प्रतिनियुक्ति और विदेश-सेवा के दौरान न्यूनतम निर्धारित दर से अभिदान करना होगा।

(ii) नियम 11 (1) (ख):–सभी अराजपत्रित सरकारी सेवकों को उसकी मासिक परिलब्धि का 10% दर से और सभी राजपत्रित सरकारी सेवकों को उसकी (मासिक) परिलब्धि का 12% दर से निधि में न्यूनतम मासिक अभिदान करना होगा। अभिदान की ऊपरी सीमा नहीं होगी।

(iii) नियम 11(4) :- इस प्रकार नियत की गई अभिदान-राशि वर्षपर्यंत अपरिवर्तित रहेगी। अभिदाता अपनी इच्छा से वर्ष के मध्य में अभिदान-राशि बढ़ा सकेगा, किंतु वर्ष के मध्य में अभिदान-राशि को कम करने का विकल्प नहीं होगा।

(Amendment in pageno 28)

(3) बिहार सामान्य भविष्य-निधि नियमावली, 1948, के नियम 4 की टिप्पणी 1, नियम 7, 10 (1) का परंतुक और उसकी टिप्पणी, 11 (1) (ख), 11 (1) (ग), 11 (2) (i) और (ii), 11 (3) (ख) और (घ) तथा नियम 11 (4) का परंतुक निरस्त कर दिये गये हैं।

(4) यह संशोधन 1-4-1983 से प्रभावी होगा

(5) उच्च न्यायालय, बिहार विधान सभा और परिषद् में सेवारत सरकारी सेवकों के सम्बन्ध में आदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अध्यक्ष, बिहार विधान सभा और सभापति, बिहार विधान परिषद् की सहमति प्राप्त होने पर जारी किया जाएगा। **(ज्ञाप सं० एम आई–025/82/4967 वि० दिनांक 18-5-1983]**

5. निरस्त।

6. निरस्त।

7. [1][* * *]

नामांकन

8. (1) निधि में सम्मिलित होने के बाद अभिदाता यथासंभव शीघ्र निधि में उसके खाता पर रहनेवाली राशि को उसकी मृत्यु पश्चात् प्राप्त करने के लिए अधिकार प्रदान करता हुआ नाम निर्देशन, लेखा पदाधिकारी को, उसके खाता पर रहनेवाली राशि के देय होने से पहले अथवा यदि राशि देय हो गई हो तो भुगतान किये जाने से पहले, भेजेगा।

(2) जिस अभिदाता का निधि में सम्मिलित होने के समय परिवार होगा, वह अपने परिवार के एक सदस्य या उससे अधिक के पक्ष में प्रथम अनुसूची में दिया गया प्रपत्र में नाम निर्देशन लेखा पदाधिकारी को भेजगा।

(3) जिस अभिदाता का परिवार नहीं होगा, वह उसी प्रकार द्वितीय अनुसूची में दिया गया प्रपत्र में व्यक्ति या व्यक्तियों का नामनिर्देशन करेगा:

परंतु यह कि इस उपनियम के तहत किया गया उक्त नामनिर्देशन इस नियमावली के अनुसार सम्यक रूप से किया गया तभी तक माना जाएगा जबतक अभिदाता का परिवार नहीं होगा।

1. ज्ञाप संख्या 4967 वि० दि० 18.5.1983 द्वारा (1.4.1983 के प्रभाव से) निरस्त।

(4) यदि पूर्वगामी किसी उपनियम के तहत किया गया नामनिर्देशन अवयस्क के पक्ष में हो तो अभिदाता उसी समय वैसे व्यक्ति या व्यक्तियों का भी नामनिर्देशन कर सकेगा जिसे अवयस्क की ओर से भुगतान किया जाएगा।

(5) यदि अभिदाता किसी समय परिवार अर्जित कर लेता है, तो वह लेखा पदाधिकारी को उप-नियम (2) में यथा उपबंधित नामनिर्देशन भेजेगा, और यदि उसने उपनियम (3) के तहत अपने परिवार के सदस्य से भिन्न किसी व्यक्ति का नामनिर्देशन किया है तो वह औपचारिक रूप से पूर्ववर्ती नामनिर्देशन को निरस्त करेगा।

(6) अभिदाता अपने विवेक के अनुसार अपने नामनिर्देशन में के नामनिर्देशितियों के बीच अपने खाता पर रहनेवाली निधि-राशि को वितरित कर सकेगा।

(7) इस नियम के तहत अभिदाता द्वारा नामनिर्देशन निरस्त करके किसी अनुमतेय नामनिर्देशन द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकेगा।

(8) नामनिर्देशन उस सीमा तक प्रभावी होगा जिस सीमा तक वह उस तिथि को वैध होगा जिस तिथि को वह लेखा पदाधिकारी द्वारा प्राप्त होगा।

(9) नामनिर्देशिती की मृत्यु पर अभिदाता नया नामनिर्देशन करेगा।

(10) इस नियम की कोई बात इस नियमावली के लागू होने से पहले तक प्रभावी रहे तत्स्थानी नियमों के तहत किया गया नामनिर्देशन को अविधिमान्य या और न नामनिर्देशन प्रतिस्थापित करने की अपेक्षा करती मानी जाएगी।

अभिदाता का लेखा

9. प्रत्येक अभिदाता के नाम में एक लेखा तैयार किया जाएगा और उसमें उसके अनुदान की राशि और नियम 14 के उप-नियम (2) में यथा विहित हिसाब लगाया गया ब्याज दर्शाये जाएंगे।

राज्य सरकार के निर्णय:–

1.

विषय:–कतिपय प्रयोजनों के लिए जीवनयापन भत्ता का वेतन माना जाना।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में वित्त विभाग के ज्ञाप सं० ए 1/214/67-5768 वि०, दिनांक 15 सितम्बर 1967 में समाविष्ट राज्यादेशों को निर्दिष्ट करते हुए कहना है कि उक्त विषय के पुनर्विचारोपरान्त राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि बिहार वित्तीय नियमावली और बिहार भविष्य निधि नियमावली के तहत सरकारी सेवकों को अनुमतेय अग्रिम स्वीकृत करने के प्रयोजनों के लिए जीवन यापना भत्ता को "वेतन" समझा जाएगा।

2. उपर्युक्त ज्ञाप सं० ए 1-214/67-5768- वि० दिनांक 15.9.67 में प्रविष्ट आदेश 31.5.68 के प्रभाव से उपर लिखित सीमा तक उपांतरित समझा जाएगा। **[ज्ञाप सं० ए 3-208-8-8367 वि० दिनांक 27 जुलाई, 1968 ।]**

2.

विषय:–कतिपय प्रयोजनों के लिए जीवन-यापन भत्ता का वेतन माना जाना।

ज्ञाप सं० 8367 वि० दिनांक 27.7.1968 में समाविष्ट राज्यादेशों को निर्देशित किया जाता है जिसमें अन्य बातों के अलावा यह विहित किया गया है कि बिहार वित्तीय नियमावली और बिहार भविष्य-निधि नियमावली के तहत सरकारी सेवकों को अनुमतेय सभी अग्रिमों की स्वीकृति के प्रयोजनों के लिए जीवन-यापन भत्ता को "वेतन" समझा जाएगा। कुछ क्षेत्रों में यह संदेह महसूस किया गया है कि क्या उक्त आदेश में उल्लिखित "जीवन यापन भत्ता" में "भविष्य-निधि" में सरकारी अंशदान शामिल किया जाएगा या इसमें केवल नकद भुगतान किया गया जीवन यापना भत्ता शामिल किया जाएगा। सरकार ने निर्णय लिया है कि उपर्युक्त अग्रिमों की स्वीकृति के प्रयोजनों के लिए "भविष्य-निधि में सरकारी

अंशदान'' को भी 'वेतन' का भाग समझा जाएगा। यह भी 31.5.1968 से लागू होगा। [ज्ञाप सं० III/ए/–205/68-11222/ वि० दिनांक 1-11-68।]

3.

बिहार सरकार वित्त विभाग पत्र सं० F-2-4013/57-9320 वि० दिनांक 15.7.1957. प्रेषक सरकार के उप सचिव वित्त विभाग, प्रेषित सभी नियन्त्रण पदाधिकारी।

विषय–सामान्य भविष्य-निधि कटौतियों की अनुसूचियों में लेखा संख्याओं का दर्ज किया जाना।

महालेखाकार, बिहार, ने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है कि बहुत सारे सरकारी सेवक महालेखाकार कार्यालय द्वारा उनको आवंटित किए गए लेखा संख्याओं को दर्ज किये बिना ही अपने वेतन-विपत्रों से कटौतिया करवाकर सामान्य भविष्य-निधि के अभिदाता बने हुए हैं। अनिवार्य सामान्य भविष्य-निधि योजना 1 ली अप्रैल, 1956, के प्रभाव से शुरू की गई थी और बहुत सारे अभिदाताओं को लेखा संख्या के आवंटन से पहले ही सामान्य भविष्य निधि में अभिदान शुरू करना पड़ा था। महालेखाकार ने अब बहुत सारे मामलों में लेखा संख्या आवंटित कर दी है और लेखा संख्या सभी राजपत्रित सरकारी सेवकों को सीधे और अराजपत्रित सरकारी सेवकों के मामले में कार्यालय-प्रधानों को संसूचित कर दी गई है। उन सभी अभिदानों की राशियां, जो उनको आवंटित की गई लेखा संख्याओं की प्रविष्ट के बिना मार्च 1957 से आगे उनके वेतन-विपत्रों से काटी गई थीं, उन अभिदाताओं के खातों में बिना चढ़ाए पड़ी हुई हैं। प्रत्येक वैयक्तिक अभिदाता के खाता में इस तरह वसूली गयी अभिदान की राशि के समंजन के वास्ते अपने को समर्थ करने के लिए महालेखाकार ने सभी निकासी और व्ययन पदाधिकारियों से अनुरोध किया था कि वे अपनी स्थापना के उन सभी अभिदाताओं की सूची उपलब्ध कराएं जो लेखा संख्या के आवंटन से पहले अभिदान कर रहे थे और जिनको बाद में लेखा संख्या आवंटित की गई। बहुत से निकासी और व्ययन पदाधिकारियों ने अभी तक वैसी सूची नहीं उपलब्ध कराई है और परिणामस्वरूप उनके वेतन-विपत्रों से कटौती करके अबतक वसूला गया अभिदान विभिन्न अभिदाताओं के खाता में नहीं चढ़ाया जा सका है। मेरा अनुरोध है कि सभी निकासी और व्ययन पदाधिकारियों को अनुदेश दिया जाय कि वे अति शीघ्र महालेखाकार कार्यालय को उन अभिदाताओं की सूची उपलब्ध कराएं जिन्होंने लेखा संख्या आवंटित होने से पहले सामान्य भविष्य-निधि में अभिदान करना शुरू किया था और जिनको बाद में लेखा संख्या आवंटित की गई। सूची में शामिल किया जानेवाला प्रत्येक सरकारी सेवक के नाम के सामने महालेखकार कार्यालय द्वारा आवंटित की गई सही लेखा संख्या दर्ज होनी चाहिए। इससे महालेखाकार प्रत्येक वैयक्तिक अभिदाता के लेखा-खाता में राशि समंजित कर सकेगा। नियंत्रण पदाधिकारियों से अनुरोध है कि वे अगस्त 1957 के अंत तक सरकार के वित्त विभाग को इस बात की रिपोर्ट भेज दें कि सम्बन्धित निकासी और व्ययन पदाधिकारियों द्वारा उपयुर्क्त सूची महालेखाकार को भेज दी गई है।

सरकारी सेवकों के वैसे भी मामले हैं जिनमें वे, योजना के तहत यथा अपेक्षित, अपने वेतन विपत्रों से कटौती करवाकर निधि में नियमित रूप से अभिदान कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अबतक महालेखाकार से उन्हें आवंटित की जानेवाली भविष्य-निधि लेखा संख्या प्राप्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया हैं यह पहले ही बता दिया गया है कि बगैर लेखासंख्या आवंटन के वसूले गये अभिदान महालेखाकार की बहियों में विभिन्न अभिदाताओं के खाता में बिना खतिआया हुआ (unposted) पड़े रहते हैं अतः राशियों का अविलम्ब सही-सही समंजित किया जाना आवश्यक है। फारम 53-201 में आवेदन पत्र की प्राप्ति पर महालेखाकार लेखा संख्या आवंटित करता है। ऐसे आवेदन-पत्र कार्यालय-प्रधान के माध्यम से महालेखाकार को भेजे जाएंगे। निकासी और व्ययन पदाधिकारियों को इसके द्वारा अनुदेश दिया जाता है कि महालेखाकार को उन सरकारी सेवकों के बारे में विहित फारम में अपेक्षित जानकारी उपलब्ध करायें जिनको अभी तक लेखासंख्या नहीं आवंटित की गई है।

[illegible] है कि सभी वर्ग के सरकारी सेवकों, जिनमें वे अस्थायी सरकारी सेवक भी

शामिल हैं जिन्होंने एक वर्ष से अधिक लगातार सेवा की है, को निधि में अभिदान करना आवश्यक है (और) मासिक अभिदान की राशि उनका परिलब्धियों के 6 1/2 प्रति शत से कम नहीं होगी। यह देखना निकासी और व्ययन पदाधिकारियों का कार्य है कि सरकारी सेवकों के मासिक वेतन-विपत्र से कटौती द्वारा अभिदान की वसूली नियमित रूप से की जाती है और किसी भी स्थिति में निर्धारित न्यूनतम दर पर अभिदान की वसूली नहीं स्थगित की जाती है और न बाकी रहती है। अभिदान का सही लेखा रखने के लिए, अनुसूची (53-191) में अभिदाता के नाम के सामने लेखा संख्या दर्ज करना आवश्यक है और कार्यालय प्रधान को यह देखना होगा कि लेखासंख्या, यदि संभव हो, पहले ही अथवा वेतन-विपत्रों से अनिवार्य कटौतियों द्वारा अभिदान वसूली शुरू किये जाने के तुरंत बाद प्राप्त कर ली जाय, ताकि सही लेखा में अभिदान-राशि का अविलम्ब समंजन हो सके।

4.

बिहार सरकार वित्त विभाग पत्रांक एफ० 2-4012/4626 वि० दिनांक 25 अक्टुबर, 1957, प्रेषक उप सचिव, वित्त विभाग, प्रेषित सभी नियंत्रण पदाधिकारी।

विषयः– सामान्य भविष्य-निधि कटौतियों की अनुसूचियों में लेखा संख्याओं का दर्ज किया जाना।

उपयुक्त विषय पर वित्त विभाग पत्रांक एफ-2-4013/57/9320- वि० दिनांक 15 जूलाई 1957 के क्रम में कहना है कि सभी निकासी और व्ययन पदाधिकारियों को निदेशित दिया जाए कि वे उस वेतन-विपत्र, जिसमें प्रथम कटौती की जाती है के साथ उन सरकारी सेवकों के सम्बन्ध में, जो अनिवार्य भविष्य-निधि योजना के तहत सामान्य भविष्य-निधि में अभिदान करने के योग्य हो गए हैं लेकिन जिनके लिए महालेखाकार, बिहार, के प्रति कटौतियों के वास्तविक आरंभ से पहले किसी भी वजह से महालेखाकार द्वारा आवंटित लेखा संख्या प्राप्त करना संभव नहीं हुआ है, निर्धारित फारम में सम्यक रूप से भरा हुआ सामान्य भविष्य-निधि में प्रवेशार्थ (दो प्रतियों में) आवेदनपत्र भेजेगे।

[महालेखाकार, बिहार के पत्र की प्रति]

विषयः– जी० ए० ग्रुप.....ग्रुप के अभिदाताओं को नई सा० भ० निधि लेखा संख्याओं का आवंटन।

1. प्रत्येक विभाग के अभिदाताओं के लिए लेखा संख्याओं की विशिष्ट क्रमावली रखने के मद्देनजर उन अभिदाताओं को, जिन्हें सम्प्रति ''जी० ए०'' ग्रुपों..... में लेखा संख्यायें आवंटित की गई हैं, उनके लेखा विभागों से सुसंगत विभिन्न नए ग्रुपों की नई संख्याएँ में आवंटित की गई हैं। यह आवंटन अप्रैल, 1967, से प्रभावी होगा।

2. सभी (राजपत्रित और अराजपत्रित) अभिदाताओं की सा० भ० निधि कटौतियों के लिए उनकी अनुसूचियों में अब से पुरानी और नई लेखा-संख्याओं को दर्ज करने के लिए अलग से संसूचना दी जाएगी।

3. कार्यालयों में (राजपत्रित और अराजपत्रित) अभिदाताओं की नई-नई आवंटित सा० भ० निधि लेखा संख्याओं के संसूचनार्थ इस कार्यालय को समर्थ बनाने के लिए, निम्नलिखित प्रारूप के स्तंभ 1 से 3 में, दो प्रतियों में ब्यौरे उपलब्ध कराना होगा। इन ब्यौरों को कृपया सा० भ० निधि कटौतियों की उन अनुसूचियों के संदर्भ में भरा जाय जो मार्च, 1967, के लिए जी० ओ० (G.O.) वेतन विपत्र की स्थापना के साथ संलग्न की गई थीं। कार्यालय द्वारा आवंटित नई लेखा संख्यायें इस कार्यालय द्वारा स्तंभ 4 में भरी जाएंगी और सम्बन्धित कार्यालयों को अवगत करा दी जाएंगी।

4. कृपया यह सुनिश्चित किया जाय कि आपके कार्यालय के सभी अभिदाताओं के नाम प्रारूप में शामिल किए गए हैं।

प्रारूप

.....का कार्यालय।

अभिदाता का नाम	पदनाम	सा० भ० निधि लेखा संख्या (पुरानी)	सा० भ० लेखा संख्या (1 ली अप्रैल, 1967 से आवंटित)
1	2	3	4

हस्ताक्षर.....

निकासी पदाधिकारी का पदनाम

[ज्ञाप सं० 5 ए एफ-102 सं० 5 एफ-102-5967 दिनांक 27-5-1967 ।]

5.

विषय:–सामानय भविष्य निधि-अनुसूची तैयार करना।

साधारणत: यह देखा गया है कि राज्य सरकार के कर्मी सामान्य भविष्य-निधि में अनिवार्य अभिदान करने की अर्हता प्राप्त करते ही बिना इस कार्यालय द्वारा लेखा संख्या प्राप्त किए निधि में अभिदान करना शुरू कर देते हैं और बाद में लेखा संख्या आवंटित किये जाने वास्ते आवेदन पत्र देते हैं। लेखा संख्या आवंटित कर दिए जाने के बाद भी निधि-अधिसूचियों (Fund-Schedule) में लेखा संख्या दर्ज किये जाने में कुछ समय लगता है।

इसका अपरिहार्य परिणाम यह होता है कि सामान्य भविष्य निधि में प्रवेशार्थ आवेदनपत्र में अभिदान के आरंभ की तिथि सम्बन्धी जानकारी की उपलब्धता के अभाव में अभिदाताओं से सम्बन्धित बहुत सारी जमा राशियां असमंजित रह जाती हैं और असमंजित जमाराशियों को स्थापित करने के लिए लम्बे समय तक पत्राचार करना पड़ता हैं इससे बचने के लिए, यह अनुरोध किया जाता है कि निधि-अभिदानों के आरंभ किये जाने के ब्यौरे सम्बन्धी जानकारी अर्थात् जिस महीने में अनुसूचियों में लेखा संख्याएं नहीं दर्ज की जा सकी, उसके लिए टी० वी० संख्या, तिथि और निधि में दी गई राशि आवेदन-पत्र के "अभ्युक्ति" स्तंभ में कृपया उपलब्ध करायी जाय।

सभी निकासी और व्ययन पदाधिकारियों को कृपया यह निदेश दे दिया जाए कि वे लेखा संख्या के आवंटन के लिए सामान्य भविष्य-निधि में प्रवेशार्थ आवेदन-पत्रों को भेजते समय 'अभ्युक्ति' स्तंभ में यह जानकारी उपलब्ध कराएंगे। [जी० ओ० सं० एफ०– 1045/59/19015 वि०, दिनांक 3-10-1959 के साथ जारी।]

6.

विषय:–सेवा पुस्तिका में भविष्य निधि लेखा संख्या का उल्लेख।

राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया है कि सरकारी सेवकों के एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरण के अधिकतर मामलों में अंतिम वेतन प्रमाणपत्र में भविष्य निधि लेखा संख्या दर्ज नहीं रहती है यद्यपि अंतिम वेतन प्रमाणपत्र के निर्धारित फारम में इस के लिए स्पष्ट प्रावधान है। परिणाम यह होता है कि स्थानांतरित सरकारी सेवक का नया कार्यालय-प्रधान भविष्य-निधि अनुसूची में भविष्य-निधि लेखा संख्या नहीं दे पाते है और इसका स्वाभाविक फल होता है कि बहुत सारी भविष्य-निधि राशियां बहुत समय तक असमंजित रहती हैं।

2. अत: सुझाव दिया जाता है कि ज्योंही सरकारी सेवक भविष्य निधि में प्रविष्ट हो, उनको आवंटित की गई भविष्य-निधि लेखा संख्या को उनकी सेवा-पुस्तिका के पृष्ठ के दाहिने तरफ शीर्ष पर रबर-स्टाम्प के जरिए या लाल रोशनाई में दर्ज कर दिया जाए और सरकारी सेवक के स्थानांतरण के तुरंत बाद जबकि स्थानांतरण की तिथि से एक महीना तक नहीं, पुराना कार्यालय तथा नया कार्यालय को सेवा

पुस्तिका उपलब्ध करा दी जाए।

3. सभी अधीनस्थ कार्यालयों को, जिसे सेवा पुस्तिका का संधारण करना होता है, इन अनुदेशों को दृढ़ता से पालन करने का निर्देश दिया जाए। [जी० ओ० सं० एफ० 2-402/66-5968 एफ० दिनांक 30-5-1966 ।

7.

बिहार सरकार (भविष्य निधि निदेशालय) वित्त विभाग पत्र सं० 838 दिनांक 20-1-1997 की प्रतिलिपि।

विषय–राज्य सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखा संधारण के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि 1.4.1986 से राज्य सरकार के कर्मचारियों के भविष्य निधिलेखा संधारण का कार्य कुछ सेवाओं को छोड़कर विकेन्द्रीयकृतरूप से राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है तथा इसके लिए सभी कोषागार से सम्बद्ध जिला भविष्य निधि कार्यालय का गठन किया गया है एवं एक जिला से दूसरे जिला में स्थानान्तरण की स्थिति में सम्बन्धित कर्मचारी/पदाधिकारी का अंतशेष लेखा अद्यतन कर दूसरे सम्बन्धित जिला को स्थानान्तरित किया जाना है। परन्तु ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ मामलों में कर्मचारियों/पदाधिकारियों के स्थानान्तरण के बाद लेखा अद्यतन कर अंतशेष निर्गत नहीं किया जाता है, बल्कि पुराने कार्यालय में ही लेखा संधारण जारी रहता है। स्थानान्तरित कर्मचारी/पदाधिकारी अन्य जिला से संबंधित कटौती विवरणी दूसरे जिला भविष्य निधि कार्यालय या सचिवालय भविष्य निधिकोषांग को भविष्य निधि लेखा अद्यतन करने हेतु प्रस्तुत करते है और इसके आधार पर उनका लेखा अद्यतन करने की कार्रवाई की जा रही है। यह सर्वथा नियम के प्रतिकूल है। चूँकि सभी जिलों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों का अभिप्रमाणित हस्ताक्षर भी उपलब्ध नहीं रहता है अत: जालसाजी की आशंका बनी रहती है।

(i) अत: अनुरोध है कि अपने कोषांग से जुड़े कोषागार से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों/पदाधिकारियों के लेखा का संधारण उसके पदस्थापना की अवधि तक ही किया जाए।

(ii) स्थानान्तरण के बाद अन्त:शेष नये पदस्थापना से सम्बन्धित कोषांग को भेज दिया जाए।

(iii) असम्बद्ध निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित कटौती विवरणी के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की जाए। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में समय की बहुत कमी होने की स्थिति में निदेशालय द्वारा इससे भिन्न कोई आदेश विशिष्ट मामले में दिया जा सकेगा। तत्सम्बन्धी प्रस्ताव फैक्स द्वारा जिला पदाधिकारी के माध्यम से भेजा जाए।

समीक्षा–भविष्य निधि में प्रवेशार्थ आवेदनपत्र का फारम लेखा फारमों की पुस्तिका में संशोधन परची प्रथम संस्करण (द्वितीय पुनर्मुद्रण) सी० एस० 110

पृष्ठ 318 फारम सा० भ० नि० 3 वर्तमान फारम में निम्नांकित प्रतिस्थापित करें।

भविष्य निधि में प्रवेशार्थ आवेदनपत्र (दो प्रतियों में भरें)

सा० भ० नि० 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
अभिदाता का नाम	कार्यालयी पदनाम	कार्यालय, जिसमें सेवारत है। यदि प्रतिनियुक्ति पर है तो वर्तमान नियोजन और सरकार का भी उल्लेख करें	सेवा, जिसमें अभिदाता है	अभिदाता की सेवा पेंशनप्रदायी है या नहीं	अभिदाता स्थायी, अस्थायी या प्रतिनियुक्त है। यदि अस्थायी है तो सेवा के आरंभ की तारीख लिखें	मासिक परिलब्धि की दर	मासिक अंशदान की दर	यदि किसी अन्य निधि में अंशदान करता है तो उस निधि का नाम	अभिदाता की परिवार है या नहीं	लेखा परीक्षकों द्वारा अभिदाता की जाने वाली लेखा सं०	अभ्युक्ति

केन्द्र ... ... निर्धारित प्ररूप में सम्यकरूपेण भरा हुआ नाम निर्देशन का फारम अनुलग्न है।
दिनांक ... ...

आवेदक के हस्ताक्षर

कार्यालय-प्रधान के हस्ताक्षर।
पदनाम

.....का कार्यालय।
सं० दिनांक.....
200 .....
आवंटित लेखा संख्या के साथ लौटाया गया। यह संख्या तत्संबंधित सभी पत्राचार में दर्ज होगी।

हस्ताक्षर
पदनाम।

अभिदान की शर्त और दर

10. (1) सिवा नियम 7 में यथा उपबन्धित के, अभिदाता, निलम्बन की अवधि छोड़कर, हर माह निधि में अभिदान करेगा:

[1][* * *]

(2) अभिदाता छुट्टी के दौरान अभिदान नहीं करने का अपना विकल्प निम्नवत् संसूचित करेगा:–

(क) यदि वह ऐसा पदाधिकारी है जो अपना वेतन-विपत्र स्वयं निकासी करता है तो छुट्टी पर जाने के बाद अपना निकासित प्रथम वेतन-विपत्र में अभिदान मद में कटौती नहीं करके;

(ख) यदि वह ऐसा पदाधिकारी नहीं है जो अपना वेतन-विपत्र स्वयं निकासी करता है तो छुट्टी पर जाने से पहले कार्यालय-प्रधान को लिखित संसूचना देकर। सम्यक् और समय पर संसूचना देने की विफलता का मायने अभिदान करने का विकल्प देना होगा। इस उपनियम के तहत संसूचित अभिदान का विकल्प अंतिम होगा।

[समीक्षा, नियम 10 (2) (ख):– राज्य सरकार के आदेश के अनुसार, छुट्टी, प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा पर रहनेवाला पदाधिकारी को निधि में अभिदान करना होगा।]

11. (1) अभिदान की रशि स्वयं अभिदाता द्वारा निश्चित की जाएगी, किंतु शर्तें निम्नांकित होंगी:–

(क) यह पूर्ण रूपयों में व्यक्त किया जाएगा।

[2][(ख) सभी अराजपत्रित सरकारी सेवक को उसकी मासिक परिलब्धि के 10% प्रतिशत की दर से और सभी राजपत्रित सरकारी सेवक को उसकी परिलब्धि के 12 1/2% प्रतिशत की दर से न्यूनतम मासिक अभिदान करना होगा। अभिदान की कोई ऊपरी सीमा नहीं होगी।

(ग) [1][* * *]

(2) उप-नियम (1) के प्रयोजन के लिए अभिदाता की परिलब्धि होगी–

(क) वह परिलब्धि जिसका अभिदाता, यदि वह पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च को सरकारी सेवा में था, उस तिथि को हकदार था, परंतु निम्नांकित अनुसार :–

(i) [1][* * *]

(ii) [1][* * *]

(iii) यदि अभिदाता, नियम 6 के प्रवर्तन के तहत, पहले-पहले उक्त तिथि के बाद की तिथि को निधि में सम्मिलित हुआ हो तो उसकी परिलब्धि वह होगी जिसकी वह उस बाद वाली तिथि को हकदार था।

(ख) उस अभिदाता की स्थिति में जो पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च को सरकारी सेवा में नहीं था, वह परिलब्धि जिसकी वह अपनी सेवा के प्रथम दिन को हकदार था, या यदि वह पहले-पहले, नियम 6 के प्रवर्तन के तहत, अपनी सेवा के प्रथम दिन के बाद की तिथि पर निधि में सम्मिलित हुआ हो तो वह परिलब्धि जिसकी वह उस बाद वाली तिथि पर हकदार था।

(3) अभिदाता प्रत्येक वर्ष में अपना मासिक अभिदान की निश्चित की गई राशि निम्नांकित तरह से संसूचित करेगा:–

(क) यदि वह पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च को कार्य पर था तो उस कटौती द्वारा जो वह उस महीना के लिए अपने वेतन-विपत्र से इस निमित्त करता हो;

(ख) [1][* * *]

(ग) यदि वह वर्ष के दौरान पहले-पहले सरकारी सेवा में आया है और पहली बार निधि में

1. ज्ञाप सं० 4967 वि० दिनांक 18.5.1983 द्वारा (1.4.1983 के प्रभाव से) विलुप्त। (इस अधिसूचना का पूर्ण पाठ नियम 4 के नीचे देखें)
2. अतिरिक्त प्रतिस्थापन के लिए नियम 11 के अन्त में राज्यादेश देखें।

सम्मिलित होता है तो उस कटौती के द्वारा जो वह इस निमित्त उस महीना के अपने वेतन-विपत्र से करता है जिस महीना के दौरान वह निधि में सम्मिलित होता है।

(घ) [1][* * *]

(ङ) यदि वह पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च को विदेश-सेवा पर था तो चालू वर्ष के अप्रैल महीना में अभिदान के मद में कोषागार में उसके द्वारा खाता में जमा की गई राशि के द्वारा।

[2][(4) इस प्रकार निश्चित की गई अभिदान की राशि वर्षपर्यंत अपरिवर्तित रहेगी। अभिदाता को वर्ष के बीच में अभिदान की राशि को बढ़ाने का विकल्प होगा, किंतु उसे वर्ष के बीच में अभिदान की राशि को कम करने का विकल्प नही होगा।

[1][* * *]

टिप्पणी–यदि महीना के दौरान अभिदाता की मृत्यु हो जाये तो उस महीना के लिए अर्थात्, जितने दिन तक वह उस महीना में जीवित था उसके लिए, उसकी परिलब्धियों से आनुपातिक अभिदान वसूला जाएगा।

बाद में किए गये परिवर्तन (Subsequent charges) :–

भारतीय संविधान की धारा 309 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार सामान्य निधि नियमावली, 1948 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :–

2. वर्त्तमान नियम 11 (1) (बी) के स्थान पर निम्न पुनः स्थापित (substitute) किया जाय :–

"11 (1) बी–यह पूर्ण रुपये में ऐसी अभिव्यक्त कोई भी राशि हो सकती है, जो कम-से-कम राजपत्रित सरकारी सेवकों की परिलब्धियों (Emoluments) का 15 प्रतिशत हो, और अराजपत्रित सरकारी सेवकों की परिलब्धियों (Emoluments) का साढ़े 12 प्रतिशत हो :

टिप्पणी–(1) अंशदान की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी।

(2) निम्नतम अंशदान की उपर्युक्त दर 1 जुलाई, 1985 से लागू होगी, पर जो कार्मिक विभाग अधिसूचना संख्या 4967-वि॰ (2) दिनांक 18 मई, 1983 में निर्धारित न्यूनतम दर से अंशदान देना चाहें उन्हें ऐसा करने की छूट होगी बशर्ते उनका इस आशय का विकल्प 26 जुलाई, 1985 तक उनके कार्यालय प्रधान/नियंत्रण पदाधिकारी को प्राप्त हो जाय, पर उनके मामले में सूद की दर कम होगी। विकल्प एक बार दिये जाने पर उसे अन्तिम माना जायगा।

(3) 1985-86 वर्ष में देय सूद की दर वित्त विभाग की संकल्प संख्या 4193, दिनांक 13 जुलाई 1985 में निर्धारित की गई है। [*Vide Memo no. 4184 dated 13.7.1985]

विषय–बिहार सामान्य भविष्य निधि में अंशदान की दर।

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या 4184 वि॰ (2) दिनांक 13.7.85 द्वारा पुनः स्थापित बिहार भविष्य निधि नियमावली, 1948 के नियम 11 (1) (बी॰) की टिप्पणी-2 में यह प्रावधान है कि जो सरकारी सेवक 26.7.85 को यह विकल्प दें कि 30.6.85 के बाद भी अधिसूचना संख्या 4967 वि॰ दिनांक 18.5.83 में निर्धारित न्यूनतम दर पर अंशदान देगें उन्हें ऐसा करने की छूट होगी। ऐसा विकल्प देनेवाले में से बहुत अब नई दरों से अंशदान देने के इच्छुक हैं। सरकार ने इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर यह निर्णय लिया है कि उन्हें ऐसा करने की सुविधा दी जाय बशर्ते वे 1.7.1985 से ही संकल्प संख्या 4185 वि॰ (2) दिनांक 13.7.85 में निर्धारित नये दरों पर अंशदान दें अर्थात् जुलाई-अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर और नवम्बर मासों के बकाया अंशदान एकमुश्त अपने दिसम्बर, 85 के वेतन से निश्चित रूप से कटा दें। ऐसे सेवकों के दिसम्बर, 85 के वेतन विपत्र में निम्न प्रमाण-पत्र निकासी पदाधिकारी द्वारा अंकित किया जायगा–

1. ज्ञाप सं॰ 4067 वि॰ दि॰ 18.5.1983 द्वारा (1.4.1983 के प्रभाव से विलुप्त (ज्ञाप का पूर्ण पाठ नियम चार के अन्त में देखें)
2. प्रतिस्थापित तत्रैव।

"प्रमाणित किया जाता है कि बिहार सरकार, वित्त विभाग के संकल्प संख्या 7529 वि॰ (2) दिनांक 9.11.85 के अनुसार मेरे/श्री.....के जुलाई 85 से नवम्बर, 85 तक के बकाये सामान्य भविष्य निधि अंशदान की कटौती इस विपत्र में कर ली गई है"

2. जहाँ तक इस आदेश को पटना उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद के कार्मिकों पर लागू करने का प्रश्न है तत्सम्बन्धी आदेश, मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/ अध्यक्ष बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की सहमति प्राप्त होने पर निर्गत किया जायगा। [*वित्त विभाग ज्ञाप संख्या एम 1-10/85/7529 वि॰ (2) दिनांक 29.11.1985]

12. यदि अभिदाता को विदेश सेवा में स्थानांतरित कर दिया जाता है या प्रतिनियुक्ति पर भारत से बाहर भेज दिया जाता है तो वह उसी प्रकार निधि के नियमों के अधीन रहेगा मानो वह उस तरह स्थानांतरित या प्रति नियुक्त नहीं किया गया हो।

[समीक्षा– नियम 12 :- यदि अभिदाता को भारत के बाहर प्रतिनियुक्त किया जाता है या स्थानीय निकायों जैसे नगरपालिका, जिला बोर्ड, निगम, अथवा, अन्य अर्ध-सरकारी संगठन या सरकार द्वारा वित्तपोषित अन्य संगठन में प्रतिनियुक्त किया जाता है तो वह उसी प्रकार निधि के नियमों द्वारा शासित होगा मानो वह इस तरह स्थानान्तरित या प्रतिनियुक्त नहीं किया गया हो।]

अभिदान की वसूली

13. (1) जब भारत में सरकारी कोषागार से या स्वदेशी (होम) या औपनिवेशिक कोषागार से परिलब्धियां निकाली जाएंगी तब इन परिलब्धियों सद्धे अभिदानों की और अग्रिमों के मूलधन और ब्याज की वसूली परिलब्धियों से ही की जाएगी; सिवा इसके कि जब स्टर्लिंग समुद्र-पार (sterling over seas) वेतन से भिन्न परिलब्धियां भारत में इस तरह से निकाली जाएंगी तब अनुदेय स्टर्लिंग समुद्र-पार वेतन से सम्बन्धित कटौती भारत में की जाएगी।

(2) जब किसी अन्य साधन से परिलब्धियां निकाली जाएंगी तब अभिदाता प्रत्येक महीना अपनी देय राशि लेखा पदाधिकारी को भेजेगा।

(3) यदि सरकारी सेवक उस तिथि के प्रभाव से, जिस पर उसका निधि में सम्मिलित होना अपेक्षित है, बकाया अभिदान के चलते निधि को देय कुल राशि अभिदान करने में विफल होगा तो वह अभिदाता द्वारा निधि में दी जानेवाली राशि, साथ-साथ नियम 14 में उपबंधित दर से उस पर ब्याज, तत्काल भुगतान करेगा अन्यथा लेखा पदाधिकारी अभिदाता की परिलब्धियों से किस्तों में कटौती द्वारा या अन्यथा वसूल करने का आदेश देगा, जैसा कि उस अग्रिम को स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्देश दिया जाएगा जिसकी स्वीकृति के लिए नियम 15 के उप-नियम (1) के खंड (ग) के तहत विशेष कारणों की आवश्यकता होती है।

ब्याज

14. (1) निम्नांकित उप-नियम (5) के प्रावधानों के अध्यधीन, सरकार अभिदाता के लेखा में रहनेवाली जमाराशि पर प्रतिवर्ष उस दर ब्याज देगी जो प्रांतीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई रीति से परिगणित किया जाएगा।

परंतु यह कि यदि किसी वर्ष के लिए निर्धारित की गयी ब्याज की दर 4 प्रतिशत से कम होगी तो उसके अग्रवर्ती वर्ष में विद्यमान निधि के सभी अभिदाताओं को 4 प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा जिस (वर्ष) के लिए पहली बार 4 प्रतिशत से कम ब्याज निर्धारित किया जाएगा।

(2) प्रत्येक वर्ष में अंकित दिन से ब्याज निम्नांकित रीति से खाता में चढ़ाया जाएगा :–

(i) चालू वर्ष के दौरान निकाली गई राशियों को घटाकर पूर्ववर्ती वर्ष के अंतिम दिन को अभिदाता के खाता में रहनेवाली राशि पर–बारह महीनों के लिए ब्याज;

(ii) चालू वर्ष के दौरान निकाली गई राशियों पर– चालू वर्ष के आरंभ से निकाली वाला महीना

के पूर्ववर्ती महीना के अंतिम दिन तक ब्याज;

(iii) पूर्ववर्ती वर्ष के अंतिम दिन के बाद अभिदाता के लेखा में जमा की गई सभी राशियों पर–जमा करने की तिथि से चालू वर्ष के अंत तक ब्याज;

(iv) ब्याज की कुल राशि को निकटतम रूपया तक गोल किया (rounded of) जाएगा–आठ आने (50 पैसे) को निकटतम उच्चतर रूपया गिना जाएगा।

परंतु यह कि जब अभिदाता के खाता में रहने वाली राशि भुगतेय हो जाएगी तब इस उप–नियम के अधीन उसपर ब्याज का आकलन केवल उसी अवधि के लिए किया जाएगा जो, यथास्थिति, चालू वर्ष के आरंभ से या जमा करने की तिथि से शुरू होगी और उस तिथि को समाप्त होगी जिस पर अभिदाता के खाता में रहनेवाली राशि भुगतेय हो जाएगी।

(3) इस नियम में, जमा की तिथि, परिलब्धियों से वसूली की स्थिति में, उस महीना की पहली तिथि मानी जाएगी जिसमें वह वसूली जाएगी, और अभिदाता द्वारा अग्रेषित राशि की स्थिति में, यदि लेखा पदाधिकारी द्वारा राशि की प्राप्ति महीना की पांचवी तिथि से पहले हो जाएगी तो प्राप्ति के महीना की पहली तिथि, किंतु यदि राशि की प्राप्ति महीना की पांचवीं या बाद की तिथि को होगी तो निकटतम अगामी महीना की पहली तिथि मानी जाएगी।

(4) नियम 29, 30 या 31 के तहत भुगतान की जानेवाली किसी राशि के अलावे, उस व्यक्ति को, जिसे उक्त राशि भुगतान की जानी है, उस महीना, के पूर्ववर्ती महीना के अंत तक, जिसमें भुगतान किया जाता हो अथवा उस महीना, के बाद छठा महीना के अंत तक, जिसमें उक्त राशि भुगतेय हो गई, इन अवधियों में जो कम हो, उक्त राशि पर ब्याज देय होगा:

परंतु यह कि जहां लेखा पदाधिकारी ने उस व्यक्ति (या उसके एजेन्ट) को उस तिथि के बारे में संसूचना दे दी हो जिस तिथि को वह नगद में भुगतान करने को तैयार है अथवा उस व्यक्ति को भुगतान स्वरूप चेक डाक से भेज दिया हो वहाँ ब्याज इस प्रकार संसूचित की गई तिथि से पूर्ववर्ती महीना के अंत तक या चेक को डाक से भेजे जाने की तिथि तक, यथास्थिति, देय होगा।

[1][टिप्पणी– छः महीना के बाद की भी किसी अवधि के लिए निधि में अभिदाता के खाता पर रहनेवाली राशि के लिए ब्याज भुगतान किया जा सकेगा और वैसे भुगतान प्राधिकृत करने के लिए निम्नांकित पदाधिकारी सक्षम होंगे:

(i) अभिदाता, जिनके भविष्य-निधि का संधारण महालेखाकार, बिहार द्वारा किया जाता है– महालेखाकार, बिहार;

(ii) अभिदाता, जिनके भविष्य-निधि का संधारण महालेखाकार, बिहार, द्वारा नहीं किया जाता है–वित्त विभाग:

परंतु यह कि सक्षम प्राधिकारी ने व्यक्तिगत रूप से अपना समाधान कर लिया हो कि भुगतान में विलम्ब अभिदाता या उस व्यक्ति, जिसे ऐसा भुगतान किया जाना था, के नियंत्रण के परे की परिस्थितियों के कारण हुआ और ऐसे प्रत्येक मामले में इस बारे में संलिप्त प्रशासनिक विलम्ब की पूरी जांच करके यथापेक्षित कार्रवाई की गई हो।

(5) मुसलमान अभिदाता के लेखा में जमाराशि पर ब्याज नहीं दिया जाएगा यदि वह लेखा पदाधिकारी को यह जानकारी दे कि वह ब्याज नहीं लेना चाहता है, किंतु यदि वह बाद में ब्याज की मांग करेगा तो ब्याज उसके खाता में उस वर्ष की पहली तारीख से चढाया जाएगा जिस वर्ष में वह इसकी मांग करेगा।

(6) निधि में अभिदाता के खाता में रहनेवाली उन राशियों, जो नियम 13 के उप-नियम (3), नियम 16 के उपनियम (5), नियम 19 के उपनियम (3), नियम 24 के उपनियम (4), नियम 23 के उपनियम (1), नियम 24 के उपनियम (1) या (2), नियम 29 या नियम 30 के तहत प्रतिस्थापित की जाएंगी, पर

1. ज्ञाप संख्या एम 1-34-80-4770 वि॰ 2 दिनांक 10.7.1982 द्वारा "टिप्पणी" अन्तःस्थापित।

ब्याज उस दर से परिगणित किया जाएगा जो इस नियम के उपनियम (1) के तहत उत्तरोत्तर निर्धारित किया जाएगा और यथासंभव नियमों द्वारा निर्धारित की गई रीति से।

टिप्पणी–निधि-अभिदान के मद में वास्तविक बाकी राशि से अधिक वसूली गई राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

जब अभिदान में अधिक दी गई राशि बाद के महीनों में कम राशि देकर संमजित की जाएगी, तब बाद के महीनों के लिए पूरी बकाया राशि पर ब्याज दिया जाएगा, शेष (बैलेंस) पहले ही पूर्ववर्ती महीनों में प्राप्त हुआ रहेगा।

[1][टिप्पणी:–भविष्य निधि में संचित राशि पर अंशदान अथवा नियमानुसार जिन्हें भुगतान किया जाना है, को अंशदाता को सेवा-निवृत्ति/पद-रिक्ति/मृत्यु की तिथि से छः माह से अधिक किसी भी अवधि के लिए अर्थात् भुगतान के निमित्त प्राधिकार-पत्र 15 तारीख के बाद निर्गत होने पर जिस माह में निर्गत होगा, उस माह तक तथा 15 तारीख तक निर्गत होने पर तो उसके पूर्व माह तक सूद देय होगा परन्तु 15 तारीख के बाद निर्गत होनेवाले प्राधिकार-पत्र दूसरे माह में ही भुगतान होगा, जिसे प्राधिकृत करने के लिए निम्नलिखित पदाधिकारी सक्षम होंगे–

(i) ऐसे अंशदाता, जिनका भविष्य निधि लेखा भविष्य निधि निदेशालय, वित्त विभाग द्वारा संचालित किया जाता है–

निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, वित्त विभाग।

(ii) ऐसे अंशदाता, जिनका भविष्य निधि लेखा भविष्य निधि निदेशालय, वित्त विभाग के नियंत्रणाधीन जिला भविष्य निधि कार्यालय द्वारा संचालित किया जाता है–

सम्बन्धित जिला के समाहर्त्ता/उपायुक्त।

(ii) ऐसे अंशदाता, जिनका भविष्य निधि लेखा निदेशक, भविष्यनिधि निदेशालय अथवा इसके जिला कार्यालयों द्वारा संचालित नहीं किया जाता है–वित्त विभाग।

बशर्ते कि स्वीकृति प्रदान करनेवाले पदाधिकारी पूर्णतया सन्तुष्ट हों कि अंशदाता अथवा नियमानुसार जिन्हें भुगतान किया जाना है, द्वारा आवेदन-पत्र अंशदाता की सेवा-निवृत/पद रिक्ति/मृत्यु के छः माह की अवधि के पश्चात् नहीं दिया गया है, एवं विलम्ब प्रशासकीय कारणों से हुआ है, जिसकी पूर्ण रूपेण जांच कर ली गयी है तथा जहाँ आवश्यक हो, उचित कार्रवाई भी की गई है। अंशदाता की सेवा निवृत्ति/पदरिक्ति/मृत्यु के छः माह की अवधि के पश्चात प्राप्त आवेदन-पत्रों के मामलें में भी यद्यपि अद्यतन सूद उपयुक्त रूप से देय होगा, परन्तु छःमाह की अवधि के बाद से विलम्ब की अवधि तक का सूद काट कर ही देय होगा।

3. यह 1.4.86 के पूर्व के उन सभी मामलों में भी लागू होगा, जिसमें भुगतान 1.4.86 तक नहीं हुआ है।

राज्य सरकार के निर्णय:–

विषय:–छः महीना से अधिक अवधि के लिए भविष्य निधि अतिशेष (बैलेंस) पर ब्याज का भुगतान।]

भविष्य-निधि नियमावली के तहत निधि-संचयन पर, उस महीना के पूर्ववर्ती के अंत तक जिसमें भुगतान किया जाता है, अथवा उस महीना के अगामी छः महीनों (की अवधि) के अंत तक जिसमें उक्त राशि देय होती है, इनमें जो अवधि कम हो, ब्याज देय होगा।

2. राज्य सरकार ने अब निर्णय लिया है कि महालेखाकर, बिहार, अपना यह समाधान कर लेने के बाद कि भुगतान में विलम्ब अभिदाता के नियंत्रण के परे की परिस्थितियों के कारण हुआ है और इस मामले में होनेवाला प्रशासनिक विलम्ब की पूरी जांच करके कार्रवाई की गई है, छः महीने की अवधि के बदले एक वर्ष की अवधि तक ब्याज दिये जाने को प्राधिकृत कर सकेगा। ये आदेश बिहार अंशदायी

1. वित्त विभाग ज्ञाप सं॰ एम 1-04/88/3373 वि॰ दि॰ 6.5.1988 द्वारा टिप्पणी अन्तःस्थापित।

भविष्य -निधि और अन्य भविष्य-निधियों के तहत संचयनों पर समान रूप से लागू होंगे। [जी० ओ० सं० एफ 2-4027/00/-29439 वि०, दिनांक 10.12.1960]

टिप्पणी–उपर्युक्त आदेश के प्रभावी रहने की अवधि दो वर्ष थी जिसके बाद स्थिति का पुनर्विलोकन किया जाना था, और अब इन आदेशों को 10.12.1962 के प्रभाव से अगामी एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। [जी० ओ० सं० एफ 2-4041/62-18263-वि०, दिनांक 5.12.1962]

टिप्पणी– उपर्युक्त आदेश 10.12.1963 के प्रभाव से आगामी दो वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाया जाता है। [जी० ओ० सं० एफ० 2-4024/63-7745 वि०, 1.8.1963]

टिप्पणी–उपर्युक्त आदेश 10.12.1967 के प्रभाव से अगले दो वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जाता है। [ज्ञाप सं० एफ 2-4914/67-3542 दिनांक 8.4.1968]

[समीक्षा–विभिन्न निधियों पर ब्याज की दर से संबंधित भारत सरकार का संकल्प नीचे दिया जाता है।]

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) सं० एफ० 5 (1)- एफ भी (बी)/62 (नई दिल्ली-2, दिनांक 1 ली मई, 1962)

संकल्प

सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह घोषित किया जाता है कि अनुमोदित पद्धति (भारत सरकार, वित्त विभाग संकल्प सं० एफ-37. भी० आर० 2 दिनांक 9 दिसम्बर, 1930, देखें) द्वारा यथा निर्धारित 31 मार्च, 1962, को सामान्य भविष्य निधि और अन्य तत्समान निधियों में अभिदाताओं के खाता में जमाराशियों तथा अतिशेषों (बैलेंस) पर ब्याज-दर 4 प्रतिशत है और 1 ली अप्रैल, 1962, से शुरू होनेवाला वित्त-वर्ष के दौरान यह दर लागू रहेगी। सम्बन्धित निधियां है:–

1. सामान्य भविष्य-निधि (केन्द्रीय सेवाएं)।
2. सामान्य भविष्य-निधि (रक्षा सेवाएं)।
3. सेक्रेटरी आफ स्टेट की सेवाएं (सामान्य भविष्य-निधि)।
4. अंशदायी भविष्य-निधि (भारत)।
5. भारतीय सिविल सेवा भविष्य-निधि।
6. अखिल भारतीय सेवाएं भविष्य-निधि।
7. अखिल भारतीय आयुध विभाग भविष्य-निधि।
8. भारत सिविल सेवाएं (एन० ई० एम०) भविष्य-निधि।
9. रक्षा सेवा अधिकारी भविष्य-निधि।
10. भारतीय प्रकीर्ण सैन्य सेवा भविष्य-निधि।
11. सशस्त्र बल कार्मिक भविष्य निधि।
12. सैन्य इंजीनियरी सेवाएं भविष्य-निधि।
13. भारतीय आयुध कारखाना कर्मकार भविष्य-निधि।
14. अशंदायी निधि (एम० ई० एस०) (भारत)।
15. भारतीय नौसैनिक डाकयार्ड कर्मकार भविष्य-निधि।

2. रेलवे मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा, मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन विभिन्न भविष्य-निधियों के अतिशेषों (बैलेंस) पर प्रासंगिक वर्षों के दौरान अनुमतेय ब्याज-दर से संबंधित, आवश्यक निर्देश अलग से निर्गत किये जायेंगे।

2.

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 283 के खण्ड-2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1948 में अधिसूचना संख्या एम 1-34-80-4770 वि० (2) दिनांक 10.7.82 द्वारा किये गये संशोधन के पश्चात् तिथि 1.4.1986 से पुनः निम्नलिखित संशोधन करते हैं–

(2) नियम-14 के उप-नियम 4 के नीचे की टिप्पणी के नीचे निम्नलिखित दूसरी टिप्पणी जोड़ी जाय :–

टिप्पणी:–भविष्य निधि में संचित राशि पर अंशदान अथवा नियमानुसार जिन्हें भुगतान किया जाना है, को अंशदाता को सेवा-निवृत्ति/पद-रिक्ति/मृत्यु की तिथि से छः माह से अधिक किसी भी अवधि के लिए अर्थात् भुगतान के निमित्त प्राधिकार-पत्र 15 तारीख के बाद निर्गत होने पर जिस माह में निर्गत होगा, उस माह तक तथा 15 तारीख तक निर्गत होने पर तो उसके पूर्व माह तक सूद देय होगा परन्तु 15 तारीख के बाद निर्गत होनेवाले प्राधिकार-पत्र दूसरे माह में ही भुगतान होगा, जिसे प्राधिकृत करने के लिए निम्नलिखित पदाधिकारी सक्षम होंगे–

(i) ऐसे अंशदाता, जिनका भविष्य निधि लेखा भविष्य निधि निदेशालय, वित्त विभाग द्वारा संचालित किया जाता है–

निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, वित्त विभाग।

(ii) ऐसे अंशदाता, जिनका भविष्य निधि लेखा भविष्य निधि निदेशालय, वित्त विभाग के नियंत्रणाधीन जिला भविष्य निधि कार्यालय द्वारा संचालित किया जाता है–

सम्बन्धित जिला के समाहर्त्ता/उपायुक्त।

(ii) ऐसे अंशदाता, जिनका भविष्य निधि लेखा निदेशक, भविष्यनिधि निदेशालय अथवा इसके जिला कार्यालयों द्वारा संचालित नहीं किया जाता है–वित्त विभाग।

बशर्ते कि स्वीकृति प्रदान करनेवाले पदाधिकारी पूर्णतया सन्तुष्ट हों कि अंशदाता अथवा नियमानुसार जिन्हें भुगतान किया जाना है, द्वारा आवेदन-पत्र अंशदाता की सेवा-निवृत/पद रिक्ति/मृत्यु के छः माह की अवधि के पश्चात् नहीं दिया गया है, एवं विलम्ब प्रशासकीय कारणों से हुआ है, जिसकी पूर्ण रूपेण जांच कर ली गयी है तथा जहाँ आवश्यक हो, उचित कार्रवाई भी की गई है। अंशदाता की सेवा निवृत्ति/पदरिक्ति/मृत्यु के छः माह की अवधि के पश्चात प्राप्त आवेदन-पत्रों के मामलों में भी यद्यपि अद्यतन सूद उपयुक्त रूप से देय होगा, परन्तु छःमाह की अवधि के बाद से विलम्ब की अवधि तक का सूद काट कर ही देय होगा।

3. यह 1.4.86 के पूर्व के उन सभी मामलों में भी लागू होगा, जिसमें भुगतान 1.4.86 तक नहीं हुआ है। [F. D. Memo No. एम 1-04/88/3373 वि० dated 6.5.88]'

[समीक्षा:– राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वर्षों के लिए निर्धारित की गई ब्याज-दरें नीचे दी जाती हैं–

(क) राज्य सरकार ने 31 मार्च, 1965, को निम्नांकित निधियों के अभिदाताओं के खाता में जमाराशियों तथा अतिशेषों पर देय ब्याज-दर 4 प्रतिशत निर्धारित की है। यह दर 1 ली अप्रैल, 1962, से शुरू होनेवाला वित्त-वर्ष के दौरान लागू रहेगी।

(ख) 31.3.1964 को जमाराशि पर 4 प्रतिशत। यह दर 1 अप्रैल, 1964, से लागू रहेगी।

(ग) 31.3.1965 को जमाराशि पर 4 1/4 प्रतिशत। यह दर 1 अप्रैल, 1965, से लागू रहेगी।

(घ) 31.3.1966 को जमाराशि पर 4.60 प्रतिशत। यह दर 1.4.1966 से लागू रहेगी।

(ङ) 1.4.1966 से 31.3.1967 तक जमाराशि पर 4.80 प्रतिशत।

(च) 1.4.67 से 31.3.68 तक 10,000 रुपए तक की जमाराशि पर 5.10 प्रतिशत और 10,000 रुपए से अधिक पर 4.80 प्रतिशत।

(छ) 1.4.68 से 31.3.1970 तक 10,000 रुपए तक की जमाराशि पर 5.10 प्रतिशत और 10,000 रु से अधिक पर 4.80 प्रतिशत।

(ज) 1.4.69 से 31.3.1970 तक 10,000 रू० तक की जमाराशि पर 5.10 प्रतिशत और 10,000 रू० से अधिक पर 4.80 प्रतिशत।

(झ) वर्ष 1970-71 (1.4.1970 से 31.3.1971) के लिए 10,000 रू० तक 5.50 प्रतिशत और 10,000 रू० से अधिक के लिए 4.80 प्रतिशत।

(ञ) वर्ष 1971-72 के लिए 10,000 रू० तक 5.70 प्रतिशत और 10,000 रू० से अधिक के लिए 5.00 प्रतिशत।

(ट) वर्ष 1972-74 के लिए 10,000 रू० तक 6 प्रतिशत और 10,000 रू० से अधिक के लिए 5.30 प्रतिशत।

(ठ) 1 अप्रैल, 1974 से 31 जुलाई, 1975 की अवधि के दौरान ब्याज-दर होगी–

(1) 15,000/- रू० तक की संचित राशि के लिए 6.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष;

(2) 15,000/- रू० से अधिक की संचित राशि के लिए 5.80 प्रतिशत प्रतिवर्ष।

(ड) 1 अगस्त, 1975 से 31 मार्च 1977 की अवधि के दौरान ब्याज:–

(1) 25,000/- रू० तक जमाराशि के लिए 7.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष;

(2) 25,000/- रू० से अधिक की संचित राशि के लिए 7.00 प्रतिशत प्रतिवर्ष।

(ढ) 1 अप्रैल, 1977 से 31.3.1980 की अवधि के दौरान ब्याज-दर:–

(1) 25,000/- रू० तक की संचित राशि के लिए 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष;

(2) 25,000/- रू० से अधिक की संचित राशि के लिए 7.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष।

(ण) 1 अप्रैल, 1980 से 31.3.1981 की अवधि के दौरान ब्याज दर :–

(1) 25,000/- रू० तक की संचित राशि के लिए 8.50 प्रतिशत;

(2) 25,000/- रू० से अधिक की संचित राशि के लिए 8 प्रतिशत।

(त) राज्य सरकार के नियमविधायी नियंत्रण के अधीन जिन निधियों पर उपर्युक्त निर्धारित ब्याज-दर लागू होगी वे है:–

(1) बिहार सामान्य भविष्य-निधि;

(2) अंशदायी भविष्य-निधि।]

राज्य सरकार के निर्णय :–

1.

*विषय–बिहार सामान्य निधि के अभिदाताओं के लिए प्रोत्साहन बोनस योजना।

उपर्युक्त विषय के संम्बन्ध में राज्य के सरकारी सेवकों को भविष्य निधि में जमा करने में प्रोत्साहित करने के निमित्त बोनस देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन था। इस सम्बन्ध में पूर्ण विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि जो सरकारी सेवक अपने भविष्य निधि खाते से लगातार पांच वर्षों तक कोई निकासी नहीं करेंगे उन्हें सम्पूर्ण शेष रकमों पर 1 (एक प्रतिशत) की दर से बोनस दिया जायगा। यह सुविधा 1 अप्रील, 1975 से लागू समझी जायगी।

जहाँ तक उपर्युक्त आदेश को पटना उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के सेविवर्ग के सम्बन्ध में लागू करने से सम्बद्ध है मुख्य न्यायधीश, पटना उच्च न्यायालय की सहमति तथा अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/परिषद की राय प्राप्त कर अलग से आदेश निर्गत किया जायगा। **[*Vide Memo no. M1 027/79/863F, dated 24.1.1980]**

2

*विषय–बिहार सामान्य भविष्य निधि तथा अंशदायी भविष्य निधि के अभिदाताओं की जमा रकमों पर वित्तीय वर्ष 1981-82 से ब्याज की दर।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 12174 दिनांक 28.11.1974 के अनुसार बिहार सामान्य भविष्य निधि तथा अंशदायी भविष्य निधि में अभिदाताओं की संचित राशियों पर उन्हीं दरों से ब्याज दिया जाता है जो दर भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की भविष्य निधियों में जमा राशियों के लिए विहित किया जाता है। राज्य के सरकारी कर्मचारी में बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा कर सूद की घोषणा को मद्दे नजर रखते हुए पूर्ण विचारोपरान्त राज्य सरकार ने वित्त विभाग के उपर्युक्त संकल्प संख्या 12174 दिनांक 28.11.1974 को संशोधित करते हुए बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली के नियम 14 एवं बिहार अंशदायी भविष्य निधि नियमावली के नियम 11 के अनुसार सामान्य भविष्य निधि के अभिदाताओं को उनकी जमा राशि पर चाहे वह राशि जितनी भी हो वित्तीय वर्ष 1981-82 से 10 (दस) प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देने का निर्णय लिया है जो अगले आदेश तक लागू रहेगा।

इसके अतिरिक्त अभिदाताओं को, अगर उन्होंने पहली अप्रील 1977 से लेकर पांच वर्षों तक अपने भविष्य निधि खाते से कोई रकम नहीं निकाली है, तो उनकी सम्पूर्ण रकमों पर एक प्रतिशत की दर से बोनस भी देय होगा। **[* ज्ञाप संख्या एम-04/81/4601 वि० दिनांक 4.4.1981 ।]**

3.

*विषय--बिहार सामान्य भविष्य निधि तथा अंशदायी भविष्य निधि के अभिदाताओं को जमा राशि पर दिनांक 1.4.84 से ब्याज की दर।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 12174/वि०, दिनांक 28.11.74 द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि वित्तीय वर्ष 1975-76 से बिहार सामान्य भविष्य निधि और बिहार अंशदायी भविष्य निधि में अभिदाताओं की संचित राशियों पर उसी दर से ब्याज प्राप्त होगा जो दर भारत सरकार उन अवधियों के लिये केन्द्र सरकार के भविष्य निधियों में जमा राशियों के सूद के सम्बन्ध में विहित करेगी। परन्तु वित्त विभाग के संकल्प संख्या-4601/वि० दिनांक 4.4.81 के द्वारा वित्तीय वर्ष 1981-82 से अगले आदेश तक के लिए 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज निर्धारित किया गया था। इसके अलावे 1.4.77 से लेकर पाँच वर्षों तक जो अभिदाता अपने भविष्य निधि खाता से कोई रकम निकासी नहीं करेंगे तो उनके सम्पूर्ण रकम पर एक प्रतिशत की दर से बोनस भी देय होगा।

2. अब भारत सरकार ने अपने संकल्प संख्या एफ 6(4)-पी० डी०/48 दिनांक 15.6.84 द्वारा दिनांक 1.4.84 से सामान्य भविष्य निधि लेखा में संचित राशि पर 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज निर्धारित किया है। इसके अलावे अप्रील, 82 से शूरू होनेवाले पहले तीन वर्षों में यदि किसी अभिदाता द्वारा अपने सामान्य भविष्य निधि खाते से कोई निकासी नहीं की गई होगी, तो उन्हें सम्पूर्ण जमा राशि पर एक प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन बोनस दिया जायेगा।

3. उपर्युक्त कंडिका के आलोक में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि–

1. राज्य सरकार ने संकल्प संख्या-4601 दिनांक 4.4.81 में वित्तीय वर्ष 1931-82 से 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देने का निर्णय लिया है वह अगले आदेश तक लागू रहेगा।

2. 1.4.1982 से शूरू होने वाले पहले 3 वर्षों में यदि अभिदाता द्वारा अपने भविष्य निधि खाते से कोई निकासी नहीं की गई होगी तो उन्हें सम्पूर्ण जमा राशि का एक प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन बोनस दिया जायेगा। **[*Vide Resolution No. 7596 dated 23.11.1984]**

4.

*विषय--बिहार सामान्य भविष्य-निधि तथा अंशदायी भविष्य-निधि के अभिदाताओं को उनका

जमा रकम पर दिनांक 1 जुलाई, 1985 से ब्याज की दर।

वित्त विभाग की संकल्प संख्या 12174-वि०, दिनांक 28 नवम्बर, 1974 के अनुसार बिहार सामान्य भविष्य-निधि तथा अंशदायी भविष्य-निधि में अभिदाताओं की संचित राशि पर इन्हीं दरों से ब्याज दिया जाता है जो दर भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय कर्मियों की भविष्य-निधियों में जमा राशि के लिए विहित किया जाता है। राज्य के सरकारी कर्मियों में बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से राज्य सरकार ने वित्त विभाग के उपर्युक्त संकल्प संख्या 12174-वि० दिनांक 28 नवम्बर, 1974 को शिथिल करते हुए यह निर्णय लिया है कि–

(1) 1 जुलाई, 1985 से अगले आदेश तक भविष्य-निधि में कुल जमा राशि पर ब्याज 12.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से देय होगा।

(2) पर राज्य सरकार के जो सेवक अधिसूचना संख्या-8997-वि० (2), दिनांक 18 मई 1983 में निर्धारित न्यूनतम दर से अपने सामान्य-निधि में अंशदान देने का विकल्प देंगे उन्हें राज्य सरकार के संकल्प संख्या-7596-वि० (2), दिनांक 23 नवम्बर, 1984 में निर्धारित दर अर्थात् 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दी जायेगी। [* Vide Memo No. 4193 dated 13.7.1985]

5.

*विषय–बिहार सामान्य भविष्य निधि एवं बिहार अंशदायी भविष्य निधि में जमा राशि पर 1.4.85 से सूद की दर।

वित्त विभाग की संकल्प संख्या 12174 वि० दिनांक 28.11.1974 में यह निर्णय लिया गया था कि बिहार सामान्य भविष्य निधि और बिहार अंशदायी भविष्य निधि में अभिदाताओं को संचित राशियों पर उन्हीं दरों से ब्याज देय होगा जो दर भारत सरकार केन्द्रीय कर्मचारियों की भविष्य निधि में जमा राशि पर विहित करेगी। भारत सरकार वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के संकल्प 6(2)-पी० डी०/85 दिनांक 22.5.85 द्वारा 1985-86 के लिए 10.5 प्रतिशत वार्षिक सूद की दर निर्धारित की है। तदनुसार बिहार भविष्य निधि और बिहार अंशदायी भविष्य निधि में जमा राशि पर 1.4.85 से 10.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से सूद देय होगी।

2. बिहार सामान्य भविष्य निधि में जमा राशि पर सूद की उपर्युक्त दर 1.4.85 से 30.6.85 तक ही लागू रहेगी। 1.7.85 से बिहार सामान्य भविष्य निधि में जमा राशि पर निम्न दर से सूद अनुमान्य होगी –

(i) जो अंशदायी अधिसूचना-संख्या 4184 वि० दिनांक 13.7.85 द्वारा प्रतिस्थापित नियम 11 (i) (बी) के अनुसार भविष्य निधि में अंशदान देते हैं, उनकी जमा राशि पर 12.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से

(ii) जो अंशदायी अधिसूचना संख्या 4967 वि० दिनांक 18.5.83 में निर्धारित न्यूनतम दरों पर अंशदान देते हैं उनकी जमा राशि पर 10.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से।

3. संकल्प संख्या 4193 वि० दिनांक 13.7.85 को तदनुसार संशोधित माना जाय।

[* वित्त विभाग ज्ञाप संख्या एम०-1 : 10/85/7530 वि० (2) दिनांक 29.11.1985 ।]

6.

* विषय–बिहार सामान्य भविष्य निधि के अभिदाताओं को उनकी जमा रकम पर समय-समय पर ब्याज की दर के संबंध में राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय का स्पष्टीकरण।

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि भविष्य निधि की जमा रकम पर ब्याज की दरों के संबंध में, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत किए गये परिपत्रों के बावजूद भी जिला कार्यालयों में अत्यन्त भ्रांति देखने में आ रही है, विशेष रूप से 1.7.85 से ब्याज किस दर से देय होगा,

इस संबंध में अनेक पत्र जिलों से प्राप्त हो रहे हैं। अतएव, 1975-76 से ही भविष्य निधि में जमा रकम पर देय सूद की राशि को जिला कार्यालयों की सुविधा हेतु पुनः नीचे दर्शाया जा रहा है–

क्रमांक	अवधि	सूद की दर
1	2	3
1.	1975-76 से 1976-77 तक	(क) 25,000 रु० तक—7.5% (ख) 25,000 रु० से ऊपर—7%
2.	1977-78 से 1979-80 तक	(क) 25,000 रु० तक—8% (ख) 25,000 रु० से ऊपर 7.5%
3.	1980-81	(क) 25,000 रु० तक—8.5% (ख) 25,000 रु० से ऊपर 8%
4.	1981-82 से 1984-85	10 प्रतिशत (बिना किसी सीमा के)
5.	1985-86 से (केवल तीन माह)	10.5 प्रतिशत (बिना किसी सीमा के)
6.	अप्रैल, मई तथा जून, 1986 के लिए	(क) राजपत्रिक पदाधिकारियों द्वारा कम-से-कम 15% तथा अराजपत्रिक कर्मचारियों द्वारा कम-से-कम 12.5% अंशदान देने पर सूद की दर 12.5% (ख) राजपत्रित पदाधिकारियों द्वारा कम-से-कम 12.5% एवं अराजपत्रित कर्मचारियों द्वारा कम-से-कम 10% अंशदान देने पर सूद की दर 10.5%।

2. यदि जिला कार्यालयों में कोषागार पदाधिकारियों/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा अंशदाता विशेष के संबंध में प्रस्तुत किये गये कागजात। अभिलेखों से यह स्पष्ट नहीं होता कि अंशदाता ने तिथि 1.7.1985 से अपने भविष्य निधि में क्या अंशदान किया है, तो वैसी परिस्थिति में भविष्य निधि कार्यालयों द्वारा तिथि 1.7.85 की कटौती के संबंध में राजपत्रित पदाधिकारियों के मामले में संबंधित कोषागार पदाधिकारी से तथा अराजपत्रित कर्मचारियों के संबंध में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से इस संबंध में प्रमाण-पत्र की मांग की जा सकती है।

3. निदेशालय को बहुधा ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि भविष्य निधि के अंशदान संबंधित परिपत्र में "परिलब्धि" शब्द का अर्थ जिला कार्यालय द्वारा गलत लगाया जा रहा है, और इस संबंध में निदेशालय से स्पष्टीकरण की माँग की जा रही है। अतएव, यह स्पष्ट किया जाता है कि "परिलब्धि" शब्द को विभिन्न प्रयोजनों के लिए भिन्न-भिन्न रूप से परिभाषित किया गया हैं भविष्य-निधि नियमावली में "परिलब्धि" शब्द निम्न रूप से परिभाषित है–

"अन्यथा अभिव्यक्त: उपबंधित के सिवाय परिलब्धियों से अभिप्रेत है बिहार सेवा संहिता में यथा परिभाषित वेतन, छुट्टी वेतन या जीवन-निर्वाह अनुदान और इसमें विनिमय की ऐसी दर पर रूपान्तरित स्टर्लिंग समुद पार वेतन जो इस निमित्त प्रांतीय सरकार विहित करें और विदेश-सेवा से सम्बन्धित प्राप्त वेतन के स्वरूप का पारिश्रमिक भी शामिल है।"

उपर्युक्त परिभाषा से यह पूर्णत: स्पष्ट हो जाता है कि "परिलब्धि" का अर्थ कोई भी भत्ता अथवा अन्तरिम सहायता निश्चित रूप से नहीं है। [*F.D. Memo No. - 6779 भ० नि० (3) dated 9.8.1988]

7.

बिहार सरकार वित्त विभाग, पत्र संख्या जी॰ पी॰ एफ॰ 01.698/90/1606 वि (अ॰) दिनांक 27.10.1995, प्रेषक श्री विजय शंकर दुबे, आयुक्त एवं सचिव, प्रेषित-निदेशक भविष्य निधि निदेशालय/सभी जिला पदाधिकारी एवं सभी जिला भविष्य निधि पदाधिकारी।

विषय–बिहार सामान्य भविष्य निधि में जमा की जानेवाली निर्धारित राशि में किसी वर्ष विशेष में किसी सरकारी कर्मी द्वारा कम राशि जमा कराने के फलस्वरूप जमा की गई राशि पर ब्याज निर्धारण के सम्बन्ध में।

बिहार भविष्य निधि नियमावली में अधिसूचना संख्या 4184, दिनांक 13.7.85, द्वारा संशोधन कर यह प्रावधान किया गया है राजपत्रित पदाधिकारी को अपनी परिलब्धियों का कम-से-कम 15% तथा अराजपत्रित कर्मचारी को 12 1/2% भविष्य निधि में अंशदान के रूप में जमा कराना होगा। साथ ही, यह व्यवस्था भी की गई है कि जो सरकारी सेवक अधिसूचना संख्या 4967, दिनांक 18.5.1983 के क्रम में पूर्व से निर्धारित न्यूनतम दर पर ही अंशदान देना चाहते हों, उन्हें ऐसा करने की छूट रहेगी, वशर्ते कि वे इस आशय का विकल्प दिनांक 26.7.85 तक दे दें। बाद में, वित्त विभाग के ज्ञापांक 7529, दिनांक 29.11.85, द्वारा यह प्रावधान किया गया कि पुरानी योजनानुसार भविष्य निधि में अंशदान देने वाले कर्मी यदि अभी भी नयी योजना में आना चाहते हों तो वे ऐसा कर सकते हैं, वशर्ते कि वे जुलाई, 85 से नवम्बर, 85 तक का बकाया अंशदान दिसम्बर, 85 के वेतन से कटा दें। इसके बाद, उन्हें नयी योजना में आने का विकल्प उपलब्ध नहीं रहेगा। यह व्यवस्था तब से अभी तक यथावत् लागू है और इसमें परिवर्त्तन करने का कोई विचार राज्य सरकार नहीं रखती है।

2. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 7530 वि॰ (2), दिनांक 29.11.1985, की कंडिका-2 में यह प्रावधान है कि दिनांक 1.7.85 से बिहार सामान्य भविष्य निधि में कटौती एवं जमा कराई गई राशि पर ब्याज की गणना निम्न दर से की जायेगी।

(i) जो अंशदायी अधिसूचना संख्या 4184, वि॰, दिनांक 13.7.85 द्वारा प्रतिस्थापित नियम 11 (i) (बी) के अनुसार भविष्य निधि में अंशदान देते हैं, उनकी जमा राशि पर 12 1/2% प्रतिशत वार्षिक की दर से।

(ii) जो अंशदायी अधिसूचना संख्या 4967 वि॰, दिनांक 18.5.83 से निर्धारित न्यूनतम दरों पर अंशदान देते हैं, उनकी जमा राशि पर 10.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से।

3. सरकार के सामने ऐसे कई मामले आये हैं कि यदि कोटि (2) (1), अर्थात् नई योजना के अन्तर्गत आने वाले किसी अंशदायी के निर्धारित मासिक अंशदान में किसी एक माह में भी निर्धारित अंशदान की राशि में एक रुपया की भी कमी हो जाती है तो उस अंशदायी को उक्त माह से ही उसकी पूरी सेवा अवधि तक 12.50 प्रतिशत ब्याज की दर से वंचित हो जाना पड़ता है और उसे मात्र 10.50 प्रतिशत की दर से ही ब्याज प्राप्त होता है, भले ही उस अंशदायी द्वारा आने वाले महीनों में क्यों न निर्धारित राशि ही अपने भविष्य निधि अंशदान में कटाई गई हो : इससे अंशदाताओं को कई कठिनाईयाँ हो रही है और उन्हें वित्तीय क्षति का भी सामना करना पड़ रहा है। अत: उक्त स्थिति पर भली-भाँति विचार कर सरकार ने यह निर्णय लिया है कि यदि किसी अंशदायी के मासिक अंशदान की निर्धारित न्यूनतम राशि किसी वित्तीय वर्ष के एक या एक से अधिक माहों में कम जमा हुई हो तो उस अंशदायी को केवल उसी वित्तीय वर्ष में ब्याज की राशि 12.50 प्रतिशत की दर से देय न होकर मात्र 10.50 प्रतिशत की दर से देय होगी। अगले वित्तीय वर्ष में यदि अंशदायी निर्धारित न्यूनतम अंशदान देना प्रारम्भ कर देता है और उसने पिछले वित्तीय वर्ष में निर्धारित न्यूनतम अंशदान की राशि से जो राशि कम जमा की थी, यदि वह उसे, मात्र 12.50% ब्याज के अपने अंशदान में जमा कर देता है, तो उसे नियमानुकूल 12.50 प्रतिशत की दर से सूद दिया जायेगा।

8.

विषय:–बिहार सामान्य भविष्य निधि में जमा की जाने वाली निर्धारित राशि से किसी वर्ष विशेष में किसी सरकारी कर्मचारियों द्वारा कम राशि जमा कराने के फलस्वरूप जमा की गई राशि पर ब्याज निर्धारण के संबंध में।

प्रसंग:– वित्त विभाग का पत्रांक जी॰ पी॰ एफ - 1-698/90-1606 वि॰ (अ॰) दिनांक 27.10.1995।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में वित्त विभाग के पत्र सं॰ जी॰ पी॰ एफ॰ 1-698/90-1606/वि॰ (अ॰) दिनांक 27.10.1995 के कार्यान्वयन के संबंध में निम्नांकित अनुवर्ती निदेश दिये जाते हैं:–

1. बिहार भविष्य निधि नियमावली में अधिसूचना संख्या-4184 दिनांक 13.7.85 द्वारा किये गये संशोधन जिसके तहत राजपत्रित पदाधिकारी को अपनी परिलब्धियों का न्यूनतम 15 प्रतिशत एवं अराजपत्रित कर्मचारी को 12.5 प्रतिशत भविष्य निधि में अंशदान के रूप में जमा करने का प्रावधान है, के अधीन जो सरकारी सेवक इस योजना में दिसम्बर, 85 तक सम्मिलित नहीं हुए वे प्रसंगाधीन पत्र के प्रावधानों के लाभ के हकदार नहीं होंगे।

2. भविष्य निधि में अंशदान हेतु न्यूनतम निर्धारित राशि की गणना हेतु "परिलब्धियों" का आकलन बिहार सेवा संहिता के वेतन की परिभाषा के अनुसार किया जाता है, जिसके अनुसार वेतन में विशेष वेतन एवं वैयक्तिक वेतन शामिल हैं।परन्तु पंचम वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसाओं को मान्य करते हुए राज्य सरकार (वित्त विभाग) के ज्ञाप सं॰-3/ पी॰ ए॰ आर॰ -1-3/89-6021/ एफ॰ (2) दिनांक 18.12.89 द्वारा निर्गत संकल्प की कंडिका 7 में यह निर्णय लिया गया है कि न्यूनतम देय राशि हेतु अंशदाता के केवल मूल वेतन को आधार माना जाय, विशेष वेतन या अन्य कोई वेतन उसमें शामिल नहीं किया जाय तदनुसार मार्च, से राजपत्रित कर्मियों को अपने मूल वेतन का न्यूनतम 15 प्रतिशत एवं अराजपत्रित कर्मियों को 12.5 प्रतिशत अंशदान के रूप में जमा कराना अपेक्षित है तभी उसमें 12.5% प्रतिशत की दर से सूद अनुमान्य होगा।

3. वित्त विभाग के प्रसंगाधीन पत्र सं॰ 1606 दिनांक 27.10.1995 के अंतिम अंश में यह निर्णय लिया गया था कि यदि किसी अंशदाता द्वारा किसी माह/वर्ष में न्यूनतम राशि से कम राशि जमा कराई गई है तो उन्हें उस वर्ष 10.5% की दर से सूद देय होगा और बाद के वर्षों में यदि उन्होंने निर्धारित न्यूनतम कटौती कराई होती हो उन्हें 12.5% की दर से सूद तभी देय होगा जब वे पूर्व की कमी की भरपाई चक्रबृद्धि ब्याज के आधार पर करेंगे। अब इसे एतदवार संशोधित किया जाता है कि कम जमा की गई राशि की भरपाई नहीं की जाएगी और प्रत्येक माह/वर्ष में यह अलग-अलग देखा जाएगा कि अंशदाता द्वारा न्यूनतम राशि जमा की गई है अथवा नहीं। जिस वर्ष में न्यूनतम राशि जमा की गई होगी उनमें 12.5% एवं जिस वर्ष में उससे कम जमा किया गया हो उस उस वर्ष में 10.5% की दर से सूद जोड़ा जाएगा।

4. प्रसंगाधीन पत्र के द्वारा देय सुविधा का लाभ दिसम्बर 85 तक "नई योजना" में शामिल हो गए सभी अंशदाताओं को प्राप्त होगा भले ही वे सेवा निवृत्त हो गए हों या पूर्व में भविष्य निधि की राशि की अंतिम निकासी भी कर लिए हों। परन्तु उपर्युक्त निर्णय के आलोक में देय राशि पर सूद की गणना अंतिम निकासी का प्राधिकार पत्र निर्गत करने की अवधि तक ही होगी। **[* वित्त विभाग पत्र सं॰ पी॰ जी एफ॰ 1-404/95/15396 दिनांक 23.11.96 ।]**

9.

बिहार सरकार (भविष्य निधि निदेशालय) वित्त विभाग, पत्र सं॰-जी॰ पी॰ एफ॰-1-404/95-6991, दिनांक 7.7.97, प्रेषक, श्री रामेश्वर सिंह, निदेशक, सेवा में, सहायक निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, सभी जिला भविष्य निधि पदाधिकारी।

विषय–बिहार सामान्य भविष्य निधि में जमा की जानेवाली निर्धारित राशि से किसी वर्ष विशेष में किसी सरकारी कर्मी द्वारा कम राशि जमा कराने के फलस्वरुप जमा की गयी राशि पर ब्याज निर्धारण के संबंध में।

उपर्युक्त विषय से संबंधित भविष्य निधि निदेशालय के पत्रांक 15396 दिनांक 23.11.96 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि उक्त परिपत्र में यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जुलाई 85 से नई योजना में शामिल पदाधिकारी/ कर्मचारी 12.5% सूद पाने के हकदार होंगे और आगे के वर्ष में किसी माह में कटौती निर्धारित प्रतिशत से कम होने पर संबंधित वर्ष में जमा तथा बैलेंस राशि पर 10.5% सूद ही देय होगा। इसके बावजूद कुछ ऐसे मामले प्रकाश में आएँ जिनमें परिपत्र के अनुसार गणना नहीं की जा रही है। जिला भविष्य निधि पदाधिकारियों की दिनांक 28.5.97 की राज्य स्तरीय बैठक में चर्चा के आधार पर पुनः स्पष्ट किया जाता है कि–

(1) नई योजना में शामिल सभी पदाधिकारियों/ कर्मचारियों को उक्त परिपत्र के अनुसार सूद का लाभ देय होगा।

(2) नई योजना में शामिल होने का "कट ऑफ डेट" जुलाई 1985 थी, सभी बकाया एक साथ जमा करते हुए दिसम्बर 85 तक उक्त योजना में शामिल होने की सुविधा सभी पदाधिकारियों/ कर्मचारियों को थी। उनके बाद बकाया जमा कराने या अन्य प्रकार से यह सुविधा मान्य नहीं है।

(3) नई योजना में शामिल होने के लिए 15% (राजपत्रित पदाधिकारियों के लिए) और 12.5% (अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए) की गणना जुलाई 85 में प्राप्त परिलब्धियों के आधार पर ही होनी चाहिए। तदनुसार कटौती होने पर उन्हें नई योजना में शामिल माना जाएगा भले ही बाद में वेतन पुनरीक्षण या वेतन वृद्धि के चलते यह निर्धारित प्रतिशत से कम पड़ जाए।

(4) जुलाई 85 या उसके बाद सरकारी सेवा में आए पदाधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए पुरानी योजना का ऑप्शन था ही नहीं, अतः वैसे सभी कर्मचारियों/ पदाधिकारियों को नई योजना में शामिल मानते हुए (भले ही योगदान के वर्ष में ही उनकी कटौती में कमी हो) उपर्युक्त परिपत्र के अनुसार सूद की गणना की जाएगी।

10.

बिहार सरकार, वित्त विभाग, अधिसूचना सं॰ 3392 दि॰ 1.12.1999

भारतीय संविधान की धारा 309 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली 1948 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं–

1. वर्त्तमान नियम 11(1) (बी) के स्थान पर नियम निम्न रुप में पुनः स्थापित (substitute) किया जाय। नियम 11(1)(बी)–यह पूर्ण रुप से अभिव्यक्त कोई भी राशि हो सकती है जो अधिकतम कुल परिलब्धियों की सीमा के अन्तर्गत तथा न्यूनतम पुनरीक्षित वेतनमान में निर्धारित कुल परिलब्धियों का 6% प्रतिशत हो। यह समान रूप से सभी राजपत्रित एवं अराजपत्रित सरकारी सेवकों पर अनिवार्यतः लागू होगा।

   नोट–परिलब्धि से अभिप्रेत है–मौलिक नियमावली में यथा परिभाषित वेतन, छुट्टी वेतन या जीवन निर्वाह भत्ता (Subsistence allowance) एवं इस पर अनुमान्य महंगाई वेतन आदि अनुमान्य हो, एवं बाह्य नियोजन में प्राप्त कोई राशि जो वेतन के रुप में परिभाषित हो।

2. अंशदान की उपर्युक्त दर इस अधिसूचना के निर्गत होने के बाद के माह से लागू होगी

तथा ब्याज की नई दर 12 (बारह) प्रतिशत वार्षिक 1 अप्रैल 1999 से देय होगी। यह दर समान रुप से सभी राजपत्रित एवं अराजपत्रित सरकारी सेवकों पर लागू होगी। अंशदान पर ब्याज की गणना सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवायें) नियमावली 1960 के नियम 11 के प्रावधान के तहत की जायगी।

3. वित्तीय वर्ष 1999-2000 से पहले ब्याज की देयता समय-समय पर वित्त विभाग/ भविष्य निधि निदेशालय से निर्गत परिपत्रों/ पत्रों के आलोक में ही की जायेगी।

4. आदेश निर्गत होने के बाद किसी भी माह या वर्ष में पुनरीक्षित वेतनमान कुल परिलब्धियों का 6 (छः) प्रतिशत अंशदान से कम और कुल परिलब्धियों से अधिक कटौती होने पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा वेतन की निकासी नहीं की जायेगी। फिर त्रुटि वश यदि ऐसा कोई मामला बाद में प्रकाश में आता है तो प्रसंगाधीन राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

5. इस आदेश के निर्गत होने के पूर्व सेवा निवृत्त हुये कर्मचारियों/ पदाधिकारियों को भविष्य निधि अंशदान पर पूर्व की दरों से ही ब्याज देय होगा।

6. अपरिहार्य कारणवश पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन पुनरीक्षित नहीं होने तक अंशदान की कटौती वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या 4184 (वि) दिनांक 13.7.85 में विहित रीति के अनुसार होती रहेगी। वेतनमान पुनरीक्षित होने पर इस अधिसूचना के अनुसार अंशदान की राशि कम होने की दशा में अतिरिक्त कटौती कर समायोजित कर ली जायगी।

7. जहाँ तक उच्च न्यायालय/ बिहार विधान सभा/ बिहार विधान परिषद के कर्मचारियों के अंशदान का प्रश्न है, इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय/ अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/ सभापति, बिहार विधान परिषद की स्वीकृति प्राप्त कर अलग से आदेश निर्गत किया जायगा।

11.

बिहार सरकार, वित्त विभाग, अधिसूचना सं॰-4968 वि॰ (2) दिनांक 19.7.2000।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के संकल्प संख्या-एफ॰ 5(1) पी॰ डी॰-2000 दिनांक 1.4.2000 के द्वारा वर्ष 2000-2001 के दौरान सामान्य भविष्य निधि अभिदाताओं के खाते में संचित राशि पर 11 (ग्यारह) प्रतिशत की दर से ब्याज का निर्धारण कर दिया गया है।

2. तदनुसार राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि दिनांक 1.4.2000 से सभी राज्य कर्मियों के लिए वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या-3392 दिनांक 1.12.99 द्वारा निर्धारित भविष्य निधि अंशदान एवं खाते से संचित राशि पर ब्याज की दर 11 (ग्यारह) प्रतिशत कर दी जाय।

3. वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-3392 दिनांक 1.12.99 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

4. जहाँ तक पटना उच्च न्यायालय, बिहार विधान सभा, बिहार विधान परिषद् के पदाधिकारियों एवं कर्मचारीयों के अंशदान के राशि पर ब्याज की उक्त दर के निर्धारण का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय, अध्यक्ष, बिहार विधान सभा, सभापति, बिहार विधान परिषद के स्वीकृति प्राप्त कर अलग से निर्गत किया जायगा।

12.

बिहार सरकार, वित्त विभाग, पत्र संख्या–वि॰ 2-12/2002/2883/वि॰, दिनांक 4.4.2002।

प्रेषक, श्री नवीन कुमार सिन्हा, सरकार के संयुक्त सचिव। सेवा में, सभी विभागीय आयुक्त एवं सचिव/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी नियंत्री पदाधिकारी।

विषय–वित्तीय वर्ष 2002-2003 की अवधि में भविष्य निधि एवं ग्रुप बीमा योजना मद में संचित राशि के भुगतेय राशि के आकलन सम्बन्धी सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार भविष्य निधि एवं ग्रुप बीमा योजना के भुगतान को बजट के अधीन रखना चाहती है। अतः निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के प्रसंग में मुझे कहना है कि निम्नांकित सूचनायें वित्त विभाग (प्रशाखा-6) को शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाये :–

1. वित्तीय वर्ष 2002-2003 में सेवा निवृत्ति के कितने मामले होंगे तथा सेवा निवृत्ति के फलस्वरुप सामान्य भविष्य निधि एवं ग्रुप बीमा योजना के तहत अनुमान्यतः कितनी राशि का भुगतान करना होगा।

2. सामान्य भविष्य निधि से विगत एक-दो वर्षों में अग्रिम (स्थायी या अप्रत्यपर्णीय अग्रिम) की निकासी का क्या Trend रहा है।

3. उपर्युक्त कॉडिका-2 के आधार पर वित्तीय वर्ष 2002-03 में भविष्य निधि से अग्रिम के रुप में कितनी राशि की निकासी की संभावना है। इस सम्बन्ध में आकलन कर अनुमानित औसत आंकड़ा दिया जाये।

13.

वित्त विभाग संकल्प सं०-3307 दिनांक 1 जून 2001

विषय–सामान्य भविष्य निधि अभिदाताओं के खाता में संचित राशि पर दिनांक 1 अप्रील 2001 के प्रभाव से 9.5 प्रतिशत (साढ़े नौ प्रतिशत) की दर से देय ब्याज के निर्धारण के संबंध में।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के संकल्प संख्या एफ-5(1) पी० डी०/2001-2002 द्वारा सामान्य भविष्य निधि अभिदाताओं की भविष्य निधि से संचित राशि पर 9.5 प्रतिशत (साढ़े नौ प्रतिशत) की दर से ब्याज का निर्धारण किया गया है।

2. तदनुसार राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि दिनांक 1 अप्रील, 2001 से सभी राज्य कर्मियों के लिये भविष्य निधि अंशदान एवं खाता में संचित राशि पर देय ब्याज की दर 9.5 प्रतिशत (साढ़े नौ प्रतिशत) निर्धारित की जाय। इस संबंध में पूर्व में निर्गत वित्त विभाग की अधिसूचना सं० 4968, दिनांक 19 जुलाई 2000 को इस पद तक संशोधित समझा जायगा।

3. जहाँ तक पटना उच्च न्यायालय/बिहार विधान-सभा/ बिहार विधान परिषद् के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के अंशदान की राशि पर ब्याज की उक्त दर के निर्धारण का प्रश्न है, इस संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय, पटना/अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से वह लागू होगा।

14.

बिहार सरकार, वित्त विभाग, संकल्प ज्ञापांक 5313 वि० (2) दिनांक 5.7.2002

विषय–सामान्य भविष्य निधि अभिदाताओं के खाता में संचित राशि पर दिनांक 1.4.2002 के प्रभाव से 9 प्रतिशत (नौ प्रतिशत) की दर से ब्याज के निर्धारण के सम्बन्ध में।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के संकल्प संख्या एफ०-5(1) पी० डी० 2002 दिनांक 30.3.2002 द्वारा सामान्य भविष्य निधि अभिदाताओं का भविष्य निधि में संचित राशि पर 9 प्रतिशत (नौ प्रतिशत) की दर से ब्याज का निर्धारण किया गया है।

2. तदनुसार राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि दिनांक 1.4.2002 से सभी राज्य कर्मियों के लिए भविष्य निधि अंशदान एवं खाता में संचित राशि पर देय ब्याज की दर 9 प्रतिशत (नौ प्रतिशत) निर्धारित की जाय। इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-3307 दिनांक 1.6.2001 को इस हद तक संशोधित समझा जायेगा।

3. जहां तक पटना उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/ बिहार विधान परिषद् के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के अंशदान की राशि पर ब्याज की उक्त दर के निर्धारण का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/ पटना/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/ सभापति, बिहार विधान परिषद् का अनुमोदन प्राप्त कर और सम्बन्धित सचिवालय/ कार्यालय द्वारा आदेश निर्गत किया जाएगा।

15.

बिहार सरकार, वित्त विभाग संकल्प ज्ञापांक 5223 वि० (2) दि० 20.7.2004

विषय–सामान्य भविष्य निधि अभिदाताओं के खाता से संचित राशि पर दिनांक 1.4.2003 के प्रभाव से 8 (आठ) प्रतिशत की दर से देय ब्याज के निर्धारण के संबंध में।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के संकल्प संख्या–एफ 05(1) पी० डी० 2003 दिनांक 12.3.2003 द्वारा सामान्य भविष्य निधि अभिदाताओं की भविष्य निधि में संचित राशि पर 8 (आठ) प्रतिशत की दर से ब्याज का निर्धारण किया गया है।

2. तदनुसार राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि दिनांक 1.4.03 के सभी राज्य कर्मियों के लिये भविष्य निधि अंशदान एवं खाता में संचित राशि पर देय ब्याज की दर 8 (आठ) प्रतिशत निर्धारित की जाय। इस संबंध में पूर्व में निर्गत वित्त विभाग के संकल्प संख्या-5313 वि० 5.7.2002 को इस हद तक संशोधित समझा जायगा।

3. जहाँ तक पटना उच्च न्यायालय/ बिहार विधान सभा/ बिहार विधान परिषद् के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के अंशदान की राशि पर ब्याज की उक्त दर के निर्धारण का प्रश्न है इस संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय, पटना/ अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् का अनुमोदन प्राप्त कर संबंधित सचिवालय/ कार्यालय द्वारा आदेश निर्गत किया जायेगा।

16.

बिहार सरकार, वित्त विभाग, संकल्प ज्ञापांक वि० (2)-5/99/7094 वि० दिनांक 28.9.2004

विषय :–सामान्य भविष्य निधि अभिदाताओं के खाता में संचित राशि पर दिनांक 1.4.04 के प्रभाव से वर्ष 2004-05 के लिए ब्याज की दर 8 (आठ) प्रतिशत के निर्धारण के संबंध में।

भारत सरकार वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के संकल्प सं० एफ-5(1) पी० डी०-2004 दिनांक 22.7.04 द्वारा वर्ष 2004-05 के लिए सामान्य भविष्य निधि अभिदाताओं की भविष्य निधि में संचित राशि पर गत ब्याज की दर 8 (आठ) प्रतिशत निर्धारित की गयी है।

2. तदनुसार राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि वित्तीय वर्ष 2003-04 की तरह दिनांक 1.4.04 से सभी राज्य कर्मियों के लिए भविष्य निधि में संचित राशि पर ब्याज की दर 8 (आठ) प्रतिशत ही निर्धारित की जाय।

3. जहाँ तक पटना उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के अंशदान की राशि पर ब्याज, ब्याज की उक्त दर के निर्धारण का प्रश्न है, इस संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय, पटना/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/ सभापति, बिहार विधान परिषद् का अनुमोदन प्राप्त कर संबंधित सचिवालय/कार्यालय द्वारा आदेश निर्गत किया जायेगा।

निधि से अग्रिम

15. (1) निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन इस नियम के उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट उपयुक्त प्राधिकारी के विवेक के अनुसार अभिदाता को उसके खाता में स्थित राशि से अस्थायी अग्रिम स्वीकृत किया जा सकेगा:–

(क) कोई भी अग्रिम तबतक नहीं स्वीकृत किया जाएगा जबतक स्वीकृत करनेवाले प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाएगा कि अवेदक की वित्तीय परिस्थितियां इसे न्यायोचित ठहराती हैं और इसका

खर्च निम्नलिखित कार्यों पर ही किया जाएगा, अन्य कार्यों पर नही:–

(i) आवेदक या उसपर वस्तुत: आश्रित किसी अन्य व्यक्ति की लम्बी बीमारी पर किये गये खर्च के भुगतान पर;

(ii) आवेदक या उस पर वस्तुत: आश्रित किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य अथवा शिक्षा के लिए समुद्रपार यात्रा-व्यय भुगतान पर;

[1][(iii) आवेदक या उसपर वस्तुत: आश्रित किसी व्यक्ति की शिक्षा–वृत्तिक या व्यावसायिक शिक्षण पाठ्यक्रम, पर भारत के बाहर दी जानेवाली शिक्षा सम्बन्धी भुगतान पर;

[2][(iv) आवेदक या उसपर वस्तुत: आश्रित किसी व्यक्ति के उच्च विद्यालय स्तर से ऊपर भारत में चिकित्सा, इंजीनियरी और अन्य तकनीकी या विशेष शिक्षा पर आनेवाला खर्च के भुगतान पर, वशर्ते कि उक्त शिक्षा-क्रम तीन वर्ष से कम का न हो;

(v) विवाह, श्राद्ध या वैसे अनुष्ठान, जिसे करने के लिये आवेदक धर्मानुसार बाध्य हो, उसकी हैसियत लायक अनिवार्य खर्च के भुगतान पर;

(vi) आवेदक के लिये आवासीय भवन का निर्माण, क्रय या मरम्मती के खर्च पर; और

(vii) आवेदक द्वारा किये गये विधि से संबंधित खर्चों के वहन पर।

टिप्पणी 1- अभिदाता की पूरी सेवावधि में उपखंड (vi) में उल्लिखित कार्य के लिए एक से अधिक अग्रिम नहीं स्वीकृत किया जाएगा।

टिप्पणी 2- उप-खंड (vii) के तहत अग्रिम सरकारी सेवक को उन दोनों स्थितियों में अनुमतेय होगा, जहां उसके पदीय कार्यों के निष्पादन के सम्बन्ध में उसके द्वारा किया गया। किया माना गया किसी कृत्य विषयक किसी अभियोग के सम्बन्ध में, तथा जहां किसी कथित पदीय कदाचार के सम्बन्ध में उसके विरूद्ध विधि-न्यायालय में सरकार द्वारा संस्थित अभियोजन में, उसे अपनी स्थिति प्रमाणित करने के लिए कानूनी कार्रवाई की शरण लेनी होगी। पूर्ववर्ती तरह के मुकदमों में, निधि से प्राप्य अग्रिम, अन्य सरकारी स्रोतों से उसी प्रयोजन के लिए अनुमतेय अग्रिम के अतिरिक्त होगा।

टिप्पणी 3- (1) जहां सरकारी सेवक, सरकारी सेवक होने की अपनी स्थिति से असंबंधित किसी घटना के सम्बन्ध में विधि न्यायालय की शरण में जाएगा, या (2) जहां सरकारी सेवक अपनी सेवा विषयक किसी शिकायत के सम्बन्ध में अथवा उसपर लगाई गई किसी शास्ति के विरूद्ध सरकार पर वाद लाएगा, वहां उप-खंड (vii) के तहत कोई अग्रिम अनुमतेय नहीं होगा।

(ख) स्वीकृति-प्राधिकारी अग्रिम स्वीकृत करने के लिए कारण अभिलिखित करेगा। परन्तु यदि उक्त कारण गोपनीय प्रकृति का होगा तो लेखा पदाधिकारी को व्यक्तिगत रूप से और/अथवा गोपनीय रूप से संसूचित किया जाएगा।

(ग) सिवा विशेष कारण के, अग्रिम

(i) तीन महीने का वेतन या निधि में अभिदाता के खाता में जमाराशि का आधा इनमें जो कम हो, से ज्यादा नहीं होगा; या

(ii) नियम 15 (क) (iv) में उल्लिखित कार्य के लिए स्वीकृत अग्रिम बारह महीने का वेतन या [3][45,000 रू०] या निधि में अभिदाता के खाता में जमा राशि का आधा, इनमें जो कम हो, से ज्यादा नहीं होगा; या

1. ज्ञाप सं० 2567 वि० दि० 27.2.1954 द्वारा अन्त:स्थापित तथा शेष खण्डे पुनर्संख्यांकित।
2. शुद्धि पत्र सं० 3 दि० 24.4.1951 द्वारा अन्त:स्थापित।
3. रूपये 30000 के लिए प्रतिस्थापित।

(iii) नियम 15 (1) (क) (v) में उल्लिखित कार्य के लिए स्वीकृत अग्रिम-तीन महीने का वेतन या 500/- रु०, जो अधिक हो, से ज्यादा नहीं होगा, परंतु किसी भी स्थिति में (स्वीकृत) राशि निधि स्थित अभिदाता की जमाराशि के आधा से अधिक नहीं होगा; या

(iv) उस वक्त तक स्वीकृत किया जाएगा जबतक सभी पूर्व के अग्रिमों, साथ-साथ उनपर ब्याज, की अंतिम वापसी से कम-से-कम बारह महीने न बीत गये हों, अन्यथा पूर्व में अग्रिम दी गई राशि उपनियम (ग) (i) के तहत अनुमतेय राशि के दो-तिहाई से अधिक न हो।

(2) अग्रिम-राशि निश्चित करते समय, स्वीकृति-प्राधिकारी अभिदाता के निधि-खाता में जमा राशि का समुचित ध्यान रखेंगे।

(3) अग्रिम, स्वीकृत करने वास्ते सक्षम प्राधिकारी

(क) जिसकी स्वीकृति के लिए नियम 15 के खंड (1) के उपखंड (ग) के तहत विशेष कारण आवश्यक हो,

(i) राजपत्रित सरकारी सेवक अभिदाताओं के मामले में प्रांतीय सरकार;

(ii) अन्य अभिदाताओं के मामले में, सम्बन्धित विभागाध्यक्ष:

[1][टिप्पणी–शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय उपशिक्षा निदेशक के अधीनस्थ कार्यालयों के अराजपत्रित कर्मचारियों, जिनमें शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, के द्वितीय एवं तृतीय अस्थायी अग्रिम की स्वीकृति के लिए क्षेत्रीय उपशिक्षा निदेशक प्राधिकृत किये गये हैं।]

(ख) खंड (क) द्वारा अनाच्छादित किसी अन्य मामला में–

(i) राजपत्रित सरकारी सेवकों के लिए–विभागाध्यक्ष;

(ii) अन्य अभिदाताओं के लिए–कार्यालय-प्रधान;

परंतु यह कि जब उप-खंड (ख) के तहत अग्रिम स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकारी हो उपखंड (क) के तहत अभिदाता को अग्रिम स्वीकृत करने के लिए भी प्राधिकारी हो तब उत्तरवर्ती उपखंड के तहत अग्रिम केवल प्रांतीय सरकार के उपयुक्त प्रशासनिक विभाग द्वारा स्वीकृत किया जाएगा।

टिप्पणी 1- आरक्षी उप महानिरीक्षक उपर्युक्त खंड (3) (क) (ii) के तहत विभागाध्यक्ष की शक्ति का प्रयोग करेंगे।

[2][**टिप्पणी 2-** जिला पदाधिकारी भी उपर्युक्त खंड (3) (क) (ii) के तहत विभागाध्यक्ष की शक्ति का प्रयोग करेंगे।

टिप्पणी 3- स्वीकृत अस्थायी अग्रिम, जो एक वर्ष तक कार्यान्वित नहीं किया गया हो, अनिवार्य रूप से व्यपगत माना जाएगा जबतक उसे विशेष रूप से नवीकृत नहीं किया गया हो।

[समीक्षा–नियम 15 (vi):- घर खरीदने के लिए या अपना घर मरम्मत कराने के लिए पदाधिकारी को सा० भ० निधि से एक बार से अधिक अग्रिम नहीं स्वीकृत किया जायेगा ऐसा अग्रिम 12 महीने के वेतन या 45,000 रु० या अभिदाता के खाता में जमा राशि के आधा की समतुल्य-राशि होगा।

नियम 15, टिप्पणी 3- अग्रिम स्वीकृत्यादेश निर्गत होने से एक वर्ष बाद व्यपगत हो जाएगा। इसे नवीकृत कराने के बाद भुगतान किया जा सकेगा।]

अस्थायी अग्रिम की स्वीकृति

[समीक्षा–अभिदाताओं को अस्थायी अग्रिम स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार के नवीनतम निर्णय नीचे दिये जाते हैं:

1. वित्त विभागीय अधिसूचना सं० 841 दि० 14.3.1984 द्वारा जोड़ा गया।
2. ज्ञाप सं० वि० 2-307155/850 वि० दि० 9.7.1955 द्वारा अन्त:स्थापित।

राज्य सरकार के निर्णय:–

1.

*विषय :–उच्च न्यायालय के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों को सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

पटना उच्च न्यायालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को भविष्य निधि अग्रिम स्वीकृत करने की शक्ति मुख्यन्यायाधीश को सौंपने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा था। पूर्ण विचारोपरान्त राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1948 के नियम 15 (3) में पटना उच्च न्यायालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को अग्रिम स्वीकृत करने की शक्ति प्रदान करने हेतु निम्नलिखित संशोधन किया जाता है।

(1) विशेष परिस्थिति में भविष्य निधि से अस्थायी अग्रिम स्वीकृत करने हेतु सक्षम पदाधिकारी–

(क) पटना उच्च न्यायालय के राजपत्रित पदाधिकारियों के लिए– मुख्य न्यायाधीश।

(ख) पटना उच्च न्यायालय के अन्य कर्मचारियों के लिए–निबन्धक, पटना उच्च न्यायालय।

(2) सामान्य अस्थायी अग्रिम के लिए सक्षम पदाधिकारी–

(क) पटना उच्च न्यायालय के राजपत्रित पदाधिकारियों के लिए–निबन्धक, पटना उच्च न्यायालय।

(ख) पटना उच्च न्यायालय के अन्य कर्मचारियों के लिए–उपनिबन्धक, पटना उच्च न्यायालय।

(3) पटना उच्च न्यायालय के राजपत्रित एवं अराजपत्रित कर्मचारियों को नियमानुसार अप्रत्यपर्णीय निकासी (Non-refundable withdrawals) की स्वीकृति मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय द्वारा दी जायगी।

2. इस आदेश में मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय की सहमति प्राप्त है।

3. बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली में शुद्धि पत्र बाद में निर्गत किया जायगा।

4. यह आदेश तुरन्त प्रभावी होगा। **[*Vide F. D. Memo No. MI-19/78/11959 F. dated 29.8.1978.]**

2.

विषय:–सामान्य भविष्य-निधि से अस्थायी अग्रिम की स्वीकृति।

बिहार सामान्य भविष्य-निधि नियमावली के नियम 15 को निर्देशित किया जाता है जो निधि-खाता में संचित राशि से अभिदाता को अग्रिम स्वीकृत करने का उपबन्ध करता है। अस्थायी अग्रिम आपवादिक स्थितियों में नियमों के सामंजस्य के अनुसार ही दिया जाता है और निधि को बैंककारी लेखा नहीं समझा जाना चाहिए। जब अभिदाता को एक या उससे अधिक बार अग्रिम पहले ही स्वीकृत किये जा चुके हों तब बाद में उसे तबतक अग्रिम स्वीकृत नही किया जाएगा जबतक लिया गया अंतिम अंग्रिम की पूर्ण वापसी से कम-से-कम बारह महीने नहीं गुजर गये हों। सरकार का ध्यान ऐसे अनेक दृष्टांतों की ओर गया है जिनमें जल्दी-जल्दी एक के बाद दिगर अग्रिम स्वीकृत किये गये और निर्धारित सीमाओं से अधिक भी, स्वीकृति प्राधिकारी संभवत: सहानुभूतिपूर्ण विचार रखते हैं और ऐसे अनुरोधों को मान लेने को झुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अग्रिम उन्हीं राशियों से दिया जा रहा है जो सरकारी सेवकों के ही जमा से प्रादभूत हुई हैं। यह वांछनीय नहीं है क्योंकि वैसे अग्रिमों की स्वीकृति जो न तो नितांत न्यायसंगत हैं और न निर्धारित सीमाओं के अन्दर, निधि के उद्देश्य को ही नष्ट करने की ओर उन्मुख होंगे।

2. अत: अनुरोध है कि सभी अधीनस्थ स्वीकृति प्राधिकारियों पर इस तरह का प्रभाव डाला जाए कि वे अग्रिम की स्वीकृति तबतक न करें जबतक उसके लिए पर्याप्त औचित्य न हो और बिहार सामान्य भविष्य-निधि नियमावली के नियम 15 (1) (ग) के विशेष प्रावधानों का अवलंब लेकर कोई अग्रिम नहीं

स्वीकृत करें। **[जी० ओ० सं० एफ-2/4048/62-16832 वि० दिनांक 12.11.1962]**

[समीक्षा–राज्य सरकार ने, (उपर्युक्त लिखित) अपने पूर्व के अनुदेशों के संदर्भ में, अभिदाताओं के अस्थायी अग्रिम-स्वीकृति सम्बन्धी अपने निर्णयों को उपांतरित किया है, जो नीचे दिये जाते हैं:-]

3.

विषय:–सामान्य भविष्य-निधि से अस्थायी अग्रिम की स्वीकृति।

उपुर्यक्त विषय पर वित्त विभाग पत्र सं० एफ 2-4048/62-16832 वि०, दिनांक 12 नवम्बर, 1962, को निर्देशित करते हुए कहना है कि सरकार की दृष्टि में ऐसे मामले आए हैं जिनमें उस निदेश का, कि बिहार सामान्य भविष्य-निधि नियमावली के नियम 15 (1) (ग) के विशेष प्रावधानों का अवलंब लेकर कोई अग्रिम नहीं स्वीकृत किया जाए, सख्ती से अनुपालन अनावश्यक कठिनाइयां पैदा कर सकता है जब निम्नांकित प्रयोजनों के लिए भविष्य-निधि से अग्रिमों की जरूरत होगी:–

(1) आवेदक या उसपर वस्तुत: आश्रित किसी अन्य व्यक्ति की लम्बी बीमारी पर किये गये खर्च के भुगतान पर ;

(2) विवाह, श्राद्ध या वैसे अनुष्ठान, जिसे करने के लिए आवेदक धर्मानुसार बाध्य हो, उसकी हैसियत लायक होनेवाले अनिवार्य खर्च के भुगतान पर।

2. तदनुसार, सरकार ने ऊपर में उल्लिखित वित्त विभाग के पत्रांक 16832 वि० दिनांक 12 नवम्बर, 1962, में समाविष्ट आदेशों का आंशिक उपांतरण करते हुए निर्णय लिया है कि सामान्य भविष्य-निधि नियमावली के नियम 15 (1) (ग) के तहत "विशेष कारणों" से अग्रिम स्वीकृत किए जा सकेंगे जब ऊपर में बताए गए प्रयोजनों में से किसी के लिए अग्रिम की जरूरत आ पड़े। तथापि, ऐसा सामान्यत: नहीं बल्कि हर मामला की सख्ती से छान-बीन के बाद ही किया जाना चाहिए। **[जी० ओ० सं० एफ-2-4048/6216860 वि० दिनांक 22.11.1962]**

4.

विषय:–भविष्य-निधि से अप्रत्यपर्णीय धनराशि की निकासी।

निधि के अभिदाताओं को उनकी जीवनचर्चा के किसी स्तर पर कतिपय अनिवार्य व्यय की पूर्ति वास्ते समर्थ बनाने के लिए, जब उन पर भारी दायित्व हों, बिहार सामान्य भविष्य-निधि और बिहार अंशदायी भविष्य निधि से अप्रत्यपर्णीय धनराशि की निकासी स्वीकृत किये जाने का प्रश्न सरकार के समक्ष विचाराधीन था। अतएव, निम्नांकित कंडिकाओं में उल्लिखित साधारण और विशेष शर्तों और बंधेजों के अधीन रहते हुए

(i) विवाह;

(ii) उच्च शिक्षा; और

(iii) गृह निर्माण

के प्रयोजनों के लिए अभिदाताओं को भविष्य निधि लेखा से अप्रत्यपर्णीय धनराशि निकासी की स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया है:–

2. साधारण शर्तें और बंधेजें।–(i) केवल उन्हीं अभिदाताओं को अप्रत्यपर्णीय निकासी की स्वीकृति दी जाएगी जिन्होंने कम-से-कम पचीस वर्ष (छिन्न अवधियों समेत, यदि हों) सेवा की हो या जिनकी आयु वार्धक्य सेवानिवृत्ति से पांच वर्ष कम हो।

(ii) जिन मामलों में विशेष कारणों की आवश्यकता होती है उनमें निधि से अप्रत्यपर्णीय अग्रिम स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को इन आदेशों की शर्तों के अनुसार ऐसी स्वीकृति देने को शक्तिसम्पन्न किया जाता है, परंतु निकासी के लिए सभी शर्तों और बंधेजों का पूरा होना आवश्यक होगा। वैसे मामले जिनमें किसी शर्त और बंधेज को शिथिल करने की आवश्यकता होगी, वित्त विभाग को निर्दिष्ट किये जाएंगे।

(iii) निधि से वास्तविक निकासी महालेखाकार, बिहार, से प्राधिकार-पत्र प्राप्ति के बाद ही की जाएगी, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा औपचारिक स्वीकृति-पत्र निर्गत होते ही इसकी व्यवस्था करेंगे।

3. विशेष शर्तें और बंधेजें/-(i) विवाह के लिये–

(1) अभिदाता के पुत्र-पुत्रियों मात्र के विवाह के लिए अप्रत्यपर्णीय निकासी अनुमतेय होगी और यदि अभिदाता की कोई पुत्री नहीं होगी तो उसपर आश्रित किसी अन्य स्त्री-रिश्तेदार के विवाह के लिए।

(2) (क) प्रत्येक विवाह के लिये निकासी की राशि सामान्यत: सीमित होगी–

(i) गैर-अंशदायी भविष्य-निधि की स्थिति में, पुत्री या अन्य किसी स्त्री-रिश्तेदार, यथास्थिति, के मामला में छ: महीने का वेतन और पुत्र के मामला में तीन महीने का वेतन अथवा अभिदाता के खाता में निधि-लेखा में जमा राशि का आधा, जो कम हो;

(ii) अंशदायी भविष्य निधि की स्थिति में, उसके द्वारा वस्तुत: अभिदत्त राशि साथ-साथ उसपर ब्याज, जो उसके लेखा में जमा हो।

(ख) यदि एक ही समय दो या उसके अधिक विवाह सम्पन्न किए जाने हों तो प्रत्येक विवाह के सम्बन्ध में राशि का निर्धारण इस प्रकार किया जाएगा मानो एक के बाद दूसरे के लिए अलग-अलग अग्रिमें स्वीकृत किये जाते हो।

(ग) विशेष स्थिति में, स्वीकृति-प्राधिकारी पुत्री के मामला में छ: महीने और पुत्र के मामला में तीन महीने के क्रमश: वेतन की अथवा अतिशेष (बैलेंस) के आधा, जो इनमें कम हो, की सीमा को शिथिल करके स्वीकृति दे सकेगा।

(3) प्रत्येक विवाह या विवाहों, के सम्बन्ध में अभिदाता या तो इन आदेशों की शर्तों के अनुसार राशि या सुसंगत भविष्य-निधि नियमावली के तहत प्रत्यपर्णीय अग्रिम की निकासी कर सकेगा।

(4) अभिदाता को, विवाह के वस्तुत: सम्पन्न होनेवाला महीना से तीन महीना से अनधिक पहले निकासी करने की इजाजत दी जा सकेगी।

(5) विवाह की तिथि से एक महीना के अन्दर, या, यदि वह छुट्टी पर हो तो, छुट्टी से लौटने के एक महीना के अन्दर अभिदाता स्वीकृति-प्राधिकारी को इस आशय का प्रमाणपत्र देगा कि निकाली गई धनराशि वस्तुत: उस प्रयोजन पर उपयोग कर दी गई जिसके लिये वह मंशायित थी। यदि अभिदाता अपेक्षित प्रमाणपत्र नहीं देगा या, यदि निकाली गई राशि उस प्रयोजन, से भिन्न पर उपयोग कर दी गई हो, जिसके लिए स्वीकृति की गई थी, तो अभिदाता द्वारा तत्काल एकमुश्त पूरी राशि, निकासी के महीना से उक्त भविष्य-निधि नियमावली के सुसंगत नियम में उपबंधित दर से ब्याज समेत, पुनर्निक्षिप्त (redeposited) कर दी जाएगी, और ऐसी वापसी नहीं किये जाने पर स्वीकृति-प्राधिकारी द्वारा उस राशि को उसकी परिलब्धियों से एकमुश्त या उतने मासिक किश्तों में, जितने उक्त स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा, वसूल करने का आदेश दिया जाएगा, परंतु यह कि जिस अभिदाता की उक्त निधि में जमाराशियों पर ब्याज नहीं मिला हो, उस पर उसके द्वारा वापस की गई किसी राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।

(6) निधि से वस्तुत: निकाली गई कोई राशि, जो अभिदाता द्वारा प्रयोजन पर वास्तविक रूप से उपयोग की गई राशि से फालतू पाई जाएगी, उसपर उक्त भविष्य-निधि नियमावली के सुसंगत नियम में उपबंधित दर से ब्याज समेत, तत्काल पुनर्निक्षिप्त (re-deposited) कर दी जाएगी।

(ii) उच्च शिक्षा के लिए–(1) निम्नांकित किस्म के मामलों में अप्रत्यपर्णीय निकासी स्वीकृत की जा सकेगी:–

(क) अभिदाता की संतान जो उसी पर आश्रित हो की भारत में उच्च विद्यालय स्तर से ऊपर

(ख) अभिदाता की संतान, जो उसी पर आश्रित हो, भारत में उच्च विद्यालय स्तर से ऊपर चिकित्सा, इंजीनियरी और अन्य तकनीकी विशिष्ट पाठ्यक्रम की शिक्षा के लिए; बशर्ते कि उक्त शिक्षाक्रम तीन वर्ष से कम का न हो।

(2) निकासी की राशि अधिक नहीं होगी–

(क) गैरअंशदायी भविष्य-निधि के मामले में, अभिदाता का तीन महीने का वेतन या निधि में उसका खाता स्थित अतिशेष (बैलेंस) का आधा, दोनों में जो कम हो, से;

(ख) अंशदायी भविष्य-निधि के मामले में, अंशदाता का अपना अंशदान की राशि और उसपर ब्याज या उसका तीन महीने का वेतन, दोनों में जो कम हो, से।

(3) निकासी की अनुमति हर छ: महीने में एक बार अर्थात् एक वित्त वर्ष में दो बार होगी। पूर्व की निकासी की तिथि से छ: महीने की अवधि गुजर जाने के बाद ही दूसरी निकासी की स्वीकृति दी जाएगी।

(4) इस प्रयोजन के लिए प्रत्यपर्णीय अग्रिम के अलावे और किसी निकासी की इजाजत नहीं दी जाएगी।

(5) सम्बन्धित अभिदाता, धनराशि निकालने के छ: महीना के अन्दर, स्वीकृति-प्राधिकारी का समाधान करेगा कि निकाली गई धनराशि उस प्रयोजन पर उपयोग कर दी गयी जिसके लिये वह मंशायित थी; अन्यथा निकाली गई सम्पूर्ण राशि, साथ-साथ ब्याज, एकमुश्त वसूल की जाएगी, और ऐसी वापसी नहीं किये जाने पर स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा उक्त राशि उसकी परिलब्धियों से एकमुश्त या उतने मासिक किश्तों में, जितने स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाएगी, वसूल करने का आदेश दिया जाएगा।

(6) जहां निकाली गई धनराशि का कोई अंश छ: महीने की अवधि के अन्दर खर्च होने की संभावना नहीं हो और अभिदाता अगामी छ: महीने के अन्दर निधि से और धनराशि निकालना चाहता हो, वहां वह उक्त छ: महीने की अवधि के अंत से पहले स्वीकृति-प्राधिकारी को लिखित रूप से अधिसूचित करके प्रस्तावित निकासी में अधिकाई राशि को समंजित कर सकेगा बशर्ते कि ऐसी अधिकाई राशि अनुपयोग की गई राशि का दस प्रतिशत से अधिक नहीं हो और अगली राशि को निकालने की स्वीकृति उक्त छ: महीने की अवधि के अंत के एक महीने के अन्दर ली जाती हो। यदि कोई अगली निकासी करने का विचार नहीं हो, तो अधिकाई राशि, ब्याज समेत, तत्काल निधि में जमा कर दी जाएगी, परंतु यह कि जिस अभिदाता की निधि में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता है, वह अपने द्वारा वापस की जानेवाली किसी राशि पर कोई ब्याज नहीं देगा।

(7) सम्बन्धित अभिदाता द्वारा निकासी कर लिये जाने के बाद स्वीकृति-प्राधिकारी निकासी के छ: महीने के अन्दर अपना समाधान करेगा कि निकाली गई राशि उस प्रयोजन पर उपयोग की गई जिसके लिए निकासी की स्वीकृति दी गई थी और फालतू राशि, यदि हो, अभिदाता द्वारा जमा कर दी गई है।

(iii) गृह निर्माण के लिए–(1) अपने आवास के लिए उपयुक्त गृह बनाने या अर्जित करने के लिए, स्थल-मूल्य समेत, या इस प्रयोजन के लिए राज्य की संचित निधि से अन्यथा अभिव्यक्त रूप से लिया गया ऋण के मद्दे किसी बकाया राशि लौटाने के लिए अभिदाता को अप्रत्यपर्णीय निकासी की अनुमति दी जा सकेगी।

(2) निकासी की राशि अधिकतम राशि से अधिक नहीं होगी–

(i) गैरअंशदायी भविष्य निधी के मामला में, अभिदाता के निधि-खाता में रहनेवाली राशि के आधा या स्थल की कीमत समेत गृह की वास्तविक लागत या इस प्रयोजन के लिए लिया गया ऋण को लौटाने वास्ते अपेक्षित राशि, इनमें जो कम हो, से;

(ii) अंशदायी भविष्य-निधि के मामला में, अंशदाता द्वारा निधिखाता में वस्तुत: अंशदत्त राशि,

ब्याज समेत, या स्थल की कीमत सहित गृह की वास्तविक कीमत या उस निमित्त लौटाया जाने वाला ऋण, जो इनमें कम हो, से।

(3) निकासी कम-से-कम दो अधिक-से-अधिक चार समान किश्तों में की जाएगी, लेकिन प्रथम के बाद की किसी निकासी के लिए स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा तभी अनुमति दी जाएगी जब उसका समाधान हो जाएगा कि गृह-निर्माण के कार्य में पर्याप्त प्रगति हुई है।

(4) यदि इस नियम के तहत अभिदाता द्वारा निकाली गई किसी राशि उस प्रयोजन पर वस्तुतः खर्च की गई राशि से फालतू पाई जाएगी, जिसके लिये उक्त राशि निकाली गई थी, या उस प्रयोजन पर नहीं लगाई गई हो, तो उक्त फालतू या वह समूची राशि या उसका उतना भाग, जो नहीं लगाया गया हो, उक्त भविष्य-निधि नियमावली के सुसंगत नियम के तहत उसपर आनेवाला ब्याज समेत, निधि के अभिदाता द्वारा तत्काल लौटा दिया जायेगा। इस तरह नहीं लौटाए जानेपर स्वीकृत-प्राधिकारी द्वारा अभिदाता की परिलब्धियों से या तो एकमुश्त या उतने मासिक किश्तों में, जितने स्वीकृति-प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाएंगी, लौटाये जाने का आदेश दिया जाएगा।

(5) निकासी की शर्तें:

निकासी की अनुमति तभी दी जाएगी जब स्वीकृति प्राधिकारी आश्वस्त हो जाएगा:

(क) कि अभिदाता को उसके कार्य के स्थान पर या उस स्थान पर, जहां वह सेवानिवृत्ति के बाद रहना चाहता है, पहले से अपना भवन नहीं है और वह वैसे स्थान पर केवल एक भवन निर्मित, अर्जित या ऋण विमुक्त करेगा;

(ख) कि जिस राशि को निकालने का प्रस्ताव है वह उस प्रयोजन के लिए आवश्यक है;

(ग) कि उक्त राशि अभिदाता के निजी बचतों से मिलकर उस प्रयोजन के लिए पर्याप्त होगी;

(घ) कि भवन-निर्माण के लिए निकासी की स्थिति में:–

(i) अभिदाता इस प्रयोजन के लिए तात्पर्यित स्थल पर भवन-निर्माण करने का अधिकार रखता है या तत्काल अर्जित करना चाहता है;

(ii) अभिदाता के पास अनुमोदित रेखाचित्र है;

(iii) राशि की निकासी से छः महीना के अन्दर निमार्णकार्य शुरू हो जाएगा और निर्माणकार्य शूरू होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर पूरा हो जाएगा;

(ङ) कि निर्मित भवन खरीदने के लिए निकासी की स्थिति में–

(i) कि अभिदाता ने स्वीकृति प्राधिकारी के समक्ष यह साबित करने के लिये आवश्यक विलेख एवं कागजात प्रस्तुत किये हैं कि वह भूखंड और तत्रस्थितभवन पर अविवादित स्वत्व प्राप्त कर लेगा, वशर्ते कि यह शर्त सरकार या विकास ट्रस्ट सहित साधारण खंड अधिनियम, 1897, में यथापरिभाषित किसी स्थानीय प्राधिकार से पट्टा पर लिया गया किसी भूखंड पर भवन-निर्माण वास्ते निकासी का निवारण नहीं करती हो;

(ii) निकासी की तिथि से तीन महीने के अन्दर भवन की खरीदगी या ऋणविमुक्ति कर ली जाएगी;

(च) कि ऋण चुकाने के लिए निकासी की स्थिति में, अभिदाता ने उक्त भुखंड और तत्रस्थित भवन पर अपना अविवादित स्वत्व साबित करते हुए स्वीकृति-प्राधिकारी के समक्ष आवश्यक विलेख एवं कागजात प्रस्तुत किये हैं और निकासी की तिथि से तीन महीने के अन्दर ऋण चुका दिया जाएगा;

(छ) कि अभिदाता ने फारम (प्रति संलग्न) में वचनपत्र हस्ताक्षरित किया है जो स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा प्रेषित किए जाने पर महानिरीक्षक, रजिस्ट्री, की हिफाजती अभिरक्षा में उसको (अभिदाता

की) सेवानिवृत्ति या भविष्य-निधि लेखा के अंतिम निवटारा तक रखा जाएगा।

स्वीकृति-प्राधिकारी द्वारा मामला विशेष की परिस्थितियों के अनुकूल कानूनी राय प्राप्त करके फारम में उपयुक्त संशोधन किया जा सकेगा।

(6) वार्षिक घोषणा और दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण–

(क) अभिदाता, जिसे निधि में उसके खाता स्थित राशि से धन निकालने की अनुमति दी गई है, 31 दिसम्बर को या उससे पहले वैसा फारम में वार्षिक घोषणापत्र समर्पित करेगा, जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा, और यदि ऐसा करने वास्ते कहा जाएगा तो वह स्वीकृति प्राधिकारी को टैक्स-रसीद, स्वत्व-विलेख या दस्तावेजात प्रस्तुत करके आश्वस्त करेगा कि उक्त भवन उसके एकमात्र आधिपत्य में है और उसने स्वीकृति प्राधिकारी की पूर्वानुमति के बिना विक्रय, दान, बदलैन, बंधक या तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए पट्टा के जरिए वह उससे बेदखल नहीं हुआ है।

(ख) यदि सेवानिवृत्ति के पहले किसी समय अभिदाता, उपर्युक्त उपनियम (6) (क) के प्रावधानों के प्रतिकूल, भवन से बेदखल होगा तो उसे तत्काल अपने द्वारा निकाली गई राशि साथ-साथ उक्त भविष्य-निधि नियमावली के सुसंगत नियम के तहत उसपर निर्धारित किया गया ब्याज एकमुश्त निधि में लौटाना होगा, और इस तरह नहीं लौटाने पर स्वीकृति-प्राधिकारी द्वारा उक्त राशि को एकमुश्त या उतने मासिक किश्तों में, जितने स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किये जाएंगे, उसकी परिलब्धियों से वसूल करने का आदेश दिया जाएगा, परंतु यह कि जिस अभिदाता की निधि में जमाराशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता हो उसे लौटाई जानेवाली राशि पर कोई ब्याज नहीं देना होगा।

(7) बगैर निधि या अन्य सरकारी साधनों की सहायता के अभिदाता द्वारा पूर्व से स्वामित्व प्राप्त हुआ या अर्जित किया हुआ भवन के रद्दोबदल या बढ़ोतरी के लिये अप्रत्यपर्णीय निकासी की इजाजत दी जा सकेगी; परंतु यह कि निकासी की ऐसी राशि भवन-निर्माण वास्ते निर्धारित उपर्युक्त सीमा या 10,000/- रु० जो कम हो, से अधिक नहीं होगी।

इन आदेशों– अर्थात् भवन के रद्दोबदल या बढ़ातरी के लिए अप्रत्यर्पणीय निकासी विषयक आदेशों, के तहत स्वीकृत की जानेवाली निकासियों पर इन आदेशों में उल्लिखित अन्य शर्तें और बंधेजें, यथावश्यक परिवर्तन सहित, लागू किये जाएंगे।

4. प्रत्यपर्णीय अग्रिमों को अप्रत्यपर्णीय निकासी में परिणत किया जाना।–अभिदाता, जिसे इस आदेश के तहत रियायतों का लाभ उठाने की अर्हता हो और जिसने इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से पहले (i) विवाह (ii) उच्च शिक्षा (iii) भवन निर्माण प्रयोजन के लिए सुसंगत भविष्य-निधि नियमावली के विद्यमान नियमों के तहत प्रत्यपर्णीय अग्रिम लिया हो, स्वीकृति-प्राधिकारी को लिखित अनुरोध-पत्र देकर अग्रिम के बकाया को अप्रत्यर्पणीय निकासी में परिणत करा सकेगा।

5. बिहार सामान्य भविष्य-निधि नियमावली और बिहार अंशदायी भविष्य-निधि नियमावली में औपचारिकता पूरा करने के लिए यथा समय संशोधन (परची) निर्गत किए जाएंगे। **[सं० एफ–2-2096/57/3318- वि०, दिनांक 3 मार्च, 1958]**

5.

विषय–गृह-स्थल खरीदने के लिए और उसपर भवन बनाने के लिए भविष्य-निधि से अप्रत्यपर्णीय धन की निकासी।

इस विभाग के संकल्प सं० एफ 2-20196/57-3318, दिनांक 3 मार्च 1958 के तहत स्थल की लागत समेत उपयुक्त भवन निर्मित या अर्जित करने के लिए अथवा राज्य की संचित निधि से भिन्न साधन से अभिव्यक्त रूप से लिया गया ऋण के मद में बकाया राशि को वसूल करने के लिए भविष्य निधि लेखा से अप्रत्यपर्णीय निकासी की अनुमति देने के आदेश निर्गत किये गये थे। इन आदेशों में स्वतः पृथक्

निकासी के रूप में केवल गृह-स्थल खरीदने के लिए अप्रत्यपर्णीय निकासी का कोई विशेष प्रावधान नहीं है।

2. इस विषय पर और विचार करने के बाद, सरकार ने गृह-स्थल मात्र खरीदने के लिये और बाद में उसपर गृह निर्माण के लिये, उन सीमाओं और शर्तों के अधीन जो नीचे दिये गये हैं, भविष्य-निधि से अप्रत्यपर्णीय निकासियां करने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया है:-

(क) गृह-स्थल खरीदने के लिए, या अग्रिम-निकासी आवदेन-पत्र की प्राप्ति से पहले गृह-स्थल खरीद के लिए अभिव्यक्त रूप से लिया गया ऋण के मद में बकाया पड़ी राशि लौटाने के लिये, भविष्य-निधि से निकासी की अनुमति दी जा सकेगी, परंतु यह कि ऋण उक्त आवेदनपत्र की प्राप्ति की तिथि के बारह महीने से अनधिक पहले नहीं लिया गया हो।

(ख) निकासी की राशि अधिक (exceed) नहीं होगी--

(i) गैर-अंशदायी भविष्य-निधि की स्थिति में, सरकारी सेवक के खाता में स्थित राशि के एक-चौथाई या स्थल की वास्तविक कीमत या उस प्रयोजन के लिए लिया गया ऋण की चुकती के लिये अपेक्षित राशि, इनमें जो कम हो, से;

(ii) अंशदायी भविष्य-निधि की स्थिति में, अभिदाता द्वारा वस्तुत: अभिदत्त राशि-ब्याज समेत, जो उसके खाता में हो, का आधा, या स्थल की वास्तविक कीमत या इस निमित्त ऋण चुकाने वास्ते रकम, जो इनमें कम हो, से।

(ग) यदि निकाली गई राशि स्थल की वास्तविक कीमत से अधिक हो, तो सरकारी सेवक द्वारा तत्काल उसके सुसंगत भविष्य-निधि राशि-लेखा में जमा करने वास्ते फालतू राशि, साथ में उक्त निकासी के महीना से नियमावली द्वारा उपबंधित की गई दर से उसपर ब्याज, एकमुश्त सरकार को लौटाई जाएगी। विक्रय या अंतरण विलेखों के निष्पादन पर आया वास्तविक खर्च भी स्थल की कीमत में ही गिना जाएगा।

(घ) गृह-स्थल का तत्काल क्रय करने या उस के लिए पहले किया गया ऋण की चुकती करने के मामले में (अग्रिम) राशि एक किश्त में और यदि उक्त स्थल के लिये भुगतान किश्तवार करना हो तो अधिकतम 3 किश्तों में निकालने की अनुमति दी जा सकेगी। निकासी की पूरी राशि की स्वीकृति एकबार दी जाएगी और जितने किश्तों में राशि निकालनी है उनको स्वीकृतिपत्र में स्पष्ट कर दिया जाएगा।

(ङ) निकासी की अनुमति केवल एक गृह-स्थल की खरीदगी या ऋणविमुक्ति के लिए दी जाएगी और वह भी वित्त विभाग के संकल्प सं॰ 3318- एफ दिनांक 3 मार्च -1958 के कण्डिका (III) (5) (क) में यथापेक्षित केवल उन्हीं स्थितियों में जिनमें सरकारी सेवक को वहां अपना मकान नहीं होगा जहां वह काम करता है या करेगा या सेवानिवृत्ति के बाद रहना चाहेगा।

(च) यथास्थिति अग्रिम की निकासी या उसकी प्रथम किश्त की निकासी से एक महीना के अन्दर गृहस्थल खरीदना पड़ेगा। इस शर्त की पूर्ति के प्रमाण में स्वीकृति-प्राधिकारी स्थल की खरीद पर अदाय वास्ते निकाली गई अग्रिम निकासी किश्त-निकासी की राशि के उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में सबूत के तौर पर विक्रेता, गृह-निर्माण सोसाइटी, आदि द्वारा जारी की गई रसीद की मांग कर सकेगा।

3. इन आदेशों के तहत निकासी की स्वीकृति करते समय स्वीकृति पदाधिकारी अपना समाधान करेंगे-

(क) कि गृह-स्थल का आकार और कीमत (i) सम्बद्ध पदाधिकारी की हैसियत और (ii) उसके भविष्य निधि लेखा में उपलभ्य साधन के गैरअनुपातिक नहीं हैं;

(ख) कि राशि की जरूरत सचमुच में गृह-स्थल खरीदने के लिए अथवा तत्प्रयोजनार्थ स्पष्टत: लिया गया ऋण चुकान के लिये है, जैसी भी स्थित हो; और

(ग) कि सरकारी सेवक को खरीदी जानेवाली गृह स्थल पर पूरी हकीयत प्राप्त हो जाएगी।

उपर्युक्त कण्डिका 2 के तहत स्वीकृत की गई निकासी से खरीदा गया स्थल पर गृह-निर्माण के

वास्ते अग्रिम निकासी पर निम्नलिखित शर्तें और बंधेजें लागू होंगे:-

(क) उक्त प्रयोजन के लिए निकासी की राशि, गैर अंशदायी भविष्य-निधि की स्थिति में, सरकारी सेवक के खाता में रहनेवाला अतिशेष (बैलेंस) के एक तिहाई से अधिक नहीं और अंशदायी भविष्य-निधि की स्थिति में उसके खाता स्थित, उसके द्वारा वस्तुत: अशंदत्त राशि और उसका ब्याज अथवा गृह निर्माण पर आनेवाली वास्तविक लागत, इनमें जो कम हो, से अधिक नहीं होगी।

(ख) सम्बन्धित सरकारी सेवक को धनराशि निकालने से छ: महीना के भीतर भवन का निर्माण शुरू करना होगा और निर्माण की शुरूआत की तिथि से एक वर्ष के भीतर निर्माणसंम्पन करना होगा।

(ग) निकासी कई किश्तों में होगी-अधिकतम 4 होगी और न्यनतम 2 प्रथम किस्त के बाद वाली किश्ते की स्वीकृति तभी दी जाएगी जब भवन के निर्माण के सम्बन्ध में सत्यापन कर लिया जाएगा।

5. इस ज्ञापन के कण्डिका 2 के खंड (ख) और (ग) में उल्लिखित शर्तें, आवश्यक परिवर्तन सहित, तत्रांकित कण्डिका 4 के तहत स्वीकृत भवन-निर्माण के लिये निकासियों पर भी लागू होंगी। इन मामलों में हस्ताक्षरित होने वाले कारनामों के लिये वही फारम होगा जो इस ज्ञापन में संलग्न किया गया है।

6. यह भी निर्णय लिया गया है कि गृह स्थल की खरीद सहित भवन-निर्माण के प्रयोजन के लिये निकासी जहां इस विभागीय संकल्प सं एफ -2- 20196/57-3318- वि॰, दिनांक 3 मार्च 1958 के अनुसार स्वीकृत की जायगी, वहां स्वीकृति प्राधिकारी अपने विवेकानुसार, उक्त संकल्प के खंड (II) (5) (घ) (iii) में विहित की गई छ: महीने की सीमा को शिथिल करके एक वर्ष भी कर सकेगा।

7. विधान सभा/विधान परिषद्/उच्च न्यायालय में कार्यरत कार्मिकों के सम्बन्ध में ये आदेश अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, विधान परिषद्/माननीय मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय की सहमति से जारी किये गये हैं।

8. विभिन्न भविष्य-निधि नियमावलियों में आवश्यक औपचारिक संशोधन यथा समय जारी किये जाएंगे। **[एफ॰ डी॰ संकल्प 14769 वि॰, दिनांक 22.7.1960 ।]**

6.

* विषय:-भविष्य-निधि से अप्रत्यपर्णीय निकासी की स्वीकृति।

उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के संकल्प सं॰ 3318- वि॰ दिनांक 3 मार्च 1958 को निर्देशित करते हुए यह कहना है कि राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा, विवाह और गृह-निर्माण के लिये उक्त निधि से अप्रत्यपर्णीय निकासी के सम्बन्ध में भविष्य निधि के अभिदाताओं को और रियायतें देने का निर्णय लिया है जो नीचे दिये जाते हैं:-

(i) व्यक्ति, जिसने वि॰वि॰ संकल्प सं॰ 3318 वि॰, दिनांक 3 मार्च 1958 के कण्डिका 4 की शर्तों के अनुसार विवाह, उच्च शिक्षा, गृह-निर्माण के लिये पहले प्रत्यपर्णीय अग्रिम लिया है अग्रिम के बकाये को अप्रत्यपर्णीय निकासियों में परिणत कर सकेगा बशर्ते कि वे इन आदेशों में दी गई शर्तों को पूरा करते हों।

(ii) वि॰ वि॰ संकल्प सं॰ 3318- वि॰ दिनांक 3 मार्च 1958, के कण्डिका 3 (III) (7) की शर्तों के अनुसार निधि या अन्य सरकारी साधन की सहायता से अभिदाता द्वारा विधिवत् स्वामित्व प्राप्त या अर्जित भवन के रद्दोबदल या बढ़ोतरी के लिये भविष्य निधि से अप्रत्यपर्णीय निकासियां अनुमतेय होंगी।

राज्य सरकार ने अगला निर्णय यह लिया है भविष्य निधि से पहले ली गई या भविष्य में ली जानेवाली निकासी से अर्जित किया गया भवन में वृद्धि और परिवर्तन, आदि करने के लिए भी अभिदाता को एक द्वितीय अप्रत्यपर्णीय निकासी की स्वीकृति दी जाएगी, परंतु शर्त यह होगी कि दोनों निकासियों का योग अभिदाता के भविष्य-निधि लेखा में प्रथम उधार लेते समय रहनेवाली राशि के आधा से अधिक नही होगा, और दूसरी शर्त यह कि निर्देशाधीन संकल्प में इस प्रयोजन के लिये निर्धारित की गई 10,000 रु॰ की सीमा लागू रहेगी।

(iii) वित्त विभाग के संकल्प सं॰ 3318 दिनांक 3 मार्च 1958 के पैरा 3 (1) (i) की शर्तों के अनुसार अप्रत्यपर्णीय निकासी अभिदाता के केवल उस पुत्र/पुत्री के विवाह के लिए और, यदि अभिदाता को पुत्री नहीं है तो, केवल उस अन्य महिला रिश्तेदार के विवाह के लिये जो उसपर आश्रित हों अनुमतेय होगी।

सावधानीपूर्वक विचारोपरान्त राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि इसके लिये पुत्री या पुत्र का अभिदाता पर वस्तुतः आश्रित रहना आवश्यक शर्त नहीं होगी।

(iv) वित्त विभाग के संकल्प सं॰ 3318, दिनांक 3 मार्च 1958 के कण्डिका (3) (i) को निर्दिष्ट करते हुए कहना है कि एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ है कि क्या पूर्व में सम्पन्न हुए विवाह पर हुये खर्च की भरपाई के लिये अप्रत्यपर्णीय निकासी की अनुमति दी जा सकती है।

विवाह एक ऐसा काम है जिसका अनुमान पहले से रहता है और साधारणतः किसी सरकारी सेवक को पूर्व में यह दृढ़ निश्चित करना मुश्किल नही होगा कि क्या वह अपने निजी संसाधनों से विवाह पर आनेवाला समूचा खर्च स्वयं वहन कर सकेगा यह इसके लिये उसे उसके भविष्य निधि से अप्रत्यपर्णीय अग्रिम लेना होगा, और यदि वह पश्चात्वर्ती निश्चय पर पहुचता हो तो उसे विवाह की तिथि से काफी पहले अप्रत्यपर्णीय निकासी के लिये आवेदनपत्र समर्पित करने का अवसर प्राप्त रहता है जहां किसी पदाधिकारी विवाह की तिथि से काफी पहले निकासी के लिये आवेदन कर देता हो लेकिन आवेदन की स्वीकृति उपर्युक्त तिथि के बाद दी जाती हो, या स्वीकृति पहले हो भी जाती हो फिर भी उक्त मामला भुगतान के लिये प्राधिकारपत्र निर्गत करने के लिए अंकेक्षण कार्यालय में उक्त तिथि के बाद प्राप्त किया जाता है तो विवाह की तिथि के बाद भी भुगतान किये जाने में कोई आपत्ति नही होगी। ऐसे मामलों में ऊपर में निर्देशित वि॰ वि॰ संकल्प के कण्डिका 3 (1) 5 की शर्तों के अनुसार प्रमाणपत्र निधि से राशि की वास्तविक निकासी के एक महीना के अन्दर स्वीकृति प्राधिकारी को उपलब्ध कराया जायगा। साधारणतः ऐसे मामलों को विचाराधीन नहीं किया जाएगा जिनमें विवाह सम्पन्न हो जाने के बाद निकासी के लिये आवेदन किया गया हो **[वि॰ वि॰ ज्ञाप सं॰ एफ 2-403/59-14859 वि॰, दिनांक 23-7-1960 ।]**

7.

विषय—भविष्य-निधि से अप्रत्यपर्णीय धन की निकासी।

वित्त विभाग संकल्प सं॰ एफ-2-20196/57/3318 वि॰ दिनांक 3 मार्च 1958 के संदर्भ में कहना है कि स्वीकृति प्राधिकारी इस आशय का प्रमाणपत्र नहीं दे रहे हैं कि अग्रिम स्वीकृत करने में उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि उपर्युक्त संकल्प के सभी शर्तों और बंधेजों का पालन किया गया है। महालेखाकार, बिहार, ने रिपोर्ट दी है कि सभी शर्तों और बंधेजों के अनुपालन से सम्बन्धित प्रमाणपत्र के अभाव में स्वीकृतियों को सही-सही विनिश्चत करके मामलों के निष्पादन करने में बहुत समय लगता है।

अब से स्वीकृति प्राधिकारी अप्रत्यपर्णीय निकासियों के निकालने के स्वीकृत्यादेश पर ही साफ-साफ प्रमणित करेंगे कि सभी शर्तों और बंधजों का पालन किया गया है ताकि अंकेक्षण कार्यालय द्वारा इन मामलों के निष्पादन में देर नहीं हो। **[ज्ञाप सं॰ एफ 2-4018/61/7393 वि॰, दिनांक 21.3.1961 ।**

8.

विषय:— भविष्य-निधियों से अप्रत्यपर्णीय निकासी।

संदर्भ:— (i) बिहार सरकार, वित्त विभाग संकल्प संख्या एफ 2-20196/57-3318 वि॰, दिनांक 3 मार्च, 1958।

(ii) बिहार सरकार, वित्त विभाग संकल्प सं॰ एफ 2-403/59-14859 वि॰, दिनांक 23.7.1960।

बिहार भविष्य निधि और अंशदायी भविष्य निधि से अप्रत्यपर्णीय धनराशि निकासी स्वीकृत करने

रु॰ की सीमा लागू रहेगी।

की विद्यमान स्थितियों पर पुनर्विचार किया गया है। यह निर्णय लिया गया है कि अभिदाताओं को उनके भविष्य निधि लेखा से उन प्रयोजनों के लिए और उन शर्तों और बंधेजों पर अप्रत्यपर्णीय निकासी की अनुमति दी जाए जो निम्न कण्डिका में दिये गये हैं—

2. (1) जब अभिदाता पच्चीस वर्ष सेवा (सेवा की टूटी अवधियों समेत, यदि हों) पूरी कर लेता हो या उसे आगे केवल पांच वर्ष सेवा बाकी हो तो निधि के उसके खाता में संचित राशि उसे निम्नांकित प्रयोजनों में से किसी एक या अनेक के लिए स्वीकृत की जा सकेगी, अर्थात्—

(क) उच्च शिक्षा पर व्यय का वहन, जिसमें आवश्यक हुआ तो अभिदाता पर वस्तुतः आश्रित किसी संतान का यात्रा-व्यय भी निम्न स्थितियों में शामिल किया जायगा, अर्थात :—

(i) उच्च विद्यालय स्तर से ऊपर अकादमी, तकनीकी, वृत्तिक या व्यावसायिक शिक्षा जो भारत के बाहर होगी; और

(ii) उच्च विद्यालय स्तर से ऊपर भारत में दी जानेवाली चिकित्सा, इंजीनियरी या अन्य तकनीकी या विशिष्ठ पाठ्यक्रमाधीन शिक्षा बशर्ते कि उक्त पाठ्यक्रम तीन वर्ष से कम का न हो;

(ख) अभिदाता के पुत्र या पुत्री के विवाह या यदि उसे पुत्री न हो तो उसपर आश्रित किसी अन्य महिला-रिश्तेदार के विवाह पर आनेवाला खर्च;

(ग) बीमारी पर होनेवाला खर्च जहाँ आवश्यक हो वहां अभिदाता या उसपर वस्तुतः आश्रित किसी व्यक्ति के आवश्यक यात्रा-व्यय समेत; और

(2) बीस वर्ष सेवा (सेवा की टूटी अवधियों समेत) पूरी कर लेने के बाद अथवा वार्धक्य सेवा-निवृत्ति की तिथि से पूर्व के दस वर्षों के अन्दर जो भी पहले हो, अभिदाता का निधि पर उसके खाता में रहनेवाली राशि से निम्नांकित प्रयोजनों में से किसी एक या अनेक के लिये निकासी स्वीकृत की जा सकेगी, अर्थात्—

(क) अभिदाता द्वारा अपने निवास के लिये उपयुक्त गृह निर्मित करने या अर्जित करने वास्ते, जिसमें स्थल की कीमत शामिल होगी, या इस प्रयोजन के लिये, निकासी वास्ते आवेदन पत्र की प्राप्ति से पहले, विशेष रूप से लिया गया ऋण जो उक्त आवेदन पत्र की प्राप्ति की तिथि से बारह महीने से पहले की (नहीं) होगी, के बकाया राशि को लौटाने के लिये, या उसके पूर्व से स्वामित्व में रहनेवाला या अर्जित किया हुआ मकान को पुनर्निमित करने या उसमें रद्दोबदल या परिवर्तन करने के लिए;

(ख) गृह-स्थल खरीदने के लिए या इसी उद्देश्य से निकासी वास्ते आवेदन पत्र प्राप्ति की तिथि से पहले स्पष्टतः लिया गया किसी ऋण, जो उक्त तिथि से बारह महीने पहले नहीं लिया गया हो, मद्दे किसी बकाया राशि को लौटाने के लिये;

(ग) ऊपर में उल्लिखित खंड (ख) के तहत निकाली गई राशि को प्रयोग करके खरीदा गया स्थल पर गृह-निर्माण के लिए।

किसी भी अभिदाता को जो गृह-निर्माण प्रयोजन के लिये अग्रिम लेकर लाभान्वित हुआ है या जिसे किसी अन्य सरकारी साधन से इस प्रयोजन में कोई सहायता प्राप्त हुई है, ऊपर में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए तथा गृह-निर्माण प्रयोजनों के लिये लिये गये किसी ऋण को चुकाने के लिए अंतिम निकासी करने वास्ते अर्हता होगी।

3. **निकासी की शर्तें**—(1) अभिदाता द्वारा कण्डिका (2) में विनिर्दिष्ट एक या एकाधिक प्रयोजनों के लिये निधि में उसके खाता पर रहनेवाली राशि से किसी समय निकाली गई कोई भी राशि सामान्यतया गैर अंशदायी भविष्य-निधि की स्थिति में, उक्त राशि के आधी रकम अथवा छः महीने का वेतन, जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। तथापि, स्वीकृति प्राधिकारी (i) उद्देश्य जिसके लिये निकासी की जाती हो, (ii) अभिदाता की हैसियत, और (iii) निधि के उसके खाता में जमा राशि का सम्यक ख्याल करते हुए अतिशेष

(बैलेंस) की अधिकतम 3/4 की सीमा तक अधिक राशि निकालने की स्वीकृति दे सकेगा।

अंशदायी भविष्य-निधि की स्थिति में निकासी की अधिकतम राशि अभिदाता के खाता पर ब्याज समेत, उसके द्वारा उस वक्त तक अंशदान की गई राशि से अधिक नहीं होगी :

परंतु यह कि उस मामला में, जिसमें अभिदाता किसी गृह-निर्माण अग्रिम का लाभ ले चुका हो अथवा किसी अन्य सरकारी साधन से इसके लिये सहायता प्राप्त कर चुका हो, निकाली गई राशि ली गई अग्रिम राशि या किसी अन्य सरकारी साधन से ली गई सहायता राशि का योग 75,000 रु० या 5 वर्ष के वेतन, इनमें जो कम हो, से अधिक नहीं होगा।

(2) निधि से धन निकालने वास्ते अनुमति दिया जानेवाला अभिदाता स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जानेवाली समय सीमा के अन्दर उक्त प्राधिकारी को आश्वस्त करेगा कि जिस प्रयोजन के लिये धन निकाला गया उस पर उस धन को खर्च किया गया है, और यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो सारा का सारा निकाला गया धन अथवा उसका उतना भाग जितना उस प्रयोजन पर नहीं खर्च किया गया हो जिसके लिये वह निकाला गया था, अभिदाता द्वारा निधि में तत्काल एकमुश्त विहित ब्याज समेत लौटा दिया जायगा, और इस तरह से नहीं लौटाये जाने पर, स्वीकृति पदाधिकारी द्वारा यह आदेश दिया जायगा कि अभिदाता की परिलब्धियों से उसे एक मुश्त में या उतनी मासिक किश्तों में, जो सरकार निर्धारित करे, वसूल कर लिया जाए।

उस अभिदाता को उसके द्वारा लौटाई जाने वाली किसी राशि पर कोई ब्याज नहीं देना होगा जिसकी निधि की जमाराशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता है।

(3) ऐसी स्वीकृति वास्ते विशेष कारणों से सक्षम प्राधिकारी को इन आदेशों की शर्तों के अनुसार निकासी स्वीकृत करने की शक्ति प्राप्त है जब निकासी के लिए सभी शर्तों और बंधजों पूरे होते हों। किसी शर्त्त और बंधेज को शिथिल करने सम्बन्धी आवश्यक मामले वित्त विभाग को निर्देशित किये जायेंगे।

(4) निधि से वास्तविक निकासी महालेखाकार बिहार, से प्राधिकार-पत्र प्राप्ति के बाद ही होगी, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा औपचारिक स्वीकृति निर्गत होते ही इसकी व्यवस्था करेगा।

5. प्रत्यर्पणीय अग्रिम का अप्रत्यर्पणीय निकासी में परिणत किया जाना।–अभिदाता, जिसे इन आदेशों के तहत रियायतों का लाभ लेने की अर्हता है और जिसने इन आदेशों के जारी होने की तिथि से पहले ऊपर में उल्लिखित किये गये किसी प्रयोजन के लिये सुसंगत भविष्य-निधियों के विद्यमान नियमों के तहत प्रत्यर्पणीय अग्रिम निकाला है, स्वीकृति प्राधिकारी को लिखित अनुरोध पत्र देकर अग्रिम के बकाया को अप्रत्यर्पणीय निकासी में परिणत कर सकेगा।

5. वार्षिक घोषणा और दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण।–(क) अभिदाता, जिसे कण्डिका 2(2) के तहत निधि के अपने खाता में रहनेवाली राशि से धन निकालने की अनुमति दी गई है, वैसे फारम में, जो समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किया जायगा, 31 दिसम्बर को या उससे पहले वार्षिक घोषणा पत्र समर्पित करेगा और कहे जाने पर स्वीकृति प्राधिकारी के समक्ष टैक्स रसीदों, स्वत्व-विलेखों या दस्तावेजों को प्रस्तुत करके समाधान करेगा कि गृह उसके मात्र स्वामित्व में है और उसने विक्रय, बंधक, पट्टा या तीन वर्षों से अधिक के लिये पट्टा के जरिए, बिना स्वीकृति प्राधिकारी की पूर्वानुमति के, उसपर से अपना कब्जा नहीं त्यागा है।

(ख) यदि सेवा निवृत्ति से पहले अभिदाता किसी समय, उपर्युक्त उप-कण्डिका (क) के प्रावधानों के प्रतिकूल, गृह पर से अपना कब्जा त्याग देता हो तो उसे (अभिदाता को) तत्काल उसके द्वारा निकाली गई राशि साथ-साथ उक्त भविष्य नियमावली के सुसंगत नियम के तहत उसपर निर्धारित किया गया ब्याज एकमुश्त निधि में लौटाना होगा और इस तरह नहीं लौटाने पर स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा उक्त राशि को एक मुश्त या उतने मासिक किश्तों में, जितने स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किये जायेंगे, उसकी परिलब्धियों से वसूल करने का आदेश दिया जायगा, परंतु यह कि जिस अभिदाता की निधि में जमाराशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता हो उसे लौटाई जानेवाली राशि पर कोई ब्याज नहीं देना होगा।

6. विधान सभा/ विधान परिषद्/ उच्च न्यायालय में कार्यरत कार्मिकों के सम्बन्ध में अध्यक्ष, बिहार विधान सभा, सभापति, विधान परिषद् और मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद ये आदेश निर्गत किये गये हैं। [सं० एफ 2-4042/62-12162 एफ 1, 21 सितम्बर, 1962]

फारम

वचनपत्र का फारम

सेवा में

राज्यपाल, बिहार।

उपर्युक्त भवन निर्मित या अर्जित करने के लिए, निर्माण स्थल समेत, लागत वास्ते बिहार सरकार, वित्त विभाग संकल्प सं० एफ 2-20/96/57-3018 वि०, दिनांक 3 मार्च 1958 के प्रावधानों के तहत

बिहार सामान्य भविष्य-निधि / अंशदायी भविष्य निधि में मेरे खाता पर स्थित राशि से ..... रु० (..... रुपए) को रकम की निकासी के लिये मुझे अनुमति देने वास्ते मेरे अनुरोध का राज्यपाल (एतस्मिन् पश्चात् "सरकार" शब्द से निर्दिष्ट) के सहमत होने के प्रतिफल स्वरूप मैं एतद् द्वारा वचन देता हूँ कि मैं तस्मिन् प्रविष्ट उन शर्तों और बंधेजों का पालन और सम्पादन करूँगा जो मुझ पर लागू होंगे, विशेषकर निम्नांकित शर्तों और बंधेजों का पालन करूँगा, अर्थात् :–

1. यह कि राशि, जिसकी निकासी के लिए आवेदन पत्र दिया जायगा, को वस्तुतः निर्माण स्थल समेत उपयुक्त गृह निर्मित या अर्जित करने पर लगाया जाएगा।

2. यह कि यदि निकासी के लिये अनुमति दी गई राशि निर्माण-स्थल की कीमत समेत उपयुक्त भवन निर्मित या अर्जित करने पर मेरे द्वारा लगाया गया वास्तविक खर्च से अधिक होगी तो उक्त अधिक राशि, उस पर निर्धारित दर से ब्याज समेत, मेरे द्वारा तत्काल एक मुश्त, बिना मांग किये, चाहे उसकी मांग की जाय या नहीं, मेरी भविष्य निधि में जमा कर देने के लिये सरकार को लौटा दी जाएगी;

3. यह कि इस तरह निकाली गई राशि से मेरे द्वारा निर्मित या अर्जित किया जानेवाला भवन या तो मेरे कार्य स्थान पर स्थित होगा या उस ... ... स्थान पर जहाँ मैं सेवा निवृत्ति के बाद रहना चाहता हूँ;

4. यह कि यदि मैं भवन का निर्माण करूँगा तो उपर्युक्त राशि की निकासी के छः महीने के अन्दर भवन का निर्माण शुरु कर दिया जायगा और निर्माण की शुरुआत की तिथि से एक वर्ष के अन्दर या उस बढाई गई अगली अवधि के अन्दर, जो स्वीकृति प्राधिकारी अपने निरपेक्ष विवेकानुसार मंजूर करेगा, निर्माण पूरा कर लिया जायगा। मेरे द्वारा पूर्व में इस प्रयोजनार्थ प्राइवेट पक्षकारों से लिया गया किसी ऋण से खरीदा गया निर्मित भवन की स्थिति में, उक्त ऋण, राशि की निकासी के तीन महीने के अन्दर या उस बढ़ाई गई अवधि के अन्दर जिसकी स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा दी जाएगी, वसूल कर दिया जाएगा।

5. यह कि भवन के निर्माण करने की दशा में उस स्थल पर, जिसपर भवन का निर्माण करना प्रस्तावित है, निर्माणार्थ अधिकार मेरे द्वारा तुरंत प्राप्त किया जाएगा।

6. यह कि भवन के निर्माण के लिये जितने सामानों की आवश्यकता है उतने के लिये, यदि आवश्यक हुआ तो, स्थानीय प्राधिकारियों से प्लान और परमिट मेरे द्वारा उपलब्ध कर लिये जाएंगे।

7. यह कि निर्मित मकान को खरीदने के लिए निकासी करने की हालत में, मैं खरीदारी की कीमत चुकाने से पहले उक्त मकान और भूमि, जिसपर उक्त मकान निर्मित है, पर अविवादित हकीयत प्राप्त करूँगा।

8. यह कि जब तक मैं सेवा में रहूँगा तबतक हर साल 31 दिसम्बर को या उससे पहले सरकार द्वारा निर्धारित फारम में घोषणा-पत्र दिया करूँगा कि उक्त निर्मित या अर्जित मकान मेरे एकमात्र स्वामित्व और कब्जा में है।

9. यह कि जबतक मैं सेवा में रहूँगा, उक्त निर्मित या अर्जित मकान, बिना स्वीकृति-प्राधिकारी की

लिखित पूर्वानुमति के, मेरे द्वारा विक्रय, बंधक, बदलैन, दान या तीन वर्ष से अधिक के लिये पट्टा के जरिए अंतरित नहीं किया जाएगा।

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरी निजी बचत, निकासी के लिये अनुमत राशि के साथ मिलकर मकान बनाने या अर्जित करने के लिए पर्याप्त होगी, और मेरा कोई भी मकान नहीं है सिवा उसके जिसे मेरे कार्य के स्थान पर या ... ... इच्छित स्थान पर, जहाँ मैं सेवानिवृत्ति के बाद रहना चाहता हूँ, बनाने या अर्जित करने की मंशा है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि यदि उक्त संकल्प के प्रावधानों के अनुसार मकान का क्रय या निर्माण नहीं होगा या मैं उपर्युक्त शर्तों या बंधेजों का किसी प्रकार उल्लंघन करूँगा तो मैं बिहार सामान्य भविष्य-निधि। बिहार अंशदायी भविष्य-निधि को अपने लेखा में जमा देने के वास्ते उक्त संकल्प के अनुसार निधि से निकालने की अनुमत समूची राशि, साथ-साथ पूर्वोक्त संकल्प के कण्डिका (III) (6) (ख) में उपबंधित दर से ब्याज, वापस कर दूँगा।

आज दिनांक ... ... माह 20

स्थान ... ... हस्ताक्षर ... ...

9.

विषय :–विभिन्न प्रयोजनों के लिए भविष्य निधि से अप्रत्यपर्णीय निकासियों के लिये विहित की गई आयु और सेवा की सीमाओं में परिवर्तन।

वित्त विभाग संकल्प सं॰ एफ 2-4042/62-12162 दिनांक 21.9.62 के कण्डिका 2(I) और (II) को निर्देशित करते हुये कहना है कि अप्रत्यपर्णीय भविष्य-निधि निकासियों के लिये तद्स्मिन् विहित सेवा और आयु की सीमाओं पर पुनर्विचार किया गया है।

राज्य सरकार ने अब निर्णय लिया है कि उपर्युक्त संकल्प में यथोल्लिखित विभिन्न प्रयोजनों के लिए भविष्य-निधि से अप्रत्यपर्णीय निकासियां अभिदाताओं को केवल बीस वर्ष सेवा पूरी करने के बाद या वार्धक्य सेवा-निवृत्ति के पूर्व के दस वर्षों के भीतर जो पहले घटित हो स्वीकृत की जायेंगी। **[जी॰ ओ॰ सं॰ एफ 2-4012/64-7730, वि॰ दिनांक 18.7.1964 में देखें।]**

10.

विषय :–भविष्य-निधि से अप्रत्यपर्णीय निकासी की स्वीकृति।

वित्त विभाग संकल्प सं॰ एफ-2-4042/62-12162, वि॰, दिनांक 21.9.1962 के कण्डिका 4 को निर्देशित करते हुए कहना है कि उसका आंशिक उपांतरण करते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि उपर्युक्त आदेशों के जारी होने के बाद लिये गये अथवा भविष्य में लिये जानेवाले अग्रिमों को भी, ऐसी निकासियों की स्वीकृति के लिये आवश्यक शर्तों को पूरा करके, अप्रत्यपर्णीय निकासियों में परिणत किया जा सकेगा। **[जी॰ ओ॰ सं॰ एफ 2-4012/64-7731 वि॰, दिनांक 18.7.1964]**

11.

विषय :–अग्रिम को अंतिम निकासी में परिणत करना।

वित्त विभाग संकल्प सं॰ 12162 एफ दिनांक 21 सितम्बर 1962 के कण्डिका 4 और ज्ञाप सं॰ 7731 दिनांक 18.7.1964 को निर्देशित करना है जिसमें प्रावधान है कि वैसा अभिदाता जिसने नियमों के तहत पहले अग्रिम निकाला हो या आगे अग्रिम निकालेगा, यदि चाहे तो, स्वीकृति प्राधिकारी के माध्यम से लेखा पदाधिकारी को लिखित अनुरोध-पत्र देकर अंतिम निकासी की अपनी अर्हता के विषय में विहित शर्तों को पूरा करके अपने जिम्मे बकाया पड़े अतिशेष (बैलेंस) को अंतिम निकासी में परिणत कर सकेगा। संदेह यह किया गया है कि उसके खाता में संचित वह कौन सी राशि होगी जो अग्रिम की स्वीकृति के समय उसके खाता में संचित अभिदानों की राशि और उस पर का ब्याज या परिणत किये जाने वास्ते अनुरोध पत्र देते समय निधि में का अतिशेष (बैलेंस), यथास्थिति को उपर्युक्त संकल्प के कण्डिका 3(1) की शर्तों के तहत, अनुरोधपत्र के प्रयोजन के लिये सीमा तय करने में ली जायगी–क्या उक्त राशि का एकार्ध या छः महीने का वेतन, जो दोनों में कम हो, या उसका 75%। दूसरे शब्दों में, प्रश्न यह है कि

क्या अंतिम निकासी में परिणत किये जाने के समय उसके खाता में संचित ऐसी राशि के संदर्भ में सीमा लागू होगी। उस विषय में जाँच की गई और स्थिति निम्नलिखित कण्डिका में स्पष्ट की जाती है।

2. तिथि विशेष पर अंतिम निकासी में परिणत किये जाने वास्ते ब्याज सहित अग्रिम का विद्यमान अतिशेष (बैलेंस) उक्त तिथि पर, यदि उसने अग्रिम नहीं लिया होता तो, अंतिम निकासी के लिये स्वीकार्य शुद्ध राशि होगा। अतः यह स्पष्ट है कि परिणत करने की तिथि पर अंतिम निकासी में परिणत किये जाने वास्ते ब्याज सहित विद्यमान अतिशेष के संदर्भ में राशि के निर्धारण के लिये उसके लेखा में संचित ब्याज सहित अभिदान की राशि के साथ ब्याज सहित अग्रिम का बकाया (आउट स्टैंडिंग) अभिदान को जोड़ना अनिवार्य होगा। जहाँ एक से अधिक बकाये अग्रिमों को परिणत किया जाना होगा वहाँ यही प्रक्रिया प्रत्येक अग्रिम के सम्बन्ध में अलग-अलग अपनायी जायगी। तदनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के दिशा निर्देश के लिए निम्नांकित स्पष्टीकरण दिया जाता है।

(i) इस विभाग के संकल्प सं॰ 12162-एफ दिनांक 21 सितम्बर, 1962 के कण्डिका 4 और इस विभाग के ज्ञाप सं॰ 7731 एफ, दिनांक 18 जुलाई, 1964 के शर्तों के अनुसार अग्रिम को अंतिम निकासी में परिणत करने के लिए उपर्युक्त संकल्प के कण्डिका 3(1) के प्रयोजन के लिए, अतिशेष के रूप में परिणत किये जाने के समय अभिदाता के लेखा में संचित ब्याज सहित अभिदान की राशि, साथ-साथ अग्रिम की बकाया राशि (ब्याज समेत) को लिया जायगा।

(ii) उपर्युक्त संकल्प के कण्डिका 4 के प्रावधानों के शर्तों के अनुसार प्रत्येक निकासी एक पृथक निकासी समझी जाएगी और एतदनुसार वही सिद्धांत एक से अधिक परिणत किये जानेवाले मामलों में भी लागू होगा अर्थात् प्रत्येक मामला में अतिशेष को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त ज्ञाप के कण्डिका (3)(1) के शर्तों के अनुसार सीमा लागू की जायगी। **[ज्ञाप सं॰ एफ 2-4019/67-1362 वि॰, दिनांक 13-4-1968]**

12.

*** विषय**–भविष्य निधि से गृह निर्माणार्थ अप्रत्यपर्णीय निकासी–वार्षिक घोषणा-पत्र का दाखिला।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या एफ-4042/62-12162 दिनांक 21.9.62 की कंडिका (5) के अनुसार जिन अंशदायियों की गृह निर्माण या क्रय, जमीन खरीदने तथा गृह निर्माणार्थ या भूमि क्रय के लिये ली गयी ऋण के बकाये राशि की वसूली के लिए उक्त संकल्प की कंडिका 2(2) के अन्तर्गत सामान्य भविष्य निधि से अप्रत्यपर्णीय निकासी स्वीकृत की गयी हो उन्हें उक्त राशि से निर्मित या कृत गृह या गृहस्थान से बिना सरकार की पूर्व अनुमति के बिक्री, बन्धक, दान, विनिमय या तीन वर्ष से अधिक के लिए पट्टे (Lease) के द्वारा अपने अधिकार नहीं हटाना चाहिये। उन्हें प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर तक उक्त गृह या गृहस्थान पर अपने आधिपत्य का घोषणा पत्र और यदि आवश्यकता हुई तो प्रमाण में मूल दस्तावेज और अन्य आधिपत्य प्रमाणित कागजात निकासी/ स्वीकृति पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिये।

(2) विचारणीय है कि यदि किसी सरकारी सेवक ने गृहनिर्माण के लिए सरकार से ऋण लिया हो तो उक्त वार्षिक घोषणा प्रस्तुत करना उसके लिए सम्भव नहीं है क्योंकि सरकारी गृह निर्माण ऋण के एवज में मकान/जमीन सरकार के पास गिरवी रहेगी। प्रश्न है कि क्या ऐसी परिस्थिति में वार्षिक घोषणा पत्र की माँग न की जाय।

(3) विषय के प्रसंग में विचारोपरान्त यह निर्णय किया है कि उक्त परिस्थिति में जब तक मकान या जमीन सरकार के पास गिरवी रहे सरकारी सेवक हर वर्ष के 31 दिसम्बर, तक निम्न घोषणा-पत्र में हस्ताक्षर कर स्वीकृति प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

"मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मैंने जिस घर/जमीन के निर्माण या क्रय के लिए भविष्य निधि से अन्तिम निकासी की थी वह अभी तक मेरे अधिकार में है पर सरकार के पास गिरवी है।"

तिथि ... ... सरकारी सेवक का नाम
स्थान ... ... हस्ताक्षर–
पता–

[*Vide F.D. Memo No. F2-4010/68—8376F., dated 9.9.1970]

13.

विषय :–सामान्य भविष्य-निधि से अप्रत्यपर्णीय अग्रिम की स्वीकृति।

वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार संकल्प सं॰ 12162 एफ, दिनांक 21.9.1962 तथा 7730 एफ और 7731 एफ दिनांक 18.7.1964 के तहत सामान्य भविष्य-निधि से अग्रिम की निकासी महालेखाकार, बिहार, से प्राधिकार पत्र प्राप्ति पर ही की जा सकती है। राज्य सरकार ने इस प्रक्रिया पर पुनर्विचार किया है। सरकार ने अब निर्णय लिया है कि अप्रत्यपर्णीय अग्रिम के रूप में अपेक्षित धन राशियों की निकासी के लिये महालेखाकार, बिहार, के प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। जब कभी अप्रत्यपर्णीय अग्रिम की निकासी चाहनेवाला आवेदक भविष्य-निधि लेखा के नवीनतम उपलब्ध विवरण के उल्लेख के साथ सामान्य भविष्य-निधि लेखा में अपने खाता पर रहनेवाली राशि के बारे में सक्षम प्राधिकारी को अपनी स्थिति से संतुष्ट कर देगा, साथ-साथ पश्चात्वर्ती अभिदानों का प्रमाण भी पेश कर देगा, तब वित्त विभाग की सहमति से सक्षम प्राधिकारी उक्त अग्रिम स्वीकृत कर सकेगा। तथापि, जहाँ आवेदक सक्षम प्राधिकारी को उसके खाता में रहनेवाली जमा राशि के बारे में संतुष्ट नहीं कर सके या जहाँ आवेदनपत्र द्वारा मांगी गई निकासियों की अनुमान्यता के बारे में कोई संदेह हो, वहाँ अप्रत्यपर्णीय अग्रिम की राशि की अनुमान्यता के निर्धारणार्थ सक्षम प्राधिकारी को समर्थ बनाने के मद्देनजर आवेदक के खाता में जमा राशि को विनिश्चित करने के लिए महालेखाकार, बिहार, को मामला निर्देशित किया जा सकेगा। निकासी की स्वीकृति में सामान्य भविष्य-निधि लेखा संख्या प्रमुखता से दिखाई रहेगी और उक्त स्वीकृति महालेखाकार, बिहार, को पृष्ठांकित की जायगी। स्वीकृति प्राधिकारी पर यह सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी होगी कि इस आशय का एक अभिस्वीकृति-पत्र महालेखाकार बिहार से प्राप्त किया जाय कि निकासी की स्वीकृति अभिदाता के लेजर-लेखा में दर्ज कर लिया गया है। यदि महालेखाकार रिपोर्ट करे कि स्वीकृत की गई निकासी अभिदाता के जमा-खाता में स्थित राशि से अधिक है या अन्यथा अननुमतेय (inadmissible) है, तो अभिदाता को निकाली गई पूरी-की-पूरी राशि वापस करनी होगी। [ज्ञाप सं॰ एफ 2/1012/72/12443 वि॰, दिनांक 5.10.1972 देखें।

14.

*विषय–भविष्य निधि से अस्थायी एवं अप्रत्यपर्णीय अग्रिमों के स्वीकृत्यादेशों की प्रतियाँ सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारियों को अग्रसारित करना।

राज्य सरकार को ऐसी सूचना मिली है कि कई एक मामलों में जाली स्वीकृत्यादेशों के आधार पर कोषागार से भविष्य निधि अग्रिम की निकासी की गयी है। ऐसे मामलों की पुनर्वृतियाँ रोकने के उद्देश्य से सरकार ने यह निर्णय लिया है कि भविष्य निधि से स्वीकृत होनेवाली प्रत्येक अस्थायी या अप्रत्यपर्णीय अग्रिम के स्वीकृत्यादेश की प्रति मुहर बन्द लिफाफे में उस कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अनिवार्य रूप से अग्रसारित की जाय जहाँ से अग्रिम की निकासी की जायगी तथा सम्बन्धित कोषागार में स्वीकृत्यादेश की प्रति की पावती को सुनिश्चित करने हेतु उसे निबन्धित डाक अथवा विभागीय चपरासी वही के माध्यम से प्रेषित की जाय। सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी कृपया अग्रिम की निकासी सम्बन्धी विपत्र को तब तक पारित नहीं करें जबतक कि उन्हें कोषागार पदाधिकारी को भेजी गयी स्वीकृत्यादेश की प्रति प्राप्त न हो जाय तथा कोषागार की प्रति, अग्रिम की निकासी सम्बन्धी विपत्र के साथ संलग्न स्वीकृत्यादेश की प्रति के साथ मिलान करने पर दोनों प्रतियों में स्वीकृत करने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर एवं अन्य बिन्दुओं की एकरूपता से पूर्णतः सन्तुष्ट न हो ले।

2. प्रायः ऐसा भी देखा गया है कि भविष्य निधि से अग्रिम का स्वीकृत्यादेश तथा उसका अग्रसारण ज्ञाप विभिन्न पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत किया जाता है। ऐसी स्थिति में महालेखाकार तथा कोषागार पदाधिकारी के लिए विपत्र के साथ संलग्न स्वीकृत्यादेश की प्रति एवं अपनी प्रति पर अग्रिम स्वीकृत करने वाले पदाधिकारी को हस्ताक्षर इत्यादि का मिलान करना सम्भव नहीं होगा। अतः अनुरोध है कि भविष्य निधि अग्रिम से सम्बन्धित स्वीकृत्यादेश एवं अग्रसारण ज्ञाप एक ही पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय जिससे स्वीकृत्यादेशों को मिलान करने तथा जाली स्वीकृत्यादेशों को पकड़ने में सुविधा हो। [*वित्त विभाग ज्ञाप संख्या एम 1-014/76/4354 वि॰ दिनांक 24.4.1976].

15.

*विषय–सामान्य भविष्य निधि से अप्रत्यपर्णीय अग्रीम के सम्बन्ध में किये गये भुगतान के लिए प्रमाण पत्र निर्गत करना।

अप्रत्यपर्णीय अग्रिम के सम्बन्ध में निर्गत आदेशों के पश्चात् अग्रिम का भुगतान किया गया या नहीं इसकी जाँच महालेखाकार के कार्यालय में होना आवश्यक है। महालेखाकार का कहना है कि बहुत से मामले में भुगतान सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्राप्त होते हैं परन्तु कुछ मामले में प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस सम्बन्ध में प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से महालेखाकार के कार्यालय में भेजने पर निकासी एवं व्ययन पदधिकारी ध्यान नहीं देते हैं। अतः किस मामले में भुगतान हुआ या किस मामले में भुगतान नहीं हुआ इसकी जाँच के लिए यह आवश्यक है कि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा भुगतान सम्बन्धी प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से भेजा जाय।

ऐसी स्थिति में अधीनस्थ कार्यालयों को इस आशय का निदेश निर्गत कर अनुरोध करें कि वे भविष्य निधि से निकाली के रुपयों के भुगतान के सम्बन्ध में अनिवार्य रूप से प्रमाण पत्र महालेखाकार को भेजें। [* वित्त विभाग ज्ञाप संख्या एम 1-31/78/10304 दिनांक 3.11.1978]

16.

* विषय–सेवा निवृत्ति के पूर्व के 12 माह के अन्दर अस्थायी अग्रिम एवं 3 माह के अन्दर अप्रत्यपर्णीय अग्रीम की स्वीकृति नहीं प्रदान करने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के आदेश संख्या-3490 के उत्तरार्ध की कंडिका 4 को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहना है कि सेवा निवृत्ति के पूर्व के बारह माह की अवधि से अस्थायी अग्रिम एवं 3 माह के अन्दर अप्रत्यपर्णीय अग्रिम की स्वीकृति नहीं प्रदान की जाय। विभाग आवेदन पत्र प्राप्त करने के समय ही इस बात की भलीभाँति जाँच कर लें कि उपर्युक्त सीमा के अन्दर अग्रिम स्वीकृति प्रदान की जाती है या नहीं। विभागों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्राप्त होनेवाले सभी आवेदन पत्रों को वित्त विभाग में आगे की कार्रवाई हेतु अग्रसारित करने में तत्परता एवं शीघ्रता से कार्रवाई की जाय। यह इसलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थियों को जहाँ अनुमान्य हो, अग्रिम की निकासी की सुविधा समय पर प्राप्त हो सके तथा निकासी का भाउचर महालेखाकार, बिहार के पास प्राप्त हो जाय तथा अग्रिम निकासी के आवेदन पत्र में उसका उल्लेख हो सके। अतः अनुरोध है वैसे अप्रत्यपर्णीय निकासी के प्रस्तावों पर प्रशासी विभाग में विचार नहीं किया जाय तथा वित्त विभाग में नहीं भेजा जाय जिसमें सेवा निवृति के तीन माह पूर्व स्वीकृत्यादेश निर्गत करना सम्भव नहीं हो। [* वित्त विभाग ज्ञाप संख्या एम 1-038/67/11435 वि॰, दिनांक 1.9.1979]

17.

* विषय–सामान्य भविष्य निधि से अग्रीम के रूप में स्वीकृत राशि तथा अन्तिम निकासी से संबंधित विपत्रों को पारित करने के सम्बन्ध में।

कतिपय कार्मिकों द्वारा वित्त विभाग को यह सूचित किया गया है कि सामान्य भविष्य निधि से स्वीकृत अग्रिम की राशि की निकासी से संबंधित विपत्रों को कोषागार पदाधिकारी द्वारा इस आधार पर पारित नहीं किया जा रहा है कि वित्त विभाग का ऐसा निदेश अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है तथा कतिपय

मामलों में वित्त विभाग से शिथिलीकरण आदेश प्राप्त करने का निदेश भी दिया गया है। इस संदर्भ में निदेशानुसार स्पष्ट करना है कि वित्त विभाग के ज्ञाप सं॰ 2775 वि॰ (2) दिनांक 27.4.96 के जरिये कौश रेगुलेशन स्कीम को तत्काल स्थगित करते हुए बजटीय नियंत्रण की व्यवस्था को यथा पूर्ववत् लागू करने का निर्णय लिया गया है। संगत आदेश के जरिये सामान्य भविष्य निधि से स्वीकृत अग्रिम की राशि से संबंधित विपत्र को पारित करने के प्रसंग में किसी भी प्रकार का बंधेज नहीं लगाया गया है एवं संगत आदेश के आलोक में सामान्य भविष्य निधि से स्वीकृत अग्रिम से संबंधित विपत्र को आवश्यक जाँचोपरान्त पारित किया जा सकता है।

2. अतः अनुरोध है कि सामान्य भविष्य निधि से नियमानुसार स्वीकृत अग्रिम से संबंधित विपत्र तथा अन्तिम निकासी से संबंधित विपत्र को वित्त विभाग के ज्ञाप सं॰ 2775/वि॰ (2) दिनांक 27.4.96 के आलोक में आवश्यक जांचोपरान्त पारित किया जा सकता है। इसके लिए आवंटनादेश की आवश्यकता नहीं होगी। वित्त विभाग के पत्र सं॰-6/ए॰ एफ॰ सी॰ दिनांक 27.1.96 को भी मात्र इस प्रयोजनार्थ आंशिक रूप से शिथिल माना जाय। [पत्र संख्या-एम 4/8/96/3749/वि॰, (2) दिनांक 28 जून 96 ई॰ ।]

18.

बिहार सरकार (भविष्य निधि निदेशालय), वित्त विभाग, पत्र सं॰-जी॰ पी॰ एफ॰-1-276/ 98-7406 दिनांक 25.7.98, प्रेषक, श्री संजीव कुमार सिन्हा, निदेशक, सेवा में, सभी आयुक्त एवं सचिव, सभी विभागाध्यक्ष।

विषय–भविष्य निधि लेखा संधारण एवं अंतिम निकासी कार्य में आवश्यक सुधार के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि 1986 से राज्य के कर्मचारियों/ पदाधिकारियों के भविष्य निधि लेखा संधारण का कार्य महालेखाकार से लेकर भविष्य निधि निदेशालय द्वारा संपादित किया जा रहा है। इस क्रम में महालेखाकार कार्यालय द्वारा वर्ष 1981-82 तक का अंतशेष उपलब्ध कराया गया। 1981-82 से 1997-98 तक लेखा संधारण का कार्य निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त कटौती विवरणी के आलोक में किया जा रहा है। किन्तु प्रशासी विभाग द्वारा समय पर कटौती विवरणी उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण लेखा संधारण कार्य में कठिनाई होती है। साथ ही सेवा निवृत कर्मियों के मामले में भी कटौती विवरणी, अंतिम निकासी आवेदन इत्यादि उपलब्ध कराने में विलम्ब के कारण अनावश्यक ब्याज का भुगतान करना पड़ता है।

अतः अनुरोध है कि लेखा संधारण/ अंतिम भुगतान के कार्य में गुणवत्ता करने के उद्देश्य से निम्नांकित सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित करने की कृपा की जाय–

(1) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि विभाग के अधीन कार्यरत सभी कर्मियों को नया भविष्य-निधि लेखा संख्या आवंटित है। जिन कर्मचारियों/ पदाधिकारियों को अब तक नया लेखा संख्या आवंटित नहीं है उनसे तत्संबंधी आवेदन प्राप्त कर संबंधित जिला भविष्य निधि कार्यालय/ निदेशालय को एक माह के अन्दर निश्चित रुप से उपलब्ध करा दिया जाये।

(2) कर्मचारियों/ पदाधिकारियों के स्थानान्तरण/ पदस्थापन की स्थिति में अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के साथ ही भविष्य निधि लेखा से संबंधित डेबिट/क्रेडिट भी भेजे जाने की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय, जिसमें इस बात का भी उल्लेख हो कि संबंधित कर्मचारी/ पदाधिकारी के भविष्य निधि लेखा का संधारण किस वर्ष तक का तथा किस कार्यालय द्वारा किया जा चुका है।

(3) अगले एक वर्ष में सेवा निवृत होने वाले कर्मचारियों/ पदाधिकारियों की सूची संबंधित जिला भविष्य निधि कार्यालय/ सचिवालय भविष्य निधि कोषांग को शीघ्र उपलब्ध करायी जाये तथा उनके भविष्य निधि लेखा से संबंधित अद्यतन कटौती विवरणी शीघ्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी सुनिश्चित किया जाये।

(4) अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों/ पदाधिकारियों के वर्तमान पत्राचार का पता संबंधित भविष्य निधि कोषांग को उपलब्ध करायी जाये।

(5) अंतिम निकासी संबंधी आवेदन पत्र प्रेषित करते समय संबंधित कर्मचारी/पदाधिकारी का वर्तमान पत्राचार का पता तथा आवेदन समर्पित करने की तिथि भी अंकित किया जाय। यदि उक्त आवेदन पत्र सेवानिवृत्ति की तिथि के बाद उपलब्ध कराया जाता है तो विलम्ब के कारणों का भी उल्लेख किया जाय।

19.

बिहार सरकार, वित्त विभाग, पत्र सं॰-जी॰ पी॰ एफ॰ 1-427/99-12610, दिनांक 18.9.99 प्रेषक, श्री प्रत्यूष सिन्हा, आयुक्त एवं सचिव। सेवा में, सभी विभागीय सचिव, सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी, सभी कोषागार पदाधिकारी।

विषय–वेतन विपत्र के साथ अपूर्ण भविष्य निधि अनुसूचियों के रहने तथा एक विपत्र में एक ही कर्मचारी को स्वीकृत अग्रिम की राशि रहने के संबंध में।

राज्य के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखा को अद्यतन करने के उद्देश्य से भविष्य निधि अनुसूचियों के आधार पर पदाधिकारियों और कर्मचारियों की भविष्य निधि की कटौतियों एवं स्वीकृत अग्रिम की प्रविष्टि कम्प्यूटर में कराने का काम शुरु किया गया है। कम्प्यूटर में प्रविष्टि के दौरान ऐसा पाया गया है कि भविष्य निधि अनुसूचियों में बहुत सारे कर्मचारियों की भविष्य निधि लेखा संख्या अंकित नहीं रहती है। इसके चलते उनके लेखा संधारण में कठिनाई होती है।

2. ऐसा पाया गया है कि कई निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एक ही विपत्र में एक से अधिक कर्मचारियों को स्वीकृत भविष्य निधि के अग्रिम की निकासी करते हैं। प्रोग्रामिंग के मुताबिक कम्प्यूटर में एक विपत्र में एक ही कर्मचारी को स्वीकृत अग्रिम की प्रविष्ट की जा सकती है।

3. अतः अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को निर्देश देने का कष्ट करें कि वे वेतन विपत्र के साथ संलग्न भविष्य निधि अनुसूचियों में पूर्ण विवरण-अंकित करें। उसी प्रकार, हर कर्मचारी/पदाधिकारी को स्वीकृत भविष्य निधि अग्रिम की निकासी अलग अलग विपत्र द्वारा की जाए। कोषागार पदाधिकारी उन वेतन विपत्रों को पारित नहीं करेंगे जिनमें संलग्न भविष्य निधि अनुसूची में एक भी कर्मचारी से संबंधित लेखा संख्या अंकित नहीं हो, साथ ही वे दो कर्मचारियों से संबंधित भविष्य निधि अग्रिमों की निकासी के लिए समर्पित संयुक्त विपत्र को भी पारित नहीं करेंगे।

20.

बिहार सरकार (भविष्य निधि निदेशालय), वित्त विभाग, पत्र सं॰-जी॰ पी॰ एफ॰-1-466/ 99-15727, दिनांक 2.11.1999, प्रेषक, श्री प्रत्युष सिन्हा, आयुक्त एवं सचिव, वित्त विभाग। सेवा में, सभी आयुक्त एवं सचिव/ सभी विभागाध्यक्ष

विषय–सेवा निवृत्त/मृत सरकारी सेवकों के भविष्य निधि की अंतिम निकासी के मामलों के त्वरित निष्पादन के संबंध में।

उपर्युक्त विषय में सूचित करना है कि सेवा निवृत एवं मृत सरकारी सेवकों की भविष्य निधि की राशि की अंतिम निकासी के बहुत से मामले भविष्य निधि निदेशालय एवं इसके अधीनस्थ जिला कार्यालयों में विभिन्न कारणों से लम्बित है। अंतिम निकासी के भुगतान में विलम्ब के चलते अंशदाताओं को कठिनाई होती है जिस कारण बहुत से मामले न्यायालय में जाते हैं। समय सीमा के अन्दर न्यायालय द्वारा इन मामलों के निष्पादन के आदेश के अनुपालन के क्रम में सरकार को निर्धारित ब्याज के अतिरिक्त ब्याज एवं अर्थ दंड भी देना पड़ता है। यह अत्यन्त ही खेद जनक स्थिति है।

अंतिम निकासी के मामलों की समीक्षा के क्रम में जो तथ्य प्रकाश में आये हैं इनसे पता चलता है कि भविष्य निधि निदेशालय एवं जिला भविष्य निधि कार्यालयों में इन मामलों के निष्पादन में विलम्ब

के कई अन्य महत्वपूर्ण कारण भी हैं–

1. अंशदाताओं द्वारा यथा समय अंतिम निकासी का आवेदन नहीं दिया जाना।

2. प्रशासी विभाग द्वारा अंतिम निकासी के आवेदनों को निदेशालय और जिला भविष्य निधि कार्यालयों को समय पर नहीं भेजा जाना।

3. प्राप्त आवेदनों के साथ भविष्य निधि की कटौती की पूर्ण विवरणी का नहीं होना।

4. भविष्य निधि से लिये गये अग्रिम की विवरणी का नहीं होना।

5. पूर्ण रूप से कटौती विवरणी का अप्राप्त रहना, आदि।

अतः अनुरोध है कि अपने विभाग के सेवा निवृत्त/ मृत सरकारी सेवकों की अंतिम निकासी के मामले उपर्युक्त सभी सूचनाओं एवं कटौती विवरणी के साथ सरकारी सेवक द्वारा कटौती बन्द करने के बाद अबिलम्ब तथा मृत्यु की स्थिति में एक माह के अन्दर निश्चित रूप से भविष्य निधि निदेशालय या संबंधित जिला भविष्य निधि कार्यालय को उपलब्ध कराने की व्यवस्था कृपया सुनिश्चित की जाये ताकि भुगतान पर त्वरित कारवाई सम्भव हो सके। इसमें बिलम्ब करने वाले कर्मचारी/ पदाधिकारी को भी चिन्हित किया जाय। विलम्ब के चलते देय अधिक ब्याज एवं अर्थदंड आदि की राशि की वसूली उनके वेतन से करने की कारवाई भी सुनिश्चित की जाये।

इसे कृपया अत्यावश्यक समझा जाये।

21.

बिहार सरकार, वित्त विभाग, पत्र संख्या-वि॰ 2-405/74-11371 वि॰, पटना। दिनांक 2 नवम्बर, 1974। अवर सचिव, वित्त विभाग द्वारा सरकार के सभी विभागाध्यक्ष/ सभी जिला पदाधिकारी/ महालेखाकार, बिहार को प्रेषित।

विषय–भविष्य निधि में संचित राशि से अस्थायी तथा अप्रत्यपर्णीय निकासी तथा इसका अन्तिम भुगतान।

निदेशानुसार अधोहस्ताक्षरी को कहना है कि महालेखाकार ने सूचना दी है कि भविष्य निधि से अस्थायी तथा अप्रत्यपर्णीय अग्रिम की स्वीकृति तथा इसके अन्तिम भुगतान के क्रम में इधर अनियमिततायें की गयी हैं। उदाहरणस्वरूप बहुत से अंशदाताओं को इतनी अधिक राशियों के अग्रिम स्वीकृत किये गये हैं कि उनकी भविष्य निधि में संचित राशि minus balance में चली गई है। अंतिम भुगतान के कई मामलों में कार्यालय प्रधान इत्यादि द्वारा गलत प्रमाण पत्र देने के कारण अधिक निकासी भी हुआ है जिसके कारण राज्य सरकार को अधिक आर्थिक हानि भी सहनी पड़ी है। महालेखाकार ने ऐसे बहुत से मामलों को इकट्ठा किया है जिसमें निकासी के प्रमाणकों (vouchers) में भविष्य निधि लेखा संख्या शायद जानबूझकर भी गलत दिया गया है ताकि संबंधित अंशदाताओं के लेखा में निकासी का उल्लेख नहीं हो सके। इसके अलावे उन्होंने यह भी पाया है कि कई अंशदाताओं को भविष्य निधि से एक वर्ष में आठ-आठ, दस-दस तक अग्रिम स्वीकृत किये गये हैं जो भविष्य निधि के उद्देश्य को ही विफल (frustrate) कर देता है, क्योंकि भविष्य निधि का उपयोग बैंक लेखा के समान नहीं किया जाना चाहिये। अतः अनुरोध है कि भविष्य निधि से अस्थायी या अप्रत्यपर्णीय अग्रिम स्वीकृत करने तथा इसका अंतिम भुगतान स्वीकृत करने में पूर्ण सतर्कता बरती जाय ताकि उपर्युक्त अनियमितायें नहीं होने पाये। इस संबंध में कृपया निम्नांकित कार्रवाई भी की जाये।

2. भविष्य निधि से संबंधित सभी सरकारी आदेशों में तथा अन्य पत्राचारों में नई लेखा संख्याओं का ही प्रयोग किया जाय तथा इस विभाग के ज्ञापांक 2017 दिनांक 26 फरवरी, 1974 से दिये गये निदेशों का पालन किया जाय। जिन मामलों में नई लेखा संख्या नहीं आवंटित की गई है उन मामलों में नई लेखा संख्या का शीघ्र आवंटन करा लिया जाय। 1 जनवरी, 1975 से पुरानी लेखा संख्याओं का उल्लेख पूर्णरूप से बन्द कर दिया जाय। उस तारीख से कोषागार पदाधिकारी उन विपत्रों को नहीं पारित करेंगे जिनमें पुरानी लेखा संख्या का उल्लेख रहेगा या लेखा संख्या का उल्लेख नहीं रहेगा।

3. भविष्य निधि से अस्थायी या अप्रत्यपर्णीय अग्रिम स्वीकृत करने के समय भविष्य निधि में संचित राशि की जाँच महालेखाकार के अद्यतन लेखा प्रतिवेदन का उपलब्ध न होने पर महालेखाकार द्वारा अद्यतन निर्गत किये गये लेखा प्रतिवेदन तथा उसके बाद में संचित राशि की जाँच कोषागार प्रमाणकों (treasury vouchers) के आधार पर किया जाय।

4. कार्यालय के जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में महालेखाकार द्वारा अद्यतन निर्गत किया गया लेखा प्रतिवेदन अर्थात् 1972-73 प्रतिवेदन नहीं प्राप्त हुए हैं उनकी एक समेकित सूची, डुप्लीकेट लेखा प्रतिवेदन निर्गत करने के अनुरोध के साथ वरीय उपमहालेखाकार श्री वाई॰ मोहन, आजाद भवन, बोरिंग केनाल रोड, पटना को भेजी जा सकती है। महालेखाकार ने यह सुनिश्चित (ensure) करने का आश्वासन दिया है कि ऐसे अनुरोध पर अतिशीघ्र डुप्लीकेट लेखा प्रतिवेदन निर्गत कर दिये जायेंगे।

5. भविष्य निधि की अंतिम निकासी हेतु आवेदन पत्रों में संबंधित पदाधिकारियों द्वारा यह प्रमाण पत्र कि सेवा निवृत्ति की तारीख से पूर्व (preceding) 12 महीनों की अवधि में कोई भी अग्रिम नहीं स्वीकृत किया गया है तथा निकासी नहीं की गई है, पूरी छानबीन के परचात् ही दी जाय।

6. भविष्य निधि में संचित राशि के संबंध में बहुत से अंशदाताओं ने अपना नोमिनेशन नहीं दर्ज किया है। उन्हें एक महीने के अन्दर नोमिनेशन दर्ज कर देने के लिये कहा जाय।

7. मृत सरकारी सेवकों के भविष्य निधि में संचित राशि की अन्तिम निकासी के आवेदन पत्रों के साथ संचित राशि के हकदारों की सूची (वर्त्तमान पता सहित) तथा उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र भी संलग्न किये जायें।

8. भविष्य निधि से अंतिम भुगतान से संबंधित पत्राचार वरीय उपमहालेखाकार श्री वाई॰ मोहन को आजाद भवन, बोरिंग केनाल रोड, पटना के पते से भेजा जाय।

9. यह भी अनुरोध किया जाता है कि किसी भी अंशदाता की एक वित्तीय वर्ष में अस्थायी तथा अप्रत्यपर्णीय दोनों ही प्रकार के अग्रिमों को मिलाकर, चार से अधिक अग्रिम नहीं स्वीकृत किये जाय तथा चार अग्रिमों की वसूली की अवधि में पांचवीं अग्रिम की स्वीकृति पर विचार नहीं किया जाय। यदि किसी मामले में किसी कारण विशेष से उपर्युक्त सीमा से अधिक अग्रिम स्वीकृत करना आवश्यक समझा जाय तो सक्षम पदाधिकारी इसकी आवश्यकता से पूर्णतः संतुष्ट होकर ही कोई अग्रिम स्वीकृत करें तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को दें।

10. सभी कार्यालयों में पदस्थापित पंदाधिकारियों/ कर्मचारियों की एक तालिका जिसमें उनके भविष्य निधि लेखा संख्या का भी उल्लेख हो, अविलम्ब महालेखाकार को आजाद भवन, बोरिंग केनाल रोड, पटना के पते से शीघ्र भेज दी जाय, ताकि वे 1973-74 का लेखा प्रतिवेदन यथासमय सही पते पर भेज सके।

सभी अधीनस्थ कार्यालय प्रधानों को उपर्युक्त आदेशों से अवगत कराया जाय।

22.

बिहार सरकार, वित्त विभाग, पत्र संख्या-वि॰ 2-3196/5664 वि॰, दिनांक 9.8.2001 प्रेषक, श्री गोपाल शंकर प्रसाद, सरकार के अपर सचिव। सेवा में, आयुक्त एवं सचिव, सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष।

विषय–सामान्य भविष्य निधि से अस्थायी एवं अप्रत्यपर्णीय अग्रिम की स्वीकृति के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में।

प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि वित्त विभाग में सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम की स्वीकृति अथवा परामर्श के लिए प्राप्त होनेवाली संचिकाओं में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे अग्रिम की स्वीकृति/सहमति प्रदान करने वाले पदाधिकारियों को नियमानुकूल निर्णय लेने में कठिनाई होती है। इस असुविधा को दूर करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि–

1. वित्त विभाग में स्वीकृत/परामर्श हेतु भेजे जाने वाले सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम के प्रस्तावों (विशेषकर अप्रत्यपर्णीय अग्रिम की स्वीकृति सम्बन्धी) में सामान्य भविष्य निधि निदेशालय या जिला भविश्य निधि पदाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन वार्षिक लेखा-विवरणी मूल रूप में निश्चित रूप में भेजी जाय क्योंकि बिना अद्यतन वार्षिक लेखा-विवरणी की मूल प्रति के सामान्य भविष्य निधि लेखा से अग्रिम की स्वीकृति की कार्रवाई किए जाने से अधिक निकासी की संभावना बनी रहती है। कुछ ऐसे मामले भी प्रकाश में आए हैं, जिनमें लिए गए अग्रिमों का उल्लेख इन्द्राज मूल वार्षिक लेखा विवरणी में नहीं रहता है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। अत: ऐसी स्थिति में प्रस्ताव के साथ कटौतियों की सत्यापित विवरणी भी संचिका में निश्चित रूप से भेजी जानी चाहिए।

2. सभी अप्रत्यपर्णीय, अस्थायी अग्रिम की स्वीकृति या सहमति सम्बन्धी प्रस्तावों के साथ वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-6817 वि॰ (2) दिनांक 8.5.79 द्वारा निर्धारित जाँच-पत्रक में सभी सूचनाओं का अंकन किया जाय एवं पूर्व में स्वीकृत सभी अग्रिमों (अस्थायी/अप्रत्यपर्णीय) का भी उल्लेख किया जाय। सक्षम पदाधिकारी (उप सचिव या उनसे उपर की पंक्ति के पदाधिकारी) के स्तर से ही प्रमाणित कराकर भेजा जाय।

3. सामान्य भविष्य निधि से अस्थायी/अप्रत्यपर्णीय अग्रिम की स्वीकृति। सहमति सम्बन्धी प्रस्ताव वित्त विभाग में बिहार सचिवालय अनुदेश के नियम 7.26(2) के अनुरुप पूर्ण आत्मभारित टिप्पणी में परामर्श का बिन्दु निश्चित करते हुए पूर्ण समीक्षोपरान्त मूल संचिका। (फाइल बोर्ड में बांधकर) ही भेजवाई जाय। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 5284 दिनांक 2.5.81 में एतद् विषयक अनुदेश पूर्व में भी दिया जा चुका है।

4. अग्रिम स्वीकृति सम्बन्धी तथा सहमति सम्बन्धी प्रस्ताव वित्त विभाग (प्रशाखा-6) में भेजते समय उत्तरदायी पदाधिकारी तथा प्रशासी विभाग आश्वस्त हो लेंगे कि सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम का प्रस्ताव सही एवं नियमानुकूल है, और किसी भी परिस्थिति में अधिक निकासी की संभावना नहीं है। गणना तालिका तथा जांच-पत्र के सम्बन्ध में पूर्ण संतुष्ट होकर ही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा सक्षम पदाधिकारी अपने हस्ताक्षर अंकित करेंगे।

कृपया पूर्व में वित्त विभाग के पत्रांक 2627 दिनांक 24.5.2000 के साथ-साथ इन अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन सुनिश्चित कराया जाय ताकि भविष्य निधि लेखा से अग्रिम की निकासी की स्वीकृति में अनावश्यक विलम्ब न हो।

23.

बिहार सरकार, (भविष्य निधि निदेशालय) वित्त विभाग, पत्र संख्या-जी॰ पी॰ एफ॰ 01-562/2001-1557/ दिनांक 12.2.2002। प्रेषक, रामेश्वर सिंह, आयुक्त लेखा प्रशासन। सेवा में, सभी विभागीय सचिव/ सभी विभागाध्यक्ष।

विषय–सेवानिवृत्त/मृत सरकारी सेवकों की सामान्य भविष्य-निधि में जमा राशि के अंतिम भुगतान में विलम्ब की समस्या के निराकरण के संबंध में।

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए सूचित करना है कि अभिलेखों की समीक्षा से स्पष्ट होता है कि सेवानिवृत्त/मृत सरकारी सेवकों की भविष्य निधि में जमा राशि के अंतिम भुगतान में होनेवाले विलम्ब के निम्नांकित कारण हो सकते हैं–

(i) सरकारी सेवकों द्वारा अपने सेवाकाल के दौरान भविष्य निधि लेखे के अद्यतीकरण में रुचि नहीं लेना;

(ii) संबंधित कार्यालय/ विभागाध्यक्ष के द्वारा अंतिम निकासी का आवेदन पत्र ससमय नहीं प्रेषित किया जाना;

(iii) सेवानिवृत्त/मृत अंशदाता की सत्यापित कटौती तथा निकासी विवरणियाँ उपलब्ध नहीं होना;

(iv) अंतिम निकासी के आवेदन पत्र की सभी कंडिकाओं को ठीक से नहीं भरा जाना;

(v) सत्यापित कटौती एवं निकासी विवरणियों में सभी वांछित सूचनायें, यथा टी॰ पी॰ संख्या एवं तिथि तथा अग्रिम संबंधी प्रमाण पत्र स्पष्ट रूपसे अंकित नहीं किया जाना एवं

(vi) महालेखाकार द्वारा प्रेषित वर्ष 1981-82 का अंतशेष उपलब्ध नहीं होना।

(2) ज्ञातव्य हो कि विलम्ब के लिए उत्तरदायी उपर्युक्त छ: में से पाँच बिन्दुओं पर कार्रवाई संबंधित विभाग/ सरकारी सेवकों के ही स्तर पर की जानी होती है। कार्यालय प्रधानों/ विभागाध्यक्षों के द्वारा अंतिम निकासी का आवेदन पत्र एवं सत्यापित कटौती तथा निकासी विवरणियाँ ससमय एवं सही-सही भेजे जाने के उपरांत ही भविष्य निधि कार्यालयों के द्वारा अंतिम भुगतान की कार्रवाई की जा सकती है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी मो॰ रुक्मिणी देवी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा माया चक्रवर्ती बनाम राज्य सरकार एवं अन्य मुकदमों में दिये गये निर्णयों में इस तथ्य को रेखांकित किया गया है।

(3) अत: भविष्य निधि से अंतिम भुगतान में हो रहे विलम्ब की समस्या को दूर करने के लिए राज्य सरकार के सभी विभागाध्यक्ष एवं कार्यालय प्रधानों द्वारा निम्नांकित कार्रवाई अपेक्षित है–

(i) प्रत्येक कार्यालय प्रधान अगले दो वर्षों के दौरान सेवानिवृत्त होनेवाले अंशदाताओं की एक सूची बनाकर यह जानकारी प्राप्त कर लेंगे कि उनके भविष्य निधि लेखे का अद्यतीकरण किस वर्ष तक हो चुका है और यदि लेखा अद्यतन नहीं हो तो उनके भविष्य निधि लेखे में जमा एवं उससे की गयी निकासी की राशियों के संबंध में सूचना भविष्य निधि कार्यालय को उपलब्ध करा देंगे।

(ii) विदित है कि स्वनिकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों की कटौती व निकासी विवरणियाँ कोषागार पदाधिकारियों के द्वारा सत्यापित की जानी होती है। किन्तु इस कार्य हेतु पहल स्वनिकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को ही करनी होती है, क्योंकि उनके द्वारा विवरणियाँ समर्पित किये जाने पर ही उन्हें कोषागार पदाधिकारियों के द्वारा सत्यापित किया जाता है।

अत: प्रत्येक विभागाध्यक्ष अगले दो वर्षों के दौरान सेवानिवृत्त होनेवाले स्वनिकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों की एक सूची बनाकर उनसे यह लिखित सूचना प्राप्त करेंगे कि उनका भविष्य निधि लेखा किस वर्ष तक अद्यतन है और यदि लेखा अद्यतन नहीं हो तो कटौती तथा निकासी विवरणियाँ सत्यापित कराकर संबंधित भविष्य निधि कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश देंगे।

यदि किसी स्वनिकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस निर्देश का अनुपालन नहीं किया जाता तो उन्हें आगाह किया जाना चाहिये कि चूँकि विलम्ब उनके ही स्तर पर किया जा रहा है, उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत छ: माह की अवधि के बाद अद्यतन सूद से वंचित होना पड़ेगा।

(iii) अन्य राजपत्रित एवं अराजपत्रित अधिकारियों के संबंध में सत्यापित कटौती तथा निकासी विवरणियाँ प्रेषित करने की जवाबदेही संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

यदि किसी राजपत्रित या अराजपत्रित अधिकारी/कर्मचारी की कटौती तथा निकासी विवरणी तैयार करने के लिये आवश्यक अभिलेख एक से अधिक कार्यालयों में उपलब्ध हों, तो संबंधित कार्यालय प्रधानों से उनके कार्यालय से संबंधित अवधि की विवरणियाँ प्रेषित करने के लिये पत्र दिया जाना चाहिये और इन पत्रों की प्रति विभागीय सचिवों तथा विभागाध्यक्षों को भी दी जानी चाहिये।

इस दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा विभागाध्यक्ष के स्तर पर प्रति माह तथा विभागीय सचिव के स्तर पर प्रत्येक तीन माह पर की जानी चाहिये।

(iv) सर्वाधिक दु:ख का विषय यह है कि अंतिम भुगतान में अधिक विलम्ब के मामले

चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों से संबंधित होते हैं, जिनका स्थानांतरण सामान्यतया नहीं होता तथा लेखा अद्यतनीकरण हेतु आवश्यक कटौती तथा निकासी विवरणियाँ तैयार करने में भी कठिनाई नहीं होती। यह संवेदनहीनता का प्रमाण है। प्रत्येक कार्यालय प्रधान द्वारा अपनी-स्थापना के अधीन कार्यरत चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के लेखा अद्यतनीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

(v) स्वनिकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों तथा अन्य राजपत्रित अधिकारियों का यह दायित्व है कि अंतिम निकासी हेतु आवेदन पत्र स्वयं भरकर एवं हस्ताक्षर कर अपने नियंत्री पदाधिकारी को समर्पित कर दें। किन्तु नियंत्री पदाधिकारी को भी चाहिये कि सेवानिवृत्त होनेवाले सभी अधिकारियों को उनकी सेवानिवृत्त के छः माह पूर्व ही लिखित रुप में अंतिम निकासी का आवेदन पत्र समर्पित करने का निर्देश इस चेतावनी के साथ दे दें कि यदि आवेदन पत्र उनके द्वारा सेवानिवृत्ति के पूर्व ही समर्पित नहीं किया जाता तो अंतिम भुगतान में विलम्ब के लिये वे स्वयं जवाबदेह होंगे और सेवानिवृत्ति के छः माह के बाद अद्यतन सूद से उन्हें वंचित होना पड़ेगा।

यदि कोई स्वनिकासी एवं व्ययन पदाधिकारी बिना लेखा अद्यतनीकरण संबंधी सूचना दिये हुए ही अंतिम निकासी का आवेदन पत्र भेजता है तो उसे स्वीकार ही नहीं किया जाना चाहिये।

(vi) स्पष्ट किया जाता है कि अराजपत्रित कर्मचारियों का अंतिम निकासी का आवेदन पत्र भरने एवं उनका हस्ताक्षर प्राप्त कर संबंधित भविष्य निधि कार्यालय को भेजने की पूरी जवाबदेही संबंधित कार्यालय प्रधान/ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होती है। अतः प्रत्येक कार्यालय प्रधान का यह कर्त्तव्य है कि सेवानिवृत्त होनेवाले अराजपत्रित कर्मचारियों का अंतिम निकासी का आवेदन पत्र यथोचित रुप में भरकर उसे उनकी सेवानिवृत्ति के पूर्व ही संबंधित भविष्य निधि कार्यालयों को भेज दें।

यदि किसी अराजपत्रित कर्मचारी द्वारा जानबूझकर, सूचित किये जाने के बावजूद अंतिम निकासी के आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया जा रहा हो तो उसे लिखित रुप में यह चेतावनी दे दी जानी चाहिए कि अंतिम भुगतान में विलम्ब की जवाबदेही सम्पूर्णतः उसकी होगी और उसे सेवानिवृत्ति के छः माह बाद अद्यतन सूद से वंचित होना पड़ेगा।

(vii) मृत सरकारी सेवकों की अंतिम निकासी हेतु सभी आवश्यक कागजात जुटाने एवं आवश्यक सत्यापनोपरांत भविष्य निधि कार्यालय को उपलब्ध कराने की जवाबदेही संबंधित कार्यालय प्रधान एवं विभागाध्यक्ष की होती है। अतः प्रत्येक विभागाध्यक्ष का यह कर्त्तव्य है कि मृत सेवकों के मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

(4) ज्ञातव्य हो कि चूँकि सरकारी कार्मिकों की भविष्य निधि में कटौती तथा उससे की गयी निकासी से संबंधित सभी अभिलेख सरकारी कार्यालयों या कोषागारों में ही उपलब्ध होते हैं, उचित समय पर सजग हो जाने पर उन्हें प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

(5) चूँकि अंतिम भुगतान के मामले बड़ी संख्या में राज्य के विभिन्न कोषांगों में लंबित हो गये हैं, उनके निष्पादन हेतु प्रत्येक विभाग के प्रत्येक कार्यालय में विशेष अभियान चलाये जाने की आवश्यकता है, ताकि सभी वांछित कागजात/सूचनायें संबंधित भविष्य निधि कार्यालयों को अविलम्ब उपलब्ध करायी जा सके। अतः अनुरोध है कि राज्य सरकार के सभी कार्यालय प्रधान दिनांक 1.2.2002 से 31.3.2002 तक विशेष अभियान का आयोजन कर अपने कार्यालय से संबंधित सभी अंतिम निकासी के मामलों के निष्पादन हेतु सभी वांछित कागजात संबंधित भविष्य निधि कार्यालयों को उपलब्ध करा दें।

(6) यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक विभागाध्यक्ष विशेष अभियान की अवधि के दौरान हुई कार्य-प्रगति की प्रत्येक पन्द्रह दिनों पर समीक्षा करें और विभागीय सचिवों के स्तर पर भी प्रथम पन्द्रह दिनों के बाद

एवं विशेष अभियान के अंत में कार्य प्रगति की समीक्षा की जाय।

(7) जिन पदाधिकारियों के द्वारा भी विशेष अभियान एवं अंतिम निकासी के मामलों के संबंध में दिये गये अन्य निर्देशों के अनुपालन में शिथिलता या उदासीनता प्रदर्शित की जाती हो, उनके विरुद्ध सख्त अनुशासनिक कार्रवाई की जानी चाहिये।

24.

बिहार सरकार (भविष्य निधि निदेशालय) वित्त विभाग। पत्रांक 1880 दि॰ 13.2.2002
प्रेषक प्रमोद कुमार तिवारी भा॰ प्र॰ से॰ संयुक्त आयुक्त, लेखा प्रशासन। सेवा में, सभी विभागाध्यक्ष, सभी कार्यालय प्रधान।

विषय–सामान्य भविष्य निधि से अंतिम निकासी हेतु आवश्यक कागजात के प्रेषण के संबंध में।

देखा गया है कि राज्य के विभिन्न भविष्य निधि कोषांगों में हजारों की संख्या में लंबित पड़े अंतिम निकासी के मामलों का कारण कार्यालय प्रधानों/विभागाध्यक्षों के द्वारा अंतिम भुगतान हेतु आवश्यक कागजात उपलब्ध नहीं कराया जाना है। यद्यपि अंतिम भुगतान हेतु आवश्यक कागजात जुटाना यह भविष्य निधि कोषांगों का दायित्व नहीं है, न उनके लिये यह संभव है कि अंतिम भुगतान हेतु आवश्यक आवेदन पत्र तथा सत्यापित कटौती एवं निकासी विवरणियाँ जुटायें, इस कार्य का बोझ भविष्य निधि कोषांगों को करना पड़ रहा है। देखा जा रहा है कि कुछ मामलों में पाँच से दस वर्षों से पत्राचार किया जा रहा है और कार्यालय प्रधानों/विभागाध्यक्षों के द्वारा वांछित कागजात उपलब्ध नहीं कराये जा रहे। इस स्थिति के कारण यह गलत धारणा भी फैली है कि अंतिम भुगतान में विलम्ब भविष्य निधि कोषांगों के स्तर पर हो रहा है। भविष्य निधि से अंतिम भुगतान में विलम्ब की समस्या दूर करने के लिए विस्तृत निर्देश आयुक्त लेखा प्रशासन के पत्रांक 1557 दिनांक 13.2.02 के द्वारा निर्गत किये गये हैं।

सूचित करना है कि राज्य के सभी भविष्य निधि कोषांगों को यह निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं कि भविष्य निधि से अंतिम निकासी हेतु कोई भी आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं करें यदि आवेदन-पत्र के साथ निम्नांकित कागजात/सूचनायें उपलब्ध नहीं कराये जायें :–

(i) सम्बंधित अंशदाता का लेखा जिस वर्ष तक अद्यतन हो चुका है उस वर्ष के लेखा पुर्जा की छाया प्रतिः

(ii) यदि अंशदाता का भविष्य निधि लेखा सेवा निवृत्ति के वर्ष तक अद्यतन नहीं हो तो जिस वर्ष तक अद्यतन हो चुका है, उस वर्ष के लेखा पुर्जा की छाया की प्रति तथा उसके बाद के वर्ष से सेवा-निवृत्त की तिथि तक की सत्यापित कटौती एवं निकासी विवरणियाँ;

(iii) प्रमाण-पत्र कि अंशदाता द्वारा सेवारंभ से सेवा निवृत्ति/मृत्यु की तिथि तक भविष्य निधि से लिये गये सभी अग्रिमों का उल्लेख सत्यापित विवरणियों से किया जा चुका है।

(iv) यदि कटौती चालान के द्वारा की गई हो तो चालानों की अभिप्रमाणित प्रतियाँ एवं कटौती यदि बैंक ड्राफ्ट/ चेक के माध्यम से कराई गई हो तो विवरणियों में बैंक ड्राफ्ट संख्या तथा चेक संख्या का उल्लेख;

(v) नियमानुसार अंशदाता या उसके नामिनी एवं कार्यालय प्रधान तथा विभागाध्यक्ष के द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन पत्र;

अंतिम निकासी हेतु आवेदन-पत्र अग्रसारित करते समय कार्यालय प्रधान/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा अग्रसारण पत्र में स्पष्ट रुप से यह उल्लेख कर दिया जाना चाहिये कि अंतिम भुगतान हेतु उपर्युक्त कागजात/ सूचनायें जा रही हैं। यदि वांछित कागजात/सूचनायें अप्राप्त हों तो अंतिम निकासी को आवेदन-पत्र उन्हें प्राप्त किये जाने के उपरांत ही भेजा जाना चाहिये।

दिनांक 1 मार्च, 2002 से ऐसा कोई भी अंतिम निकासी हेतु भविष्य निधि कोषांगों के द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा, जो उपर्युक्त कागजात/सूचनाओं के साथ नहीं भेजा जाय।

भविष्य निधि निदेशालय

सूचना

(अ) अंतिम निकासी का आवेदन-पत्र समर्पित करने के पूर्व कृपया सुनिश्चित कर लें कि :-

1. अंतिम निकासी के आवेदन-पत्र की सभी कंडिकाओं को भरा गया है।
2. आवेदन-पत्र में अंशदाता की पुरानी एवं नई लेखा संख्या अंकित की गई है।
3. आवेदन-पत्र में अंशदाता द्वारा किये गये अंतिम अंशदान की राशि तथा उसकी टी॰ भी॰ संख्या तथा तिथि का उल्लेख किया गया है।
4. आवेदन-पत्र में सेवा निवृत्ति के 12 माह पूर्व की अवधि में अग्रिम लिये/ नहीं लिये जाने संबंधी प्रमाण-पत्र को स्पष्ट रुप से अंकित किया गया है।
5. यदि अंशदाता राजपत्रित अधिकारी हों या दिवंगत हो गये हों तो आवेदन-पत्र विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रेषित किया गया है।

(ब) सत्यापित कटौती तथा निकासी विवरणियाँ समर्पित करने के पूर्व कृपया सुनिश्चित कर लें कि–

1. कटौती तथा निकासी की प्रत्येक प्रविष्टि के विरुद्ध टी॰ भी॰ संख्या तथा तिथि का उल्लेख किया गया है।
2. विवरणी में मूल वेतन का स्पष्ट उल्लेख किया गया है।
3. यदि कटौती की राशि चालान के द्वारा जमा की गई हो तो चालान की अभिप्रमाणित प्रतियाँ संलग्न कर दी गई है तथा यदि कटौती की राशि बैंक ड्राफ्ट/ चेक के द्वारा जमा की गई हो तो बैंक ड्राफ्ट/ चेक संख्या एवं जमा की गई राशि का उल्लेख विवरणियों में कर दिया गया है।
4. किसी भी प्रविष्टि में यदि काट-कूट की गई हो, तो उसे सक्षम पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है।
5. विवरणी में संबंधित वर्ष के दौरान अग्रिम लिये/ नहीं लिये जाने का प्रमाण पत्र स्पष्ट शब्दों में अंकित किया गया है और यदि कोई अग्रिम लिया गया हो तो उसकी टी॰ भी॰ संख्या तथा तिथि का उल्लेख किया गया है।

यदि आपके स्तर पर ये सावधानियाँ बरती जाती हैं तो अंतिम निकासी तथा लेखा अद्यतनीकरण के मामलों के निष्पादन में होने वाले विलम्ब की समस्यायें दूर की जा सकती है।

25.

बिहार सरकार, वित्त विभाग, संकल्प ज्ञापांक 9138 वि॰ (2) दि॰ 31.11.2002

विषय–लोकायुक्त कार्यालय, बिहार के अधीनस्थ पदाधिकारियों/ कर्मचारियों को उनके सामान्य भविष्य, निधि लेखा से अप्रत्यपर्णीय अग्रिम की स्वीकृति की शक्ति लोकायुक्त बिहार को प्रत्यायोजित करने के सम्बन्ध में।

लोकायुक्त कार्यालय, बिहार के अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके सामान्य भविष्य निधि लेखा से अप्रत्यपर्णीय अग्रिम की निकासी की स्वीकृति की शक्ति लोकायुक्त, बिहार को प्रत्यायोजित करने का प्रश्न राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

2. सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि लोकायुक्त कार्यालय, बिहार के अधीनस्थ पदाधिकारियों/ कर्मचारियों को प्रचलित नियमों के अधीन, भविष्य निधि लेखा से अप्रत्यपर्णीय अग्रिम की निकासी की स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति लोकायुक्त, बिहार को प्रदत्त की जाय।

3. वित्त विभागीय ज्ञाप संख्या-24-92-310 वि॰ (2) दिनांक 18.1.93 जिसके द्वारा भविष्य निधि लेखा से अप्रत्यपर्णीय अग्रिम की निकासी की स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति विभाग को प्रत्यायोजित की गई है, को इस हद तक संशोधित किया जाता है।

26.

बिहार सरकार भविष्य निधि निदेशालय वित्त विभाग, पत्रांक 2374, दिनांक 4.4.03, प्रेषक, मुख्य सचिव बिहार, पटना। सेवा में, सरकार के सभी विभागों के आयुक्तों एवं सचिव/सचिव, सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी।

विषय–भविष्य निधि से अंतिम निकासी हेतु आवेदन पत्र प्रेषित करने में विलम्ब के संबंध में।

राज्य सरकार के सेवानिवृत्त/मृत सरकारी सेवकों को उनकी भविष्य निधि में जमा राशि के भुगतान के विलम्ब की समस्या का एक मुख्य कारण संबंधित कार्यालय प्रधानों/ विभागाध्यक्षों के द्वारा भविष्य निधि लेखा से अंतिम निकासी हेतु आवेदक का आवेदन पत्र प्रेषित करने में विलम्ब किया जाना है। विलम्ब से अंतिम निकासी आवेदन पत्र प्रेषित करते समय कार्यालय प्रधानों/विभागाध्यक्षों के द्वारा भविष्य निधि कार्यालयों को यह सूचना नहीं दी जाती कि विलम्ब संबंधित अंशदाता के स्तर पर हुआ है अथवा कार्यालय के स्तर पर। अंतिम निकासी के अधिकांश मामलों में आवेदन पत्र पर संबंधित अंशदाता के हस्ताक्षर की तिथि भी अंकित नहीं होती। इसलिये भविष्य निधि कार्यालयों के स्तर पर यह निर्णय कर पाना संभव नहीं हो पाता कि विलम्ब प्रशासनिक कारणों से हुआ है अथवा इसके लिए संबंधित अंशदाता ही जवाबदेह है।

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार प्रत्येक कार्यालय प्रधान/विभागाध्यक्ष से यह अपेक्षित है कि सेवानिवृत्ति के फलतः किये जाने वाले भुगतानों के लिए आवश्यक कागजात संबंधित सेवकों की सेवानिवृत्ति के पूर्व ही प्राप्त कर लिये जायें। मृत सरकारी सेवकों के संबंध में यह अपेक्षित है कि उनकी मृत्यु की सूचना प्राप्त होते ही पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति संबंधी लाभों के भुगतान हेतु आवश्यक कागजात अंशदाता के नॉमिनी (नामित) से अविलम्ब प्राप्त कर लिये जायें। यदि किसी सरकारी सेवक या उनके नॉमिनी (नामित) के द्वारा आवश्यक कागजात उपलब्ध कराने में सहयोग किया जाता हो तो उन्हें लिखित रूप से ही आवश्यक कागजात उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया जाय।

यदि कार्यालय प्रधानों/विभागाध्यक्षों के स्तर पर राज्य सरकार की नीति एवं इस संबंध में निर्गत निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाती हो तो न केवल भविष्य निधि लेखा से अंतिम निकासी के मामलों में बिलम्ब की समस्या की समाधन होगा, परन्तु भुगतान के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये जाने वाले गलत दावों का भी समुचित निष्पादन किया जा सकेगा।

अतः अनुरोध है कि भविष्य निधि से अंतिम निकासी में जिन मामलों में भी अंतिम निकासी का आवेदन पत्र सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि के छः माह के उपरान्त प्रेषित किया जाता है, उन सभी मामलों में एक अग्रसारण पत्र के माध्यम से संबंधित भविष्य निधि कार्यालयों को एक प्रमाण पत्र भी प्रेषित किया जाना चाहिये कि विलम्ब प्रशासनिक कारणों से हुआ है अथवा संबंधित सरकारी सेवकों के असहयोगात्मक रवैये के कारण हुआ है। अंतिम निकासी के आवेदन पत्र पर अंशदाता के हस्ताक्षर की तिथि भी अवश्य अंकित रहनी चाहिये और उन्हें आवेदन पत्र समर्पित करने के प्रमाणस्वरूप लिखित रूप से आवदेन पत्र प्राप्ति की सूचना भी दी जानी चाहिये। सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि के छः माह बाद प्रेषित अंतिम निकासी के आवेदन पत्रों के साथ यदि विलम्ब के कारणों के संबंध में प्रमाण पत्र नहीं भेजा जाता है और अंशदाता द्वारा आवेदन पत्र प्रेषित करने में हुए विलम्ब की अवधि के सूद का दावा किया जाता है तो इसके लिये संबंधित कार्यालय प्रधान/विभागाध्यक्ष को दोषी मानते हुए सूद के रूप में देय राशि की वसूली उन्हीं से किये जाने की कार्रवाई की जायेगी।

कार्यकारी अनुदेशों के लिए पृष्ठ 5 देखें।

16. [1][(1) अभिदाता से अग्रिम उतने बराबर-बराबर मासिक किश्तों में वसूला जायगा जितने स्वीकृति प्राधिकारी निर्देशित करेगा, लेकिन किश्तों की उक्त संख्या, जबतक अभिदाता नहीं चाहे, बारह से कम नहीं, अथवा चौबीस से अधिक नहीं होगी, सिवाय नियम 15(1)(ग) के खण्ड (ii) के तहत स्वीकृत किये गये मामले में जिसमें अभिदाता की इच्छानुसार किश्तों की अधिकतम संख्या साठ होगी। यदि अभिदाता चाहे तो वह एक महीना में एक से अधिक किश्त लौटा सकता है। प्रत्येक किश्त पूर्ण रुपयों की संख्या में होगी, यदि आवश्यक होगा तो ऐसी किश्तों के लिए हो सकने वाली निर्धारण की अग्रिम राशि अधिक या कम की जा सकती है।

(2) नियम 15 में अभिदान जमा लेने के लिए विहित की गई रीति से वसूली की जाएगी और अग्रिम के भुगतान होने के बाद प्रथम बार उस वक्त से (वसूली) शुरु की जाएगी जिस वक्त अभिदाता पूरा एक महीना के लिए वेतन, या विदेश सेवा वास्ते पारिश्रमिक निकालेगा। सिवाय अभिदाता की सहमति के, जिस दौरान वह छुट्टी पर होगा या निर्वहण-अनुदान प्राप्त कर रहा होगा, वसूली नहीं की जायगी, और अभिदाता के लिखित अनुरोध पर अभिदाता को स्वीकृत वेतन-अग्रिम की वसूली के दौरान स्वीकृति प्राधिकारी के द्वारा (वसूली) स्थगित की जा सकेगी।

टिप्पणी :–इस उपनियम में 'वेतन अग्रिम' अभिव्यक्ति के अंतर्गत सुसंगत नियमों जैसे सिविल लेखा संहिता, भाग 1, के अनुच्छेद 159(ए), (बी) और (एच) के तहत स्वीकृत कोई साधारण वेतन-अग्रिम होगा, लेकिन इसके अंतर्गत गृह-निर्माण या गृह मरम्मति के लिए या वाहन क्रय के लिए या समुद्र पार पैसेज (यात्रा भत्ता) के भुगतान के लिए अग्रिम, जो भिन्न प्रकार के हैं, नहीं आएंगे।

[2][टिप्पणी 2–अभिदाता को दिया गया अग्रिम की वापसी के लिये छुट्टी के साथ मिलाया गया अवकाश भी छुट्टी ही समझा जाएगा; लौटाये जाने वाले हर अग्रिम से अलग-अलग निपटा जायगा।

(3) (क) [3][x x x]

(ख) [3][x x x]

(ग) वित्त विभाग अधिसूचना सं॰ एफ 2-4017/66—9917 दिनांक 26.7.1967।

(4) यदि अभिदाता को अग्रिम स्वीकृत किया गया हो और उसके द्वारा निकाला गया हो और बाद में उसकी वापसी पूरा होने से पहले अस्वीकृत कर दिया गया हो, तो निकाली गई पूरी-की-पूरी अग्रिम राशि या उसका वह भाग जो वापस नहीं किया गया है, नियम 14 में उपबन्धित दर से ब्याज समेत, अभिदाता द्वारा तत्काल निधि में लौटा दिया जायगा और ऐसा नहीं किये जाने पर लेखा पदाधिकारी द्वारा अभिदाता की परिलब्धियों से कटौती करके किश्तों में या उस अन्य तरीका से वसूल कर लेने का आदेश पारित किया जायगा, जैसा (तरीका) उस अग्रिम को स्वीकृत करने वास्ते सक्षम प्राधिकारी द्वारा निदेशित किया जायगा। जिस (अग्रिम) की स्वीकृति के लिये विशेष कारण नियम 15 के उपनियम (1) के खंड (ग) में आवश्यक किये गये हैं :

परंतु यह कि मुसलमान अभिदाता को, जिसकी निधि में जमा पर ब्याज नहीं दिया जाता है, ब्याज नहीं लौटाना होगा।

(5) यदि इस नियम के तहत वसूलियां की जाएंगी तो उन्हें अभिदाता के निधि लेखा में जमा किया जाएगा।

[समीक्षा, नियम 15(1) :—अग्रिम को कम-से-कम 12 मासिक किश्तों में वसूल किया जाना चाहिये। इसे 24 किश्तों में भी वसूला जा सकता है, लेकिन तबतक उससे ज्यादा में नहीं जबतक नियम 15(1)(ग) में यथा सविस्तार वर्णित विशेष कारण न हों।]

1. शुद्धि पत्र सं॰ 8 दि॰ 4.5.1953 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. ज्ञाप सं॰ F3-1974/55/859 F-R, दि॰ 9.7.1955 द्वारा अन्तःस्थापित

बीमा-पालिसी और परिवार-निधि के प्रति संदाय

17. एतस्मिन् पश्चात् नियम 18 से 28 में अंतर्विष्ट शर्तों के अध्यधीन–

(क) (i) प्रांतीय सरकार द्वारा इस निमित्त अनुमोदित परिवार पेंशन निधि में अंशदान; या

(ii) जीवन बीमा पॉलिसी में संदाय, अंशदाता की इच्छानुसार, निधि के बकाये अंशदानों के लिये पूर्णतः या भागतः प्रतिस्थापित किये जा सकेंगे।

(ख) अभिदाता की निधि में जमा ब्याज सहित राशि–

(i) जीवन बीमा पॉलिसी पर संदाय;

(ii) एक बार भुगतान करके बीमा पॉलिसी की खरीदगी;

(iii) प्रांतीय सरकार द्वारा इस निमित्त अनुमोदित [1] परिवार पेंशन निधि में एकमुश्त प्रीमीयम देने या अंशदान करने के लिए निकाली जा सकेगी :

[2][परंतु यह कि कोई भी राशि सिवा (1) लेखा पदाधिकारी को प्रस्तावित पॉलिसी के ब्यौरा देकर उसके द्वारा उसकी उपयुक्तता मानलिये जाने के पहले, या (2) निकासी के दावा के लिये आवेदनपत्र या प्रस्तुतीकरण की तिथि से तीन महीना से अधिक पहले किया गया किसी भुगतान या क्रय का खर्च वहन करने वास्ते या (3) भुगतान की सम्यक तिथि से तीन महीना से अधिक पहले किसी प्रीमियम या अंशदान के भुगतान करने के वास्ते नहीं निकाली जायगी।

टिप्पणी–इस उपबन्ध के लिये भुगतान की सम्यक तिथि वह तिथि होगी जिस तिथि तक, बीमा कम्पनियों द्वारा अनुमत ग्रेस-अवधि समेत, भुगतान किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण–इस परंतुक के खंड (3) के तहत भुगतान की तिथि के बाद उस तरह का भुगतान किये जाने के प्रतीक स्वरूप प्रीमियम रसीद को प्रस्तुत किये बिना जीवन बीमा पॉलिसी के वित्तपोषण के लिये निधि से कोई निकासी नहीं की जाएगी :

परंतु यह भी कि शैक्षिक विन्यास (एनडोमेंट) पॉलिसी के प्रति भुगतान वास्ते निधि में के अंशदान को प्रतिस्थापित नहीं किया जायगा और ऐसी पॉलिसी के सम्बन्ध में किसी भुगतान या खरीदगी का व्यय वहन करने के लिए कोई राशि नहीं निकाली जायगी यदि उक्त पॉलिसी अंशदाता की सामान्य वार्धक्य सेवा-निवृत्ति आयु के पहले पूर्णतः या भागतः भुगतान वास्ते बाकी पड़ी हो :

परंतु यह भी कि निकाली गई राशि निकटतम पूर्ण रुपया तक गोल की जायगी।

टिप्पणी–यदि अभिदाता किसी कम्पनी से जीवन बीमा पॉलिसी लेना चाहता हो और सामान्य भविष्य-निधि पर उक्त पॉलिसी की प्रीमीयम वास्ते अंशदान प्रतिस्थापित करना चाहता हो, तो उसे स्वयं को आश्वस्त कर लेना होगा कि सम्बन्धित कम्पनी विश्वस्त है।

[समीक्षा, नियम 17—बीमा कम्पनियां अब राष्ट्रीयकृत हो गई हैं, अतः बीमा कम्पनी की विश्वासनीयता का प्रश्न अब नहीं रह गया है।]

18. (1) यदि नियम 17 के खंड (क) के तहत प्रतिस्थापित किसी अंशदान या भुगतान की सकल राशि नियम 11(1) के तहत निधि को देय न्यूनतम अंशदान की राशि से कम होगी, तो अंतर को

1. निम्न निधियाँ प्रान्तीय सरकार द्वारा अनुमोदित है–
   (क) उत्कृष्ट सेवाऐं (भारत) परिवार पेंशन निधि
   (ख) बंगाल अतिश्रुत (uncovenated) सेवा परिवार पेंशन निधि
   (ग) बम्बई सरकारी सेवा परिवार पेंशन निधि
   (घ) बंगाल और मद्रास सेवा परिवार पेंशन निधि
   (ङ) सामान्य परिवार पेंशन निधि
   (च) हिन्दू परिवार वार्षिकी निधि
   (छ) बंगाल ईसाई परिवार पेंशन निधि
2. शुद्धि पत्र सं॰ 10 दि॰ 30.8.1967 द्वारा प्रतिस्थापित।

नियम 14 के उपनियम (2) के खंड (iv) में उपबन्धित रीति से गोल किया जायेगा और अभिदाता द्वारा निधि में अंशदान के तौर पर जमा किया जायेगा।

टिप्पणी–जिस अवधि के लिये इस नियम में निर्देशित अंतर को वसूल करने वास्ते गणना की जायगी, वह एक वित्तीय वर्ष होगी और किसी वित्तीय वर्ष में सामान्य भविष्य-निधि में देय अभिदान की न्यूनतम राशि से अधिक परिवार पेंशन निधि में अंशदान या जीवन बीमा पालिसी के प्रति भुगतान की राशि को किसी अन्य वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में नियमाधीन देय अंतर के प्रति समंजित नहीं किया जायेगा।

(2) यदि अभिदाता नियम 17 के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में से किसी भी प्रयोजन के लिये अपने खाता पर जमा कोई राशि निकालेगा तो वह उस नियम के खंड (क) के तहत अपने विकल्प के अधीन रहते हुए नियम 11 के तहत देय अंशदान निधि में भुगतान करना जारी रखेगा :

परंतु यह कि उस सरकारी सेवक द्वारा कोई अभिदान देय नहीं होगा जिसने नियम 7(1) द्वारा अनुमत विकल्प के प्रयोग में निधि में अभिदान करना बन्द कर दिया है।

19. (1) जो अभिदाता नियम 17 के खंड (क) के अधीन, भुगतान पर अंशदान को प्रतिस्थापित करना चाहता हो वह तदनुसार निधि में अपना अंशदान कम कर सकता है :

परंतु यह कि अभिदाता–

(क) अपने वेतन विपत्र पर या पत्र द्वारा लेखा पदाधिकारी को कमी की बात और वजह संसूचित करेगा;

(ख) लेखा पदाधिकारी को, उस अवधि के अन्दर जो लेखा पदाधिकारी अपेक्षा करे, लेखा पदाधिकारी का यह समाधान करने के लिए कि जितनी राशि अभिदान में कम की गई है उतनी के लिए नियम 17 के खंड (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए सम्यक रूप से आवेदन किया गया था, रसीदें या रसीदों की प्रमाणित प्रतियां भेजेगा।

(2) नियम 17 के खंड (ख) के तहत निकासी की इच्छा करनेवाला अभिदाता–

(क) पत्र द्वारा लेखा पदाधिकारी को निकासी की वजह संसूचित करेगा;

(ख) लेखा पदाधिकारी के साथ निकासी वास्ते व्यवस्था करेगा;

(ग) लेखा पदाधिकारी को, उस अवधि के अन्दर जो लेखा पदाधिकारी अपेक्षा करे, लेखा पदाधिकारी का यह समाधान करने के लिए कि जितनी राशि अभिदान में कम की गई है उतनी के लिए नियम 17 के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए सम्यक रूपसे आवेदन किया गया था, रसीदें या रसीदों की प्रमाणित प्रतियां भेजेगा।

(3) लेखा पदाधिकारी, अभिदाता की परलिब्धियों से अभिदान में जितनी राशि कम की गई है उतनी की, या उस राशि की जो निकाली गई है, जिसके सम्बन्ध में वह उपनियम (1) के खंड (ख) और उपनियम (3) के खंड (ग) द्वारा अपेक्षित रीति से संतुष्ट नहीं हुआ है, नियम 14 में उपबन्धित दर से उसपर ब्याज समेत, वसूली का आदेश करेगा और निधि में अभिदाता के खाता में उसे जमा कर देगा।

[समीक्षा, नियम 19(1)(ख)–अब अभिदान 6 प्रतिशत अर्थात् 6 पैसे प्रति रुपया से कम नहीं होगा।]

20. (1) सरकार अभिदाताओं की ओर से बीमा कम्पनियों को कोई भुगतान नहीं करेगा और न पॉलिसी को जिन्दा रखने के लिए कोई कदम उठाएगा।

(2) इन नियमों के तहत स्वीकार्य पॉलिसी वह होगी जो अभिदाता द्वारा स्वयं अपने जीवन पर सम्पन्न की गई है और (अन्यथा पुरुष अभिदाता द्वारा सम्पन्न पॉलिसी हो जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसकी पत्नी या उसकी पत्नी और संतान या उनमें से किसी के लाभ के लिए होना अभिव्यक्त किया हो) जो राज्यपाल, बिहार को अभिदाता द्वारा विधिवत् समनुदेशित की जा सकेगी।

स्पष्टीकरण।–इस उपनियम के लिए अभिदाता और अभिदाता की पत्नी या पति के संयुक्त जिन्दगियों पर की पॉलिसी अभिदाता की जिन्दगी पर पॉलिसी समझी जायेगी।

स्पष्टीकरण 2—जो पॉलिसी अभिदाता की पत्नी को समनुदेशित (assigned) की गई हो वह तबतक स्वीकार नहीं की जायगी जबतक पॉलिसी सर्वप्रथम अभिदाता को पुनर्समनुदेशित न की जायेगी अथवा अभिदाता और उसकी पत्नी, दोनों उपयुक्त समनुदेशन में सम्मिलित न होंगे।

(3) अभिदाता की पत्नी या पति, अथवा अभिदाता की पत्नी या पति और संतान अथवा उनमें से किसी से भिन्न किसी लाभार्थी के लाभ के लिए पॉलिसी नहीं सम्पन्न की जा सकेगी।

परंतु यह कि जिन अभिदाताओं ने पूर्व में लागू नियमावली के नियम 21(ii) की टिप्पणी 1 के तहत अथवा नियम 21ए के खंड (ख) या (ग) के तहत पॉलिसियाँ ली हों, उनके द्वारा ली गई पॉलिसियों के सम्बन्ध में उसी नियमावली के प्रावधान लागू होंगे।

21. (1) पॉलिसी, जिसके सम्बन्ध में निधि से अंशदान या निकासी के प्रथम बार रोके जाने के बाद तीन महीने के अन्दर, या उस बीमा कम्पनी की स्थिति में, जिसका मुख्यालय भारत से बाहर हो, उस अगले समय-सीमा के अन्दर, जो लेखा पदाधिकारी सम्पन्नता-प्रमाणपत्र (अन्तरिम रसीद) के पेशी से संतुष्ट होकर निश्चित करेगा–

(क) अन्यथा पुरुष अभिदाता द्वारा सम्पन्न पॉलिसी हो जिसके मुख पृष्ठ पर अभिदाता के, या उसकी पत्नी और संतान या उनमें से किसी के लाभ के लिये होना अभिव्यक्त हो, किसी भी उस राशि, जो नियम 26 के तहत निधि में देय होगी, के प्रतिभूति स्वरूप भुगतान के लिये राज्यपाल, बिहार, को समनुदेशित की जायेगी और लेखा पदाधिकारी को सौंप दी जायगी, जो अभ्यपर्ण तृतीय अनुसूची के फारमों में से फारम (2) या फारम (1) में पॉलिसी पर पृष्ठांकन द्वारा किया जायेगा और जैसी कि पॉलिसी, होगी–अभिदाता की जिन्दगी पर या अभिदाता और अभिदाता की पत्नी या पति की संयुक्त जिन्दगियों पर की अथवा अभिदाता की पत्नी को पूर्व में समनुदेशित की हुई।

(ख) यदि पुरुष अभिदाता द्वारा सम्पन्न पॉलिसी होगी जिसके मुखपृष्ठ पर अभिदाता के या उसकी पत्नी और संतान या उनमें से किसी के लाभ के लिये होना अभिव्यक्त किया रहेगा, तो उसे लेखा पदाधिकारी को सौंपा जायेगा।

(2) लेखा पदाधिकारी, यदि संभव हो तो बीमा कम्पनी से सम्पर्क करके, अपना समाधान करेगा कि पॉलिसी से सम्बन्धित कोई पूर्व का समनुदेशन नहीं है।

(3) निधि से वित्त पोषण के लिए लेखा पदाधिकारी द्वारा पॉलिसी को एक बार स्वीकृत कर लिये जाने के बाद, उक्त पॉलिसी की शर्तों को, बिना लेखा पदाधिकारी की पूर्व सहमति के बदला नहीं जायेगा और न उसके स्थान पर दूसरी पॉलिसी ली जायेगी, तथा ऐसा होने पर, बदली जानेवाली शर्तों अथवा नई पॉलिसी के ब्यौरे लेखा पदाधिकारी को उपलब्ध कराये जायेंगे।

(4) यदि उक्त तीन महीने या ऐसी अगली समय-सीमा, जो लेखा पदाधिकारी उपनियम (1) के तहत निश्चित करे, के अन्दर पॉलिसी समनुदेशित और सुपुर्द, या सुपुर्द नहीं की जायेगी, तो पॉलिसी के सम्बन्ध में निधि से रोकी या निकाली गई कोई भी राशि, नियम 14 में उपबन्धित दर से ब्याज सहित, अभिदाता द्वारा तत्काल निधि में संदत्त या पुनर्संदत्त, यथास्थिति कर दी जायेगी, अथवा ऐसा नहीं किये जाने पर लेखा पदाधिकारी द्वारा अभिदाता की परिलब्धियों से किश्तों में या अन्यथा, जैसा कि उस अग्रिम को स्वीकृति देने वाला सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्देश दिया जायेगा जिसकी स्वीकृति के लिये नियम 15 के उपनियम (1) के खंड (ग) के तहत विशेष वजहें अपेक्षित हैं, (संदत्त या पुनर्संदत्त किये जाने वास्ते) आदेश किया जायेगा।

(5) अभिदाता या बीमा कम्पनी द्वारा पॉलिसी के समनुदेशन की नोटिस दी जायेगी, और बीमा कम्पनी द्वारा नोटिस की अभिस्वीकृति लेखा पदाधिकारी के पास समनुदेशन की तिथि से तीन महीने के अन्दर भेजी जायेगी।

टिप्पणी।–अभिदाताओं को बीमा कम्पनी के पास समनुदेशन की नोटिस दो प्रतियों में भेजने का परामर्श दिया जाता है, साथ-साथ उन मामलों में जिनमें नोटिस ग्रेट ब्रिटेन या आयरलैंड स्थित कम्पनी को भेजी जानी हो, पाँच शिलिंग भी भेजेंगे जो बीमा पॉलिसी अधिनियम, (पॉलिसिज आफ एस्यूरेंस एक्ट), 1887 द्वारा प्राधिकृत अभिस्वीकृति शुल्क है।

टिप्पणी 2—ग्रेट ब्रिटेन या आयरलैंड जानेवाले या सेवा छोड़नेवाले अभिदाताओं को परामर्श दिया जाता है कि इंगलिश स्टाम्प लॉ के तहत, समनुदेशन या पुनर्समनुदेशनों को उन देशों में पहली पहुँच के 30 दिन के अन्दर स्टाम्पकृत किया जाना आवश्यक होता है, अन्यथा स्टाम्प अधिनियम के तहत शास्ति लगती है और कठिनाइयाँ तब हो सकती हैं जब पॉलिसी भुगतान के लिये परिपक्व होंगी।

22. अभिदाता पॉलिसी के जारी रहने के दौरान वैसा कोई बोनस नहीं निकालेगा जिसकी निकासी पॉलिसी की शर्तों के अनुसार उसके जारी रहने के दौरान ऐच्छिक होगी, और अभिदाता द्वारा किसी उस बोनस की राशि जो पॉलिसी के जारी रहने के दौरान पॉलिसी की शर्तों के अनुसार लेना अनिवार्य हो, तत्काल निधि में जमा कर दी जायेगी। ऐसा नहीं किये जाने पर, अभिदाता की परिलब्धियों से किश्तों में या अन्यथा जैसा उस अग्रिम की स्वीकृति करनेवाला सक्षम प्राधिकारी द्वारा निदेशित किया जाएगा, जिस (अग्रिम) की स्वीकृति के लिए नियम 15 के उपनियम (1) के खंड (ग) के तहत विशेष वजहों की आवश्यकता होती है, कटौती द्वारा वसूल किया जायेगा।

23. (1) सिवा जैसा कि नियम 27 में उपबंधित है, जब अभिदाता–

(क) सेवा छोड़ देता हो; या

(ख) सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चला जाता हो और लेखा पदाधिकारी के पास पॉलिसी के पुनर्समनुदेशन लौटाने के लिए आवेदन करता हो; या

(ग) छुट्टी के दौरान सेवानिवृत्ति के लिये अनुमति प्राप्त करता हो या सक्षम स्वास्थ्य प्राधिकारी द्वारा आगे सेवा करने वास्ते अयोग्य घोषित होता हो और लेखा पदाधिकारी के पास पॉलिसी के पुनर्समनुदेशन या लौटाने के लिए आवेदन करता हो; या

(घ) नियम 14 में उपबंधित दर से ब्याज सहित, नियम 1 के खंड (क) के उपखंड (ii) और नियम 17 के खंड (ख) के उपखंड (i) और (ii) में दर्ज किसी प्रयोजन के लिए रोकी या निकाली गई पूरी राशि निधि में संदत्त या पुनर्संदत्त करता हो;

तब लेखा पदाधिकारी–

(i) यदि पॉलिसी नियम 17 के तहत, या इसके पहले प्रवृत्त तत्समानी नियम के तहत राज्यपाल, बिहार को समनुदेशित की गई हो, तो पॉलिसी प्रथम अनुसूची में प्रविष्ट प्रथम फारम में अभिदाता को या अभिदाता और उसका संयुक्त बीमा धारक को, यथास्थिति, पुनर्समनुदेशित करेगा और बीमा कंपनी को संबोधित पुनर्समनुदेशित की हस्ताक्षरित सूचना के साथ नोटिस अभिदाता को सौंपेगा;

(ii) यदि नियम 21 के उपनियम (1) के खंड (ख) के तहत पॉलिसी उसे दी गई हो तो अभिदाता को (पॉलिसी) सौंपेगा :

परंतु यह कि यदि अभिदाता, सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर जाने के बाद, या छुट्टी पर रहने के दौरान, सेवा निवृत्त होने वास्ते अनुमत किया गया हो या सक्षम स्वास्थ्य प्राधिकारी द्वारा आगे सेवा करने वास्ते अयोग्य घोषित किया गया हो और वह कार्य पर लौट आता हो, तो इस तरह पुनर्समनुदेशित या सुपुर्द की गई पॉलिसी, यदि वह परिपक्व हो गई हो, समनुदेशित की गई हो या किसी तरह प्रभारित या ऋण ग्रस्त की गई हो तो यथास्थिति नियम 21 के प्रावधानों के अनुसार फिर से राज्यपाल, बिहार को समनुदेशित की जायेगी और तत्पश्चात पॉलिसी पर इन नियमों के प्रावधान यथा संभव फिर से लागू हो सकेंगे :

परंतु यह भी कि यदि पॉलिसी परिपक्व हो गई हो या किसी प्रकार से समनुदेशित या प्रभारित या

ऋण ग्रस्त की गई हो तो पॉलिसी को समनुदेशित और सुपुर्द करने की विफलता पर लागू होनेवाले नियम 21 के उपनियम (4) के प्रावधान लागू होंगे।

(2) सिवा उसके जैसा नियम 27 में उपबंधित किया गया है, जब सेवा त्यागने से पहले अभिदाता की मृत्यु हो जायेगी, तब लेखा पदाधिकारी–

(i) यदि पॉलिसी नियम 21 के तहत या इसके पूर्व के तत्समानी नियम के तहत बिहार सरकार को समनुदेशित की गई हो तो, पॉलिसी प्राप्त करने के विधिवत् हकदार व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में उक्त पॉलिसी को चतुर्थ अनुसूची में दिया गया द्वितीय फारम में, पुनर्समनुदेशित करेगा और बीमा कम्पनी को सम्बोधित पुर्नसमनुदेशन की हस्ताक्षरित नोटिस के साथ उक्त पॉलिसी, उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को सौंप देगा;

(ii) यदि पॉलिसी नियम 21 के उपनियम (1) के खंड (ख) के तहत उसे दी गयी हो तो, पॉलिसी किसी लाभान्वित को सौंपेगा, अथवा यदि लाभान्वित नहीं होगा तो उन व्यक्तियों को सौंपेगा जो उसे पाने का विधिवत् हकदार होंगे।

24. (1) यदि नियम 21 के तहत या एतत् पूर्व प्रवृत्त तत्समानी नियम के तहत राज्यपाल, बिहार को समनुदेशित की गई पॉलिसी अभिदाता के सेवा त्यागने से पहले परिपक्व हो गई हो या, यदि पॉलिसी अभिदाता और अभिदाता की पत्नी या पति की संयुक्त जिन्दगियों पर उक्त नियम या तत्पूर्व प्रवृत्त तत्समानी नियमों के तहत समनुदेशित की गई है तो, अभिदाता की पत्नी या पति की मृत्यु के चलते भुगतेय हो गई हो तो, लेखा पदाधिकारी, सिवा नियम 27 के तहत यथा उपबंधित के, निम्नांकित काम करेगा :–

(i) यदि उद्भूत बोनस की राशि समेत बीमाकृत राशि नियम 14 में उपबन्धित दर से ब्याज सहित निधि से रोकी या निकाली गई पॉलिसी सम्बन्धी पूरी राशि से अधिक होगी, तो लेखा पदाधिकारी पंचम अनुसूची में दिया गया फारम में पॉलिसी को अभिदाता या अभिदाता और संयुक्त बीमाकृत व्यक्ति, यथास्थिति, को पुनर्समनुदेशित करेगा जो बीमा कम्पनी से पॉलिसी-धनराशि की प्राप्ति के तुरंत बाद निधि में वह सम्पूर्ण राशि या रोकी या निकाली गई जितनी राशि–ब्याज समेत, संदाय या पुनर्संदाय करेगा। ऐसा नहीं करने पर, नियम 21 के उप-नियम (4) के जो प्रावधान, पॉलिसी के समनुदेशित और सुपुर्द करने की विफलता पर, लागू होते हैं, वही लागू होंगे;

(ii) यदि उद्भूत बोनस समेत बीमाकृत राशि रोकी या निकाली गई सम्पूर्ण राशि–ब्याज समेत, से कम होगी तो लेखा पदाधिकारी उद्भूत बोनस समेत बीमाकृत राशि वसूलेगा और उस वसूली गई राशि को अभिदाता की निधि स्थित खाता में जमा कर देगा।

(2) सिवा उसके जो नियम 27 में उपबंधित है, यदि नियम 21 के उपनियम (1) के खंड (ख) के तहत लेखा पदाधिकारी को सुपुर्द की गई पॉलिसी अभिदाता के सेवा त्यागने से पहले परिपक्व हो जायेगी तो लेखा पदाधिकारी, अभिदाता को पॉलिसी सुपुर्द कर देगा :

परंतु यह कि यदि पॉलिसी में अभिदाता की पत्नी या उसकी पत्नी और संतान या उनमें से किसी का हित, जैसा पॉलिसी के मुखपृष्ठ पर अभिव्यक्त किया गया हो, पॉलिसी की परिपक्वता के समय समाप्त हो जाता हो तो अभिदाता, यदि उसे बीमा कम्पनी द्वारा पॉलिसी की धन राशि भुगतान की जायेगी, उस राशि को प्राप्त करते ही निधि में संदाय या पुनर्संदाय करेगा–

(i) या तो नियम 14 में उपबंधित दर पर ब्याज समेत पॉलिसी सम्बन्धी निधि से रोकी या निकाली गई सम्पूर्ण राशि या उसका कोई भाग;

(ii) या उद्भूत बोनस समेत बीमाकृत राशि के बराबर राशि;

जो कम हो, और व्यतिक्रम होने पर, नियम 21 के उपनियम (4) के वे प्रावधान जो पॉलिसी नहीं छोड़ने (डिलीवर) पर लागू होते हैं, लागू होंगे।

25. यदि किसी वजह से परिवार पेंशन निधि में अभिदाता का पूर्णतः या भागतः हित समाप्त हो जायेगा तो परिवार पेंशन निधि से अभिदाता द्वारा सुरक्षित की गई वापसी की राशि द्वारा अभिदाता के भविष्य-निधि लेखा की तत्काल प्रतिपूर्ति की जायेगी, और प्रतिपूर्ति नहीं होने की स्थिति में, अभिदाता की परिलब्धियों से उक्त राशि किश्तों में या अन्यथा, जैसा उस अग्रिम की स्वीकृति करने वास्ते सक्षम प्राधिकारी निदेशित करेगा, जिसकी स्वीकृति के लिये नियम 15 के उप नियम (1) के खंड (ग) में विशेष कारण अपेक्षित होते हैं, काट ली जायेगी।

26. यदि पॉलिसी व्यपगत हो जायेगी या समनुदेशित की जायेगी, नियम 21 के तहत बिहार राज्यपाल को छोड़कर अन्यथा, प्रभारित या ऋणग्रस्त हो जायेगी तो पॉलिसी को समनुदेशित करने और छोड़ने से विफल होने पर जो नियम 21 के उपनियम (4) के प्रावधान लागू होते हैं, वही लागू होंगे।

27. यदि लेखा पदाधिकारी को–

(क) (नियम 21 के तहत राज्यपाल, बिहार, को समनुदेशन से अन्यथा) समनुदेशन की; या

(ख) प्रभार या ऋणग्रस्तता पर; या

(ग) पॉलिसी के सम्बन्ध में किसी व्यवहार को रोकने का न्यायालय का आदेश, अथवा उस पर वसूली गई किसी राशि की–

नोटिस प्राप्त होगी, तो लेखा पदाधिकारी–

(i) नियम 23 में यथा उपबंधित, पॉलिसी को पुनर्समनुदेशन या सुपुर्दगी; या

(ii) पुनर्समनुदेशन पर पॉलिसी द्वारा बीमाकृत राशि की वसूली, या नियम 24 में यथा उपबंधित पॉलिसी को सुपुर्दगी नहीं करेगा, वरन मामले को तत्काल सरकार को निर्देशित करेगा।

28. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, यदि स्वीकृति प्राधिकारी का समाधान हो जाए कि नियम 15 के खंड (i) के तहत निधि से निकाली गई या नियम 17 के खंड (क) या खंड (ख) के तहत रोकी या निकाली गई धनराशि उससे भिन्न प्रयोजन पर उपयोग की गई जिसके लिये धन राशि निकालने, रोकने और निकासी की स्वीकृति दी गई थी, तो प्रश्नगत धनराशि–नियम 14 में उपबंधित दर पर ब्याज समेत, अभिदाता द्वारा तत्काल, यथास्थिति निधि में लौटाई या संदत्त की जायेगी, अथवा ऐसा नहीं होने पर उक्त धनराशि अभिदाता की परिलब्धियों से क्यों न वह छुट्टी पर हो, एक मुश्त कटौती करके वसूल करने का आदेश किया जाएगा। यदि लौटाई या संदत्त यथास्थिति की जाने वाली सकल राशि अभिदाता की परिलब्धियों के आधा से अधिक होगी तो उसकी परिलब्धियों के अर्धांशों की मासिक किश्तों में वसूली तब तक की जायेगी जबतक वसूलनीय सम्पूर्ण राशि यथास्थिति वापस या भुगतान नहीं हो जाएगी।

टिप्पणी–इस नियम में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "परिलब्धियों" के अंतर्गत निर्वहण अनुदान नहीं है।

[समीक्षा, नियम 23—निधि से निकाली गई राशि उस प्रयोजन पर खर्च की जानी चाहिए जिसके लिए वह ली गई है।]

निधि में संचित राशि की अंतिम निकासी

29. जब अभिदाता सेवा छोड़ देगा तब निधि में उसके खाता पर जमा राशि उसे देय हो जाएगी :

परंतु यह कि अभिदाता, जो सेवा से बर्खास्त किया गया हो और बाद में उक्त सेवा में पुनर्नियुक्त किया गया हो, यदि सरकार द्वारा अपेक्षित किया जायगा तो, नियम 30 के परंतुक में उपबंधित तरीके से नियम 14 में उपबंधित दर पर ब्याज समेत, इस नियम के अनुसार निधि से उसे दी गई किसी राशि को लौटा देगा। इस प्रकार लौटाई गई राशि को निधि में उसके खाता में जमा कर दिया जाएगा।

टिप्पणी–सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी सेवा में पुनर्नियुक्त अभिदाता को सेवानिवृत्ति की तिथि से सेवा छोड़ देनेवाला माना जाता है भले ही उसकी पुनर्नियुक्ति बिना टूट के सक्रिय सेवा की निरंतरता में रही हो। अतः उपर्युक्त नियम 14(4) के तहत सेवानिवृत्ति की तिथि से छः महीने के बाद उसे उसकी निधि में संचित राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।

30. जब अभिदाता–

(क) सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी पर गया हो, या यदि वह अवकाशीय विभाग में नियुक्त है तो, अवकाश सहित सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी पर हो; या

(ख) छुट्टी के दौरान, सेवानिवृत्ति के लिये अनुमत हुआ हो या सक्षम स्वास्थ्य प्राधिकारी द्वारा आगे सेवा करने वास्ते अयोग्य घोषित किया गया हो;

तब निधि में उसके खाता पर जमा राशि, लेखा पदाधिकारी को इस निमित्त उसके द्वारा दिया गया आवेदनपत्र पर, अभिदाता को देय होगी :

परंतु यह कि अभिदाता कार्य पर लौटने के बाद, यदि सरकार उसे ऐसा करने की अपेक्षा करे, निधि के अपने खाता पर जमा वास्ते इस नियम के अनुसार निधि से उसे दी गई किसी राशि को, पूर्णतः या भागतः नियम 14 में उपबंधित दर पर उक्त राशि पर ब्याज समेत, भागतः नकद और भागतः प्रतिभूतियों में, किश्तों में या अन्यथा अपनी परिलब्धियों से या अन्यथा, जैसा किसी अग्रिम की उस स्वीकृति को मंजूर करने वास्ते सक्षम प्राधिकारी द्वारा निदेशित किया जायेगा जिसकी स्वीकृति को मंजूर करने के लिए नियम 15 के उपनियम (1) के खंड (ग) के तहत विशेष वजहों की अपेक्षा होती है, निधि में लौटा देगा।

टिप्पणी–जब सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी के पहले अवकाश होगा तब अभिदाता के जिम्मे बकाया राशि, लेखा पदाधिकारी को आवेदनपत्र दिये जाने के बाद, उक्त अवकाश के आरंभ और वास्तविक सेवा-निवृत्ति की तिथि के बीच किसी भी समय देय हो जायेगी।

राज्य सरकार के निर्णय :–

1.

विषय–सेवानिवृत्ति के बाद निधि में भविष्य-निधि धनराशि का लगातार रोक रखना।

भविष्य-निधि नियमावली के तहत भविष्य-निधि में अभिदाता के खाता पर रहनेवाली राशि उसके सेवा "छोड़ने" पर, अर्थात्, सेवानिवृत्ति पर, सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी में जाने पर, अकाल मृत्यु आदि पर देय हो जाती है, और भुगतान किये जानेवाला महीना के पूर्ववर्ती महीना तक या उक्त राशि देय होने के महीना के बाद से छठा महीना के अन्त तक, इनमें जो कम होता है, उस राशि पर ब्याज देय होता है।

2. सरकार ने अब निर्णय लिया है कि यदि अभिदाता चाहे तो, सम्बद्ध भविष्य-निधि में उसके खाता पर जमा राशि उसकी सेवा-निवृत्ति की तिथि से तीन वर्षों तक उक्त निधि में रोक रखी जा सकेगी बशर्ते कि वह अपनी सेवा-निवृत्ति की तिथि से पहले या उसके दो महीनों के अन्दर इस निमित्त सम्बन्धित लेखा पदाधिकारी को लिखित संसूचना भेजे। इस संसूचना के आधार पर अभिदाता के खाता स्थित अतिशेष (बैलेंस) का सेवा-निवृत्ति की तिथि के बाद सुसंगत निधि में रोके रहना जारी रहेगा और उस पर बिहार सरकार द्वारा हर साल निर्धारित की गई दर से ब्याज मिलेगा। ऐसे मामलों में सेवा-निवृत्ति के बाद ब्याज की "संरक्षित (प्रोटेक्टेड)" दर, जिसकी कुछ अभिदाता को सम्प्रति अर्हता प्राप्त हैं, नहीं दी जायेगी।

उल्लिखित 3 वर्षों की अवधि के दौरान प्रति वर्ष एक बार निकासी की अनुमति दी जायेगी किंतु शर्त यह होगी कि ऐसी प्रत्येक निकासी की राशि (सिवा अंतिम निकासी के) सेवा निवृत्ति की तिथि पर निधि में अभिदाता के खाता पर रहनेवाली राशि के 1/3 से अधिक नहीं होगी। ऐसे मामलों में निकासी के लिए कोई कारण बताना आवश्यक नहीं होगा। तीन वर्षों के अंत से पहले अभिदाता की मृत्यु की स्थिति में, निधि में उसके खाता में जमा राशि निधि के सुसंगत नियमों के अनुसार प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति या व्यक्तियों को देय हो जायेगी। ऐसे मामलों में अंतिम निकासी पर ब्याज, उस महीना के पूर्ववर्ती महीना के अंत तक जिसमें भुगतान किया जायेगा या उस महीना के बाद छठा महीना के अंत तक जिसमें अंतिम निकासी देय हो जायेगी, जो भी अवधि पहले होगी, देय होगा। सेवा-निवृत्ति की तिथि के बाद

निधि में रोक रखी गई भविष्य-निधि राशि भविष्य-निधि अधिनियम, 1925 की धारा 3 के अधीन लेनदारों द्वारा कुर्की से और आयकर से मुक्त रहेगी।

3. यह योजना पहली बार तीन वर्षों तक लागू रहेगी। तथापि सरकार के पास यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि यदि परिस्थितियों में न्यायोचित होगा तो वह अभिदाताओं को 6 महीने की नोटिस देकर इस योजना को समाप्त कर दे।

4. ये आदेश निर्गत होने की तिथि पर या उसके बाद सेवानिवृत्त होनेवाले पदाधिकारियों पर लागू होंगे और उन पदाधिकारियों पर भी लागू होंगे जो यद्यपि वे पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं लेकिन उनकी निधि में संचित राशि उन्हें नहीं चुकाई गई है। पश्चातवर्ती स्थिति में पदाधिकारियों को इन आदेशों के निर्गत होने की तिथि से तीन महीने के अन्दर लेखापदाधिकारी को आवश्यक संसूचना भेजनी होगी।

5. एक बार प्रयुक्त किया गया विकल्प अंतिम होगा। यदि आवश्यक संसूचना निर्धारित अवधि के अन्दर लेखा पदाधिकारी को नहीं भेजी जायेगी तो माना जायेगा कि सम्बन्धित पदाधिकारी ने सामान्य नियमों के तहत संचित राशियों को निकालने का विकल्प प्रयुक्त किया है।

6. ये आदेश उन पदाधिकारियों पर लागू होंगे जिनपर बिहार सामान्य भविष्य-निधि नियमावली और बिहार अंशदायी भविष्य-निधि नियमावली लागू होती हैं।

7. इसका आरंभ उन अनुरोधों के प्रत्युत्तर में किया गया है कि सरकारी सेवकों को उनकी भविष्य निधि स्थित राशियां संरक्षित रखने की सुविधा दी जानी चाहिए। आशा है कि इस तरह के सभी पदाधिकारी इस रियायत का अधिकतम संभाव्य लाभ उठायेंगे और इस प्रकार पंचवर्षीय योजनाओं में भी योगदान करेंगे।

8. विभिन्न भविष्य-निधि नियमावलियों में आवश्यक संशोधन यथासमय निर्गत किये जायेंगे। **[ज्ञाप सं० एफ 2-4011/59-862 वि०, 15 जनवरी, 1959।]**

2.

विषय—सेवा-निवृत्ति के बाद निधि में भविष्य-निधि धनराशि का लगातार रोक रखना।

उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के ज्ञाप सं० एफ 2—4011/59—862 वि०, दिनांक 15 जनवरी, 1959, को निर्देशित करते हुए उसके सम्बन्ध में निम्नलिखित स्पष्टीकरण निर्गत किये जाते हैं।

2. इस विभाग के ज्ञापन दिनांक 15 जनवरी 1959 में समाविष्ट सेवानिवृत्ति के बाद निधि में भविष्य-निधि (धनराशि) को रोक रखने की योजना, बर्खास्तगी, सेवा निष्कासन या स्वैच्छिक पदत्याग के चलते सेवा छोड़नेवाले पदाधिकारियों के मामलों पर नहीं लागू होगी।

3. सेवानिवृत्ति की सामान्य तिथि के बाद कोई भी बीमा पॉलिसी भविष्य-निधि से वित्त-पोषित नहीं की जायेगी। वैसी सभी पॉलिसियाँ, जो सेवा-निवृत्ति से पहले भविष्य-निधि से वित्त पोषित की जा रही थी, भविष्य-निधि नियमावली में अंतर्विष्ट सामान्य प्रावधानों के अनुसार अभिदाता को पुनर्समनुदेशित या सुपुर्द कर दी जाएंगी।

4. ब्याज की संरक्षित दर सेवानिवृत्ति की तिथि तक ही दी जायेगी और तत्पश्चात ब्याज की सामान्य दर पर दी जायेगी। जिस तिथि तक ब्याज दिया जायेगा, वह होगी जो इस विभाग के उल्लिखित ज्ञापन में निर्धारित की गयी है, अर्थात, उस महीना के पूर्ववर्ती अंत तक जिस में भुगतान किया जायेगा (या) उस महीना के छठा महीना के अंत तक जिसमें (मृत्यु या तीन वर्ष अवधि की समाप्ति के कारण) अंतिम भुगतान देय हो जायेगा, उनमें जो पहले आए।

5. 15 जनवरी 1959 के इस विभागीय ज्ञापन के कण्डिका 2 के द्वितीय उप कण्डिका के तहत पहली निकासी की अनुमति सेवानिवृत्ति के बाद 1ला और 12वाँ महीना के बीच, दूसरी 13वाँ और 14वां महीना को पूरा होने पर दी जायेगी। फिर भी, यदि सेवानिवृत्ति पदाधिकारी ने पहले दो वर्षों के दौरान कोई निकासी नहीं की हो या अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि पर अपने खाता में जमा राशि के 2/3 से कम की सकल निकासी की हो तो उसे 25वां और 36वां महीना के बीच एक निकासी की अनुमति दी जा सकेगी,

बशर्ते कि पहले दो वर्षों के दौरान की गई किसी निकासी के साथ इस तरह से की गई निकासी मिलकर, सेवानिवृत्ति की तिथि पर खाता में जमा राशि के 2/3 से अधिक नहीं होती हो।

6. निधि में धनराशि को रोक रखने के लिए तीन वर्षों की अवधि की गणना पदाधिकारी की वास्तविक सेवानिवृत्ति की तिथि से की जायेगी, न कि सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी के आरंभ की तिथि से या निधि में धनराशि रोक रखने का विकल्प प्रयोग करने की तिथि से। **[ज्ञाप सं० एफ 2—4011/59—8765 वि० दिनांक 2 अप्रैल, 1959।]**

3.

विषय :–सेवा-निवृत्ति के बाद निधि में भविष्य निधि धनराशि को लगातार रोक रखना।

उपर्युक्त विषय पर वित्त विभाग के ज्ञाप सं० एफ 2—4011/59—862 वि०, दिनांक 15 जनवरी, 1959 और एफ 2—4011/59—8765—वि०, दिनांक 2 अप्रैल, 1959 और परवर्ती ज्ञाप सं० एफ 2—4020/63—4369 एफ०, दिनांक 20 मार्च, 1963 की शर्तों के अनुसार भविष्य निधि के अभिदाता को तस्मिन् उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि से तीन वर्षों तक सुसंगत निधि में अपनी भविष्य-निधि धनराशि को बनाये रखने की अनुमति है।

2. बचत को गतिशील बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि भविष्य में अभिदाता को, सिवा उन निकासियों के जो निम्नांकित कण्डिकाओं 3 और 4 की शर्तों द्वारा विनियमित होंगी, उन्हीं शर्तों के अध्यधीन सेवानिवृत्ति की तिथि से पांच वर्षों की कुल अवधि तक निधि में अपनी भविष्य-निधि (धनराशियाँ) रोक रखने की अनुमति दी जा सकेगी। उन अभिदाताओं को भी जिनको पहले ही निधि में उनके भविष्य-निधि में संचित धनराशियों को तीन वर्षों तक रोक रखने की अनुमति दी गई है, यदि वे चाहें तो, उन धन राशियों को और दो वर्षों तक निधि में रखे रहने की अनुमति दी जा सकेगी। इसके लिए वे इन आदेशों के जारी होने की तिथि से छः महीने के अन्दर अपने विकल्प का प्रयोग करेंगे।

3. 5 वर्षों की अवधि के दौरान पहले की तरह ही प्रतिवर्ष एक बार निकासी करने की अनुमति इस शर्त के अनुसार दी जायेगी कि ऐसी प्रत्येक निकासी की राशि (सिवा अंतिम निकासी के) सेवानिवृत्ति की तिथि पर निधि में अभिदाता के खाता पर रहनेवाली राशि के 1/5 से अधिक नहीं होगी। वित्त विभाग के ज्ञाप सं० एफ 2—4011/59—8765 वि०, दिनांक 2 अप्रैल, 1959 के कण्डिका 5 के अन्य प्रावधान, आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

4. जिन अभिदाताओं को पहले ही उनकी निधि स्थित भविष्य-निधि धनराशियाँ तीन वर्ष तक रखे रहने की अनुमति दी गई है और उन्होंने और दो वर्ष तक निधि में अपने अतिशेष (बैलेंस) को रखे रहने का विकल्प दिया है, उन्हें भी पूर्वगामी कण्डिका के निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार धनराशि निकालने की अनुमति दी जायेगी मानो ये आदेश आरंभ से ही उनपर भी लागू हैं। वैसे अभिदाता जो पहले ही प्रथम दो या प्रथम तीन वर्षों के दौरान निकासी कर ली हो, वे यथास्थिति, पुराने आदेश के अनुसार आनेवाले वर्षों के दौरान उस अन्तर को निकाल सकेंगे जो इन आदेशों के तहत निकाली जा सकने वाली राशि और पहले निकाली गई राशि में होगा। **[ज्ञाप सं० एफ 2—4020/62—8659 वि०, दिनांक 17 जुलाई, 1963।]**

4

सेवा निवृत्त होनेवाले सरकारी कर्मचारियों को बिहार सामान्य भविष्य निधि लेखा में अनिवार्य अंशदान के सम्बन्ध में कुछ सुविधा देने के लिए सरकारी संकल्प संख्या-2751 वि० दिनांक 29 फरवरी 1956 का आंशिक संशोधन करते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सरकारी कर्मचारियों को यह विकल्प दिया जाय कि कोई कर्मचारी यदि चाहे तो सेवा निवृत्ति के पूरे तीन माह पूर्व से अपना अनिवार्य अंशदान (कम्पलसरी सबसक्रीपशन) देना बन्द कर सकते हैं। यदि किसी कर्मचारी की सेवा निवृत्ति तिथि किसी माह की प्रथम तिथि न होकर कोई अन्य तिथि हो तो वे अपना अनिवार्य अंशदान उस माह के पूर्व तीन माह से बन्द कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें लिखित विकल्प विहित प्रपत्र में देना होगा। राजपत्रित कर्मचारी अपना विकल्प उन महीनों के अपने वेतन विपत्र के साथ कोषागार को देंगे।

अराजपत्रित कर्मचारी अपना विकल्प संबंधित निकासी पदाधिकारी को देंगे, निकासी पदाधिकारी उनके वेतन विपत्र में यह अंकित कर देंगे कि कर्मचारी द्वारा दिये गये और विकल्प के अनुसार इनके वेतन से भविष्य निधि अंशदान नहीं काटा गया है। यह आदेश 1 जनवरी 1973 से लागू समझा जायगा। [ज्ञाप संख्या पेन भ० नि० 101/73/914 वि० दिनांक 15.2.1973]

5

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 914 दिनांक 15 फरवरी, 1973 का आंशिक संशोधन करते हुए राज्य सरकार ने सरकारी सेवकों को यह विकल्प (option) देने का निर्णय किया है कि वे सेवा निवृत्ति के एक वर्ष में भविष्य निधि में अपना अनिवार्य अंशदान देना बन्द कर सकते हैं। यदि किसी सरकारी सेवक को सेवा निवृत्ति की तारीख किसी महीने की प्रथम तिथि न होकर कोई अन्य तिथि हो, तो वे अपने भविष्य निधि में अनिवार्य अंशदान उस माह के एक वर्ष पूर्व से देना बन्द कर सकते हैं: इस अवधि में उन्हें भविष्य निधि से अस्थायी अग्रिम नहीं स्वीकृत किये जायेंगे परन्तु नियमानुसार अनुमान्य अप्रत्यर्पणीय अग्रिम की स्वीकृति दी जा सकेंगी। पूर्वोक्त संकल्प संख्या-914 दिनांक 15 फरवरी, 1973 की कंडिका 1 को उपयुक्त सीमाओं तक संशोधित समझा जाय। [वित्त विभाग ज्ञाप संख्या-वि-401/75/6769 वि० दिनांक 6.6.1973]

6

** विषय–भविष्य निधि अन्तिम भुगतान के सम्बन्ध में किये गये भुगतान के प्रत्येक मामले का प्रमाण-पत्र निर्गत करना।

महालेखाकार के कार्यालय में भविष्य निधि का अन्तिम भुगतान के सम्बन्ध में इस स्थिति की जाँच आवश्यक है कि भुगतान की राशि की प्राप्ति अभिदाताओं या प्राधिकृत व्यक्ति को हुई है या नहीं, इसके लिए उनके कार्यालय में अभिदाता के लेखा खाता (लेजर एकाउन्ट) में इस आशय की प्रविष्टियाँ आवश्यक है।

अत: अराजपत्रित पदाधिकारियों के सम्बन्ध में किये गये भविष्य निधि के अन्तिम भुगतान के प्रत्येक मामले में भुगतान के बाद प्रमाण पत्र महालेखाकार के कार्यालय में संलग्न विपत्र में भेजा जाना अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में विभाग और अपने अधीनस्थ कार्यालयों के कार्यालय प्रमुख तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को इस आशय का आदेश निर्गत किया जाय जिससे महालेखाकार द्वारा बतलायी गयी भुगतान के बाद की प्रक्रिया का पालन आवश्यक रूप में हो सके। [**F.D. Memo No. M 1-32/78-1030F dated 3.11.1978.]

प्रमाण पत्र का प्रपत्र निम्नलिखित है।

महालेखाकार, बिहार, का कार्यालय, पटना

दिनांक ... ...

सं०

सेवा में

श्री ... ...

विषय :–सा० भ० नि० लेखा सं० ... ... धारक श्री ... ... को भुगतान के लिये प्राधिकृत भ० नि० से सम्बन्धित व्ययन का प्रमाणपत्र।

महाशय,

... ... कोषागार पर इस कार्यालय के प्राधिकार पत्र सं० ... ... दिनांक ... . के माध्यम से सा० भ० नि० लेखा सं० ... ... से रु० की अंतिम निकासी प्राधिकृत की गई थी।

टी० भी० संख्या और तिथि, जिसमें उक्त राशि निकाली गई है, बताई जाय। उपर्युक्त प्राधिकार पत्र संख्या और तिथि के अनुसार अभिदाता को सा० भ० नि० धनराशि भुगतान के सम्बन्ध में व्ययन का

प्रमाणपत्र भी कृपया संलग्न प्रोफार्मा में उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन

लेखा पदाधिकारी।

महालेखाकार, बिहार, पटना, प्राधिकार पत्र सं० ... ... दिनांक ... ... के द्वारा प्राधिकृत अंतिम भुगतान के सम्बन्ध में व्ययन का प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि महालेखाकार बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र सं० ... ... दिनांक ... के द्वारा प्राधिकृत ... ... रु० (शब्दों में) ... ... रुपये) की राशि समुचित भरपाई के तहत (जिला का नाम) टी० भी० सं० ... ... दिनांक ... ..., जिसका सा० भ० नि० लेखा सं० ... ... है, के द्वारा निकाली गई।

दिनांक ... ...

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के हस्ताक्षर

कार्यालय की मुहर

7

* विषय–भविष्य निधि में संचित राशि के अन्तिम निकासी सम्बन्धी आवेदन पत्रों में पायी गयी त्रुटियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

भविष्य निधि की अन्तिम निकासी सम्बन्धी आवेदन पत्रों में पायी जाने वाली कुछ त्रुटियों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया है। इन त्रुटियों में निम्नलिखित प्रमुख हैं–

(i) अन्तिम निकासी सम्बन्धी आवेदन पत्रों में मुख्य सूचनाएं जैसे सिम्बौल तथा लेखा संख्या का अंकन, मृत, पदत्याग तथा सेवा निवृत्ति की तिथि, पूर्व में लिये गए अग्रिम आदि की सूचनाएं उल्लेख कर महालेखाकार कार्यालय में नहीं भेजे जाते हैं।

(ii) मृत अभिदाताओं के मामले में परिवार के जीवित सदस्यों की सूची नहीं संलग्न की जाती है।

(iii) वैसे मृत अभिदाताओं के सम्बन्ध में जिन्होंने मनोनयन पत्र नहीं दिया है और प्राप्तकर्त्ता नाबालिक है सक्षम पदाधिकारी द्वारा दो जमानतवालों के हस्ताक्षर के साथ इनडिमनिटी बौंड नहीं दिया जाता है।

(iv) सेवा निवृत्त या मृत्यु के बारह माह के अन्दर सेवा निवृत्त या मृत्त अभिदाता के द्वारा जमा एवं निकासी सम्बन्धी विवरण संलग्न नहीं की जाती है।

(v) मृत या सेवा निवृत अभिदाताओं का अन्तिम निकासी सम्बन्धी आवेदन पत्र विभागाध्यक्ष के द्वारा अग्रसारित नहीं किया जाता है।

(vi) राजपत्रित सेवा निवृत या मृत पदाधिकारी का अन्तिम निकासी सम्बन्धी आवेदन पत्र वित्त विभाग द्वारा अग्रसारित नहीं किया जाता है।

(vii) सरकारी सेवकों को उनकी सेवा निवृत्ति के 3 माह के अन्दर भी अप्रत्यपर्णीय अग्रिम को स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(viii) सेवा निवृत्ति की तिथि के बहुत पहले अन्तिम निकासी सम्बन्धी आवेदन पत्र महालेखाकार कार्यालय में भेजे जाते हैं और ऐसे मामले में भी सेवा निवृत्त होने के पहले अग्रिम की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अत: इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि सेवा निवृत्त होने वाले या मृत्त अभिदाताओं के अंतिम निकासी सम्बन्धी आवेदन पत्र महालेखाकार, बिहार को अग्रसारित करते समय निम्नलिखित सूचनाएं एवं कागजात अवश्य ही भेजे जायें।

(i) अंशदाता को आवंटित लेखा संख्या, सिम्बौल, मृत्यु, सेवा निवृत्ति या पद त्याग की तिथि एवं

अन्तिम कटौती सम्बन्धी सूचना एवं प्रमाण पत्र आवेदन पत्र में अवश्य अंकित किया जाय।

(ii) जहाँ अभिदाता द्वारा कोई मनोनयन पत्र नहीं दिया गया है और परिवार का उत्तराधिकारी नाबालिग है वहाँ राशि भुगतान के पूर्व हिन्दू विधवा को छोड़कर सहज अभिभावक होने के प्रमाण के अभाव में इनडिमनिटी बॉण्ड में जमानतदारों के हस्ताक्षर के साथ दिए जायें।

(iii) जहाँ मृत अभिदाताओं के द्वारा कोई मनोनयन पत्र नहीं दिया गया है और उनका अपना कोई परिवार भी नहीं है वहाँ उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(iv) सेवा निवृत्ति के पूर्व बारह माह की अवधि में भविष्य निधि में जमा की गई राशि तथा उससे निकासी की गयी राशि की मासिक विवरणी अराजपत्रित सरकारी सेवकों के मामले में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा तथा राजपत्रित सरकारी सेवकों के मामले में संबंधित कोषागार पदाधिकारी द्वारा सत्यापित कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाय।

(v) सेवा निवृत्ति के पूर्व बारह माह की अवधि में भविष्य निधि से अस्थायी अग्रिम तथा 3 माह की अवधि में अप्रत्यर्पणीय अग्रिम की निकासी के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाय।

(vi) मृत या सेवा निवृत्त अभिदाताओं का अन्तिम निकासी सम्बन्धी आवेदन पत्र विभागाध्यक्ष के द्वारा अग्रसारित किये जायें।

(vii) राजपत्रित सरकारी सेवकों का अन्तिम निकासी सम्बन्धी आवेदन पत्र जहाँ सेवा निवृत्ति की तिथि से 1 माह के अन्दर अग्रिम की निकासी की गई है उन मामलों में आवेदन पत्र वित्त विभाग को अनौपचारिक सहमति प्राप्त कर ही महालेखाकार कार्यालय में भेजे जायें।

(viii) अन्तिम निकासी का आवेदन पत्र सेवा निवृत्ति/ मृत्यु, पदत्याग के पश्चात् ही महालेखाकार कार्यालय में भेजा जाय।

(ix) मृत अभिदाताओं के मामले में परिवार के सदस्यों की अभिप्रमाणित सूची संलग्न की जाय।

(x) अभिदाता के अन्तिम पदस्थापन के स्थान से भिन्न कोषागार के रकम की निकासी के मामले में प्राप्तकर्त्ता की अंगुलीछाप, व्यक्तिगत पहचान, हस्ताक्षर के नमूने अन्तिम आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाय।

अभिदाताओं की सेवा निवृत्ति या मृत्यु के पश्चात् अन्तिम निकासी के आवेदन पत्र प्राप्त कर उसे तत्परता के साथ शीघ्रताशीघ्र महालेखाकार बिहार के पास भेजा जाय।

कृपया अन्तिम निकासी संबंधी आवेदन पत्रों को अग्रसारित करते समय उपर्युक्त निर्देशों का पालन निश्चित रूप से किया जाय तथा अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए अनुरोध किया जाय। [*Vide F.D. Memo No. MI-038/78—3490 F. dated 25.5.1979.]

31. अभिदाता के खाता पर संचित राशि के देय होने से पहले, या देय हो जाने के पश्चात भुगतान किये जाने से पहले, अभिदाता की मृत्यु हो जाने पर

(i) जब अभिदाता परिवार छोड़ जाता हो–

(क) यदि अभिदाता द्वारा नियम 8 या एतत् पूर्व प्रवृत्त तत्स्थानी नियम के प्रावधान के अनुसार उसके परिवार के सदस्य या सदस्यों के पक्ष में किया गया नामनिर्देशन कायम रहे, तो निधि में उसके खाता पर संचित राशि या उसका भाग; जिसके सम्बन्ध में नाम निर्देशन है, नामनिर्देशन पत्र में विनिर्दिष्ट अनुपात में उसके नाम निर्देशित या नाम निर्देशितियों को देय होगा।

(ख) यदि अभिदाता के परिवार के सदस्य या सदस्यों के पक्ष में ऐसा कोई नाम निर्देशन नहीं कायम रहे, या वैसा नाम निर्देशन निधि में उसके खाता पर संचित राशि के केवल एक भाग से सम्बन्धित हो, तो सम्पूर्ण राशि या उसका भाग जिससे उक्त नाम निर्देशन का सम्बन्ध नहीं है, जैसी स्थिति हो, उसके परिवार के सदस्य या सदस्यों से भिन्न किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में रहने वाला किसी तात्पर्यित नामनिर्देशन के होते हुए भी, उसके परिवार के सदस्यों को बराबर हिस्से में देय होंगे :

परंतु यह कि कोई हिस्सा देय नहीं होगा–

(1) पुत्रों को जिन्होंने विधिक वयस्कता प्राप्त कर ली है;

(2) मृत पुत्र के पुत्रों को जिन्होंने विधिक वयस्कता प्राप्त कर ली है;

(3) विवाहित पुत्रियों को जिनके पति जीवित हैं;

(4) मृत पुत्र की विवाहित पुत्रियों को जिनके पति जीवित हैं यदि खंड (1), (2), (3) और (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से भिन्न परिवार का कोई सदस्य हो;

परंतु यह भी कि मृत पुत्र की विधवा या विधवायें और संतान या संतानें एक दूसरों के बीच केवल उस हिस्सा में बराबर-बराबर भाग प्राप्त करेंगे जो उक्त पुत्र प्राप्त किया होता यदि वह अभिदाता की मृत्यु के बाद जीवित हुआ होता और प्रथम परंतुक के खंड (1) के प्रावधानों से मुक्त हुआ होता।

(ii) जब अभिदाता कोई परिवार नहीं छोड़ जाता तो, यदि अभिदाता द्वारा नियम 8 या एतत्पूर्व (प्रवृत्त) तत्समानी नियम (जो उस समय प्रवृत हो) के प्रावधान के अनुसार किसी व्यक्ति के पक्ष में किया गया कोई नाम निर्देशन कायम रहे तो निधि में उसके खाता पर संचित राशि या उसका भाग, जिसके सम्बन्ध में नाम निर्देशन है, नाम निर्देशन पत्र में विनिर्दिष्ट अनुपात में नाम निर्देशित या नाम निर्देशितों को देय होगा।

टिप्पणी–जब नियम 8 के तहत नाम निर्देशन फारम में नामित व्यक्ति की मृत्यु अभिदाता (की मृत्यु) से पहले हो जायेगी तब नाम निर्देशन फारम में किसी प्रतिकूल निदेश के नहीं रहने पर मात्र उस व्यक्ति के सम्बन्ध में नाम निर्देशन रद्द और शून्य हो जायगा और उसका हिस्सा पूर्वोक्त खंड (i) के उपखंड (ख) में निर्धारित रीति से वितरित किया जायगा।

राज्य सरकार के निर्णय :–

1.

विषय :–सामान्य भविष्य निधि में संचित राशियों के अंतिम भुगतान से सम्बन्धित मामलों का शीघ्र निष्पादन–मृत्यु के मामलों में सामान्य भविष्य निधि धनराशि के अंतिम भुगतान में शीघ्रता करना।

सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया है कि मृत अभिदाता के सम्बन्ध में सामान्य भविष्य निधि धनराशि के अंतिम भुगतान में बहुधा विलम्ब कार्यालय प्रधानों द्वारा उस सामान्य निदेश सं॰ 4 के नहीं पालन करने से होता है जो भविष्य निधि संचयन, अनुसूची 53—निधि सं॰ 33ए, की अन्तिम निकासी वास्ते आवेदनपत्र के प्रपत्र पर मुद्रित रहता है। विदित हो कि उपर्युक्त निदेश की आवश्यकता यह है कि भविष्य निधि के अभिदाता की मृत्यु के मामले में कार्यालय प्रधान आवेदन पत्र के प्रपत्र के आवश्यक मदों को भरकर उसे विभागाध्यक्ष को अग्रसारित करें। अनुदेश का दूसरा भाग विहित करता है कि कार्यालय प्रधान उसी समय महालेखाकार, बिहार, को अभिदाता की मृत्यु सम्बन्धी सूचना तत्काल और सीधे भेजे, साथ-साथ उसका भविष्य निधि सम्बन्धी सूचना भी, ताकि महालेखाकार विभागाध्यक्ष को इस विषय में आवश्यक परामर्श (एडभाइस) दे सके। यदि महालेखाकार द्वारा इस सूचना की प्राप्ति समय पर हो जायेगी तो, उन मामलों में जिनमें नाम निर्देशन उसके कार्यालय में उपलब्ध हैं, नाम निर्देशितों के ब्यौरे उपलब्ध कराए जा सकेंगे, अन्यथा परिवार के जीवित सदस्यों के विवरण प्राप्त करने के लिये आवश्यक परामर्श (एडभाइस) तत्परता पूर्वक विभागाध्यक्ष को भेजना होगा जो उसे आवेदनपत्र को समुचित तरह से भरे जाने और महालेखाकार, बिहार, को बिना अत्यधिक विलम्ब के भेजे जाने को समर्थ बनाएगा।

अतः अनुरोध है कि कार्यालय-प्रधान को उपर्युक्त अनुदेशों के सख्त अनुपालन की आवश्यकता और प्रधानता के बारे में कृपया अवगत करा दिया जाय जिससे अनावश्यक विलम्ब न हो। इस सम्बन्ध में वित्त विभाग ज्ञाप सं॰ एफ 2—017/59—1456 वि॰, दिनांक 23 जनवरी 1959 की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें आग्रह किया गया था कि अग्रसर कार्रवाई के लिये महालेखाकार को अग्रसारित किये जाने से पहले कार्यालय प्रधान को चाहिये कि वह आवेदनपत्र के फारम के सभी स्तंभों को सही सही भर करके जाँच कर लें। उपर्युक्त परिपत्र के बावजूद महालेखाकार के पास अभी भी अनेक

तरह से अधूरे आवेदनपत्र आते रहते हैं। यह भी अनुरोध है कि भविष्य में ऐसी चूकों की पुनरावृत्ति रोकने और आवेदन पत्र-प्रपत्र के सभी स्तंभों की सही-सही पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कृपया कदम उठाये जाएं। [जी० ओ० सं० एफ 2—4076/59—6364 वि०, दिनांक 4.5.1960।]

2.

विषय :–अभिदाता या उसके परिवार को भविष्य-निधि अवशेष के भुगतान में विलम्ब का निराकरण।

सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि कुछ मामलों में सेवा त्यागने पर अभिदाता को या उसकी मृत्यु होने पर उसके परिवार को भविष्य निधि अतिशेष के अंतिम भुगतान में विलम्ब का कारण यह होता है कि सेवा-त्याग। मृत्यु के पूर्व के बारह महीनों के दौरान उसने एक से अधिक कार्यालय में सेवा की थी और लेखा पदाधिकारी को उसके द्वारा लिये गये अग्रिम या अप्रत्यपर्णीय निकासी की जानकारी विभिन्न सम्बन्धित कार्यालयों से इकट्ठा करना होता है।

इस तरह के विलम्ब को दूर करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि अब से कार्यालय-प्रधान/विभागाध्यक्ष, जिसके मातहत अभिदाता ने अंत में सेवा की हो, उन विभिन्न कार्यालयों से आवश्यक जानकारी इकट्ठा करेगा जिनमें उसने सेवा-त्याग। मृत्यु से पूर्व के बारह महीनों के दौरान सेवा की थी और अभिदाता द्वारा लिया गया किसी अग्रिम/अप्रत्यपर्णीय निकासी सम्बन्धी उन सभी कार्यालयों की ओर से प्रमाणपत्र लेखा-पदाधिकारी को उपलब्ध कराएगा। [ज्ञाप सं० एफ 2—4046/59/19938 वि०, दिनांक 22.10.1959 ।]

32. (1) जब निधि में अभिदाता के खाता पर संचित राशि देय हो जायेगी तब लेखा पदाधिकारी का कर्त्तव्य होगा कि वह उसे भुगतान कर दे, जैसा कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925, की धारा 4 में उपबंधित किया गया है।

(2) यदि व्यक्ति जिसको इन नियमों के तहत कोई राशि या पॉलिसी भुगतान समनुदेशन पुनर्समनुदेशन या सुपुर्द किया जाना है, पागल हो जिसकी सम्पदा के प्रबन्धन के लिये भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 के अधीन प्रबंधक नियुक्त किया गया हो तो भुगतान या समनुदेशन या सुपुर्दगी उक्त पागल को नहीं बल्कि उक्त प्रबन्धक को की जायेगी।

(3) जो कोई इस नियम के तहत भुगतान का दावा करना चाहता हो वह इसके लिये लेखा पदाधिकारी के पास लिखित आवेदन भेजेगा। निकाली गई राशियों का भुगतान केवल भारत में किया जायेगा। जिन व्यक्तियों को ऐसी राशियां देय हों वे भारत में भुगतान प्राप्त करने के लिये अपना निजी प्रबन्ध करेंगे।

टिप्पणी–जब अभिदाता के खाता पर रहने वाली राशि नियम 29, 30 या 31 के तहत देय हो जायेगी तब लेखा पदाधिकारी अभिदाता के खाता पर संचित राशि के उस भाग को तत्काल भुगतान करने को प्राधिकृत करेगा जिसके सम्बन्ध में कोई विवाद या संदेह नहीं हो, और शेष का समंजन यथासंभव शीघ्र किया जायेगा।

[समीक्षा, नियम 32(2)—निधि का अंतिम भुगतान उस व्यक्ति को नहीं किया जायेगा जिसकी मृत्यु विक्षिप्तावस्था में हुई हो।]

[समीक्षा, नियम 32(3)—सभी दावे भारतीय मुद्रा में और भारत गणराज्य में देय होंगे।

33. (क) यदि सरकारी सेवक किसी अन्य सरकारी भविष्य निधि जो गैर अंशदायी भविष्य निधि है, में अभिदाता है और उसे प्रांतीय सरकार के अधीन पेंशनप्रदायी सेवा में स्थायी रूप से अंतरित कर दिया जाता है तो अंतरण की तिथि पर उक्त अन्य निधि में उसके खाता पर रहनेवाली ब्याज समेत अभिदान की राशि, उक्त अन्य सरकार की सहमति से, निधि में उसके खाता को अंतरित कर दी जायेगी।

(ख) यदि सरकारी सेवक को जो स्टेट रेलवे भविष्य निधि, या अंशदायी भविष्य निधि, (भारत) या प्रांतीय अंशदायी भविष्य निधि में अभिदाता हो, प्रांतीय सरकार के अधीन पेंशन प्रदायी सेवा में स्थायी रूप से अंतरित कर दिया जाता है और वह इस तरह की पेंशन प्रदायी सेवा में पेंशन लेने का विकल्प देता है या उसे ऐसा करना आवश्यक है तो

(i) अंतरण की तिथि को उस अंशदायी भविष्य निधि में उसके खाता पर रहनेवाली ब्याज समेत अंशदान की राशि, अन्य सरकार यदि हो की सहमति से, निधि में उसके खाता को अंतरित कर दी जायेगी;

(ii) उस अंशदायी भविष्य निधि में उसके खाता पर रहनेवाली ब्याज समेत सरकारी अंशदान की राशि, अन्य सरकार यदि हो, की सहमति से सरकार को लौटा दी जायेगी और प्रांतीय राजस्व में जमा कर दी जायेगी; और

(iii) इस बदलैन के फलस्वरूप वह उक्त अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान की जानेवाली अवधि के उस भाग को पेंशन वास्ते गणना करने का हकदार हो जायेगा जो प्रांतीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

34. यदि निधि के अभिदाता को बाद में बिहार अंशदायी भविष्य निधि के लाभ के लिये प्रविष्ट किया जायेगा तो ब्याज समेत उसकी अभिदान राशि बिहार अंशदायी भविष्य निधि में उसके लेखा के स्थित जमाराशि को अंतरित कर दी जायेगी।

प्रक्रिया सम्बन्धी नियम

35. इन नियमों के तहत निधि में डाली गई सभी राशियां सरकारी बहियों में "सामान्य भविष्य निधि" नामक लेखा में आकलित की जायेंगी। राशियां जिनके भुगतान इन नियमों के तहत देय होने के बाद से छः महीने के अन्दर लिये गये हों, वर्ष के अंत में "जमाराशियां (डिपोजिट्स)" को अंतरित कर दी जाएंगी और जमाराशि सम्बन्धी साधारण नियमों के तहत व्यवहृत की जाएंगी।

[समीक्षा, नियम 35—यदि निधि को दी गई राशियां छः महीने के अन्दर नहीं ली जाएंगी तो इस तरह अदत्त राशि महालेखाकार, बिहार, के लेजर में जमा जैसी अंतरित कर दी जायेगी।]

36. भारत में अभिदान करते समय, चाहे परिलब्धियों से कटौती द्वारा या नकदराशि में हो अभिदाता निधि की अपनी उस लेखा संख्या का उल्लेख करेगा जिसे लेखा पदाधिकारी उसे संसूचित करेगा। उस संख्या में किसी प्रकार का परिवर्तन होगा तो इसकी सूचना अभिदाता को लेखा पदाधिकारी द्वारा दी जायेगी।

37. (1) हर वर्ष की समाप्ति पर यथा संभव शीघ्र लेखा पदाधिकारी प्रत्येक अभिदाता को उसका निधिगत लेखा का विवरण भेजेगा जिसमें वर्ष के 1ली अप्रैल को आरंभिक अतिशेष (बैलेंस) वर्ष के दौरान जमा की गई या निकाली गयी कुल राशि, वर्ष के 31 मार्च को जमा की गई ब्याज की कुल राशि और उस तिथि को कुल अंत-अतिशेष दर्शित किये जाएंगे। लेखा पदाधिकारी लेखा-विवरण के साथ एक परिप्रश्न संलग्न करेगा कि क्या अभिदाता–

(क) नियम 8 के तहत या एतत् पूर्व तत्स्थानी नियम के तहत किया गया किसी नाम निर्देशन में कोई परिवर्तन चाहता है;

(ख) परिवार अर्जित किया है, उन मामलों में जिनमें अभिदाता ने नियम 8 के उपनियम (2) के तहत अपने परिवार के किसी सदस्य के पक्ष में कोई नाम निर्देशन नहीं किया हो।

(2) अभिदाताओं को चाहिये कि वे वार्षिक विवरण की शुद्धता का स्वयं समाधान कर लें और किसी गलती की ओर विवरण की प्राप्ति की तिथि से छः महीने के अन्दर लेखा पदाधिकारी का ध्यान आकृष्ट करें।

(3) यदि अभिदाता अपेक्षा करेगा तो वर्ष में एक बार, एक बार से अधिक नहीं, लेखा पदाधिकारी अभिदाता को उस आखिरी महीना के अंत तक के लिए, जिसके लिए उसका लेखा तैयार हो गया है, निधि में उसके खाता पर स्थित कुल राशि की जानकारी देगा।

अभिदाता का कर्त्तव्य है कि वह–

(क) नाम निर्देशन सम्बन्धी किसी परिवर्तन को महालेखाकार, बिहार को संसूचित करे;

(ख) महालेखाकार, बिहार द्वारा दिया गया विवरण की शुद्धता की जांच करे; और

(ग) अभिदाता को निधि प्राप्त करने वाला नाम निर्देशित व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम से महालेखाकार को अवगत कराए; यदि ऐसा पहले नहीं किया गया हो।

[समीक्षा, नियम 37—प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में अभिदाता को महालेखाकार, बिहार, से लेखा का विवरण मिलेगा जिसमें वर्ष के 1ली अप्रैल को आरंभिक अतिशेष, अंतिम वित्त वर्ष के दौरान जमा की गई राशि, वर्ष के दौरान निकाली गई राशि, जमा राशियों पर उद्भूत ब्याज की राशि और वर्ष के 31 मार्च को रहनेवाला अंत अतिशेष सम्बन्धी ब्यौरे रहेंगे।]

राज्य सरकार के निर्णय :–

1.

विषय :–भविष्य निधि अनुसूचियों में गलतियों का संशोधन और तत्पश्चात् कार्रवाई।

भविष्य निधि कटौतियां की अनुसूचियों में लेखा संख्या का उल्लेख करने से सम्बन्धित वित्त विभाग के ज्ञाप सं॰ एफ 2—4013/53-14626, दिनांक 16 नवम्बर 1957 और एफ 2—4014/58—9400 दिनांक 12 जून 1958 को निर्देशित करते हुए कहना है कि राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है कि या तो सामान्य भविष्य निधि अनुसूचियों में उल्लिखित गलत लेखा संख्या के चलते या लेखा संख्या के बिल्कुल ही नहीं रहने के चलते महालेखाकार, बिहार के कार्यालय में सामान्य भविष्य निधि अभिदाताओं के लेजर-लेखा में बहुत सारे मद अभी भी अप्रविष्ट पड़े हुए हैं।

स्थिति में सुधार के मद्देनजर और यह सुनिश्चित करने के लिये, कि कटौतियां माह-ब-माह नियमित रूप से सही लेखाओं के प्रति आकलित की जायें, राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि निम्नलिखित निर्देशों को सख्ती से पालन किया जाए।

प्रत्येक निकासी पदाधिकारी हर साल 15 जनवरी तक महालेखाकार, बिहार, को तीन प्रतियों में एक सूची भेजेगा जिसमें अभिदाताओं के नाम और महालेखाकार, बिहार द्वारा उन्हें आवंटित की गई वह लेखा संख्या दिखाई रहेगी, जो उन्हें सामान्य भविष्य निधि में प्रवेश के समय आवंटित की गई थी।

सूची के द्वितीय भाग में उन अभिदाताओं के नाम होंगे जिन्हें अबतक कोई लेखा संख्या नहीं आवंटित की गई है, और उसे सामान्य भविष्य निधि (सं॰ अनुसूची 53, फारम सं॰ 201) में सम्मिलित होने के लिए विहित फारम में दो प्रतियों में आवेदन पत्र द्वारा समर्थित किया जाएगा। महालेखाकार, बिहार, के कार्यालय द्वारा सूची की जांच की जायेगी और गलतियां होने पर उन्हें सुधारी जाएंगी। नये अभिदाताओं की पात्रता की भी जांच की जाएगी और अन्यथा सही पाये जाने पर महालेखाकार, बिहार, के द्वारा लेखा संख्या आवंटित की जाएगी और कार्यालय प्रधानों के माध्यम से अभिदाताओं को संसूचित की जाएगी।

महालेखाकार, बिहार के कार्यालय से सही सूची की प्रति की प्राप्ति पर, कार्यालय-प्रधान उक्त सूची को मुद्रित या चक्रलिखित कराएंगे, जैसा सुविधाजनक समझेंगे। मुद्रित या चक्रलिखित सूची की एक प्रति अप्रैल और उसके आगामी महीनों में देय मार्च के प्रत्येक विपत्र के साथ सामान्य भविष्य निधि की अनुसूची के रूप में संलग्न की जाएगी। अभिदाताओं के नाम के साथ उनकी लेखा संख्याओं की मुद्रित अनुसूची से महालेखाकार, बिहार, के कार्यालय में काम करने में सहूलियत होगी और सामान्य भविष्य निधि अनुसूचियों में गलतियां होने की संभावना बहुत हद तक कम हो जाएगी।

इससे नाम और लेखा संख्या की शुद्धता और पाठ भी सुनिश्चित होंगे जिससे महालेखाकार, बिहार के कार्यालय द्वारा सामान्य भविष्य निधि लेखाओं के संकलन सही-सही हो सकेंगे। **[सभी नियंत्रण पदाधिकारियों को ज्ञाप सं॰ एफ 2—4053/60/28301 एफ 2 दिनांक 10 नवम्बर 1960 प्रेषित।]**

2

***विषय**–भविष्य निधि की सदस्यता के प्रपत्र में अभिदाता की जन्म तिथि का उल्लेख।

अभिदाताओं की भविष्य निधि के अन्तिम भुगतान करने में आवश्यक विलम्ब से बचने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सामान्य भविष्य निधि की सदस्यता के लिए निर्धारित प्रपत्र में अभिदाता की जन्म तिथि का उल्लेख किया जाय जिससे कि अभिदाता की लेजर खाते में जन्म तिथि दर्ज की जा सके और उक्त खाते से ही उसकी अधिवार्षिकी की सम्भावित तिथि जानी जा सके और महालेखापाल द्वारा अभिदाता की सेवा-निवृति के पूर्व ही उनके लेखा पूरा करने की कार्रवाई की जा सके और अभिदाता की सेवा-निवृत्ति के परचात् उनकी निधि का अन्तिम भुगतान बिना विलम्ब के हो सके। **[*ज्ञाप संख्या एफ 2-4161/69-12241 वि॰ दिनांक 22.8.1969।]**

3

***विषय**–भविष्य निधि से विवाह के लिए अग्रिम की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

"दहेज प्रतिषेध (बिहार संशोधन) अधिनियम 1975" जारी किये जाने के सन्दर्भ में यही प्रश्न सरकार के विचाराधीन था कि भविष्य निधि से अंशदाताओं को उनके आश्रितों के शादी के निमित स्वीकृत जाने की अग्रिमों की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाय या नहीं। दहेज के लेन देन पर प्रतिबन्ध के बावजूद भी किसी शादी के अवसर पर अन्य मदों पर व्यय होता है जो व्यक्ति के पारिवारिक, सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। अतः पूर्ण विचारोपरान्त सरकार ने यह निर्णय लिया है कि विवाह के लिए अग्रिम की राशि की सीमा निर्धारित करना उपयुक्त नहीं होगा परन्तु भविष्य निधि से अग्रिम की स्वीकृति के पूर्व आवेदक से आवेदन पत्र पर या अलग से इस बात का एकरारनामा प्राप्त कर लिया जाय कि भविष्य निधि से निकाले गये रुपये की दहेज के रूप में खर्च नहीं किया जायगा। जो व्यक्ति इस आशय का एकरारनामा नहीं देंगे उन्हें आश्रितों की शादी के निमित्त भविष्य निधि से अग्रिम स्वीकृत नहीं किया जायगा। **[*ज्ञाप संख्या 241/76 वि॰ दिनांक 1.5.1976।]**

[1]**[38. अलग-अलग मामले में नियमों के उपबन्धों का शिथिलीकरण** :–(1) जब राज्य सरकार संतुष्ट हो जाए कि इनमें से किसी भी नियम के लागू करने से निधि के किसी भी अंशदाता को अनुचित कष्ट होता है या होने की सम्भावना है तब वह ऐसा करने के कारण अभिलिखित कर तथा नियमावली में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी वह ऐसे अंशदाता के मामले का निबटाव ऐसी रीति से करेगी जो उसे न्यायोचित एवं सम्योचित प्रतीत हो।]

(2) इस सम्बन्ध में आदेश निर्गत करने के पूर्व प्रत्येक मामले में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करना अनिवार्य है।

[2]**[39.** (क) जिन सरकारी सेवकों के वेतन और भत्ते की निकासी स्थापना विपत्र फारम पर की जाती है, उनके व्यक्तिगत सामान्य भविष्य निधि लेखा के साथ-साथ एक पास-बुक रहेगा, जिसमें सम्बद्ध निकासी एवं सवितरण पदाधिकारी प्रतिमास प्रविष्टियाँ करेंगे।]

(ख) सामान्य भविष्य निधि में किया गया व्यक्तिगत अंशदान अग्रिम, निकासी वापसी तथा महंगाई भत्ते/अतिरिक्त महंगाई भत्ते की कटौतियाँ पास बुक में दिनांक 1 अप्रील, 1982 से अर्थात् मार्च, 1982 के मासिक वेतन विपत्र से ही जानेवाली कटौतियों से दर्ज की जायगी।

(ग) पास बुक स्थायी दस्तावेज होगा, जो दो रूपों में मुद्रित रहेगा–एक 20 वर्ष अवधि के लिए और दूसरा 40 वर्ष अवधि के लिए।

(घ) निकासी एवं संवितरण पदाधिकारी द्वारा नाम, लेखा संख्या विशिष्टियाँ दर्ज की जाने के बाद पास बुक सम्बद्ध अंशदाता के पास रहेगा, जो आवश्यक प्रविष्टि के लिए प्रत्येक महीने के अन्त में निकासी एवं संवितरण पदाधिकारी को प्रस्तुत करेगा। सावधानी पूर्वक जाँच और छानबीन के बाद निकासी

1. वित्त विभाग ज्ञाप सं॰ M1-018/78-7582 F दि॰ 27.7.1978 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. अधिसूचना सं॰ 2813 F दि॰ 16.3.1982 द्वारा अन्तःस्थापित।

एवं संवितरण पदाधिकारी उसमें आवश्यक प्रविष्टियाँ कर उसे अंशदाता को लौटा देगा। सामान्य भविष्य निधि से निकासी की दशा में, निकासी एवं संवितरण पदाधिकारी पास बुक मांग कर उसमें निकासी विपत्र पर हस्ताक्षर करते समय निकासी के सम्बन्ध में संगत प्रविष्टि कर देगा।

(ङ) पास बुक किसी अंशदाता के लेखा में जमा और निकासी के लिए पूर्ण प्रमाण नहीं होगा, किन्तु जहाँ किसी जमा/निकासी का पता नहीं चलेगा, वहाँ यह पास बुक उसका पता लगाने और यथावश्यक समंजन करने के लिए एक अतिरिक्त प्रमाण के रूप में काम करेगा।

(च) अशुद्ध प्रविष्टि को लाल स्याही से काटकर उसके नीचे शुद्ध प्रविष्टि अंकित की जायगी। ऐसी सभी शुद्धियाँ निकासी एवं संवितरण पदाधिकारी के दिनांकित हस्ताक्षर से अभिप्रमाणित की जायगी।

(छ) जब कभी किसी सरकारी सेवक का स्थानान्तरण एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में हो जाय, तब निकासी एवं संवितरण पदाधिकारी पास-बुक के अभ्युक्ति स्तम्भ में निम्नलिखित प्रमाण पत्र देगा–

प्रमाणित किया जाता है कि ... ... से ... ... तक की प्रविष्टियाँ कार्यालय-अभिलेख से की गयी हैं और वे सही हैं।

निकासी एवं संवितरण पदाधिकारी का
हस्ताक्षर और पदनाम

(ज) पास-बुक पर पूरा नाम लिखा जाए, संक्षेपाक्षर का प्रयोग नहीं किया जाए।]

राज्य सरकार का निर्णय–

***विषय**–भविष्य निधि पास-बुक संधारण के सम्बन्ध में भविष्य निधि नियमावली के नियम 39 (क) का स्पष्टीकरण-स्थापना वेतन विपत्र पर राजपत्रित पदाधिकारियों के वेतन की निकासी होने पर पास-बुक का संधारण।

अधोहस्ताक्षरी को भविष्य निधि नियमावली के नियम 39 (क) के प्रावधान का निदेश करते हुए यह कहना है कि उक्त नियम के प्रावधानों के अनुसार जिन सरकारी सेवकों के वेतन एवं भत्ते की निकासी स्थापना वेतन विपत्र पर की जाती है उनके मामले में सामान्य भविष्य निधि लेखा के साथ-साथ एक पास-बुक, निकासी एवं संवितरण पदाधिकारियों को संधारित करना है जिसमें प्रतिमाह के अंशदान की राशि की प्रविष्टि करना हैं। यह एक सामान्य प्रावधान है और वैसे सभी राजपत्रित पदाधिकारियों पर, जिनके वेतन की निकासी उक्त नियम की प्रभावी तिथि के पूर्व और बाद जिस तिथि से स्थापना विपत्र पर निकासी की प्रक्रिया लागू होती है, सामान्य रूप से प्रभावी हैं। सिर्फ अन्तर यह है कि उक्त नियम की प्रभावी तिथि के पूर्व के पदाधिकारियों के मामले में तिथि 1.4.82 से पास-बुक संधारित करना है और दूसरे कोटि के पदाधिकारियों के मामले में उस तिथि से प्रभावी होगा जिस तिथि से स्थापना वेतन विपत्र पर निकासी की प्रक्रिया लागू की जाती है।

2. नियम के उक्त स्पष्टीकरण के आलोक में 1820/- रु० तक के अधिकतम वेतनमान के पदाधिकारियों के मामले में तिथि 1.1.86 से अर्थात जनवरी, 1986 माह के वेतन से भविष्य निधि अंशदान की कटौती की प्रविष्टि भविष्य निधि पास-बुक में होना आरम्भ होना चाहिए। इसी तरह भविष्य में जिन पदाधिकारियों के मामले में जिस तिथि से स्थापना वेतन विपत्र पर वेतन की निकासी की प्रक्रिया लागू होगी उसी तिथि से पास-बुक पद्धति प्रभावी हो जाएगा।

3. अतएव अनुरोध है कि वैसे राजपत्रित पदाधिकारियों, जिनके वेतनमान की अधिकतम सीमा रु० 1820/- है और वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 5422/-वि०, दिनांक 29.8.85 के अनुसार जिनके वेतनादि का भुगतान स्थापना विपत्र पर किया जा रहा है, के मामलों में भी निश्चित रूप से तिथि 1.1.86 से ही चक की प्रक्रिया अपनाई जाए अर्थात पास-बुक की पहली प्रविष्टि जनवरी, 86 के मासिक वेतन े जाने वाली कटौतियों से आरम्भ की जाय। यह भी निदेश दिया जा रहा है कि भविष्य के रखा जाए कि जिस तिथि से जिन पदाधिकारियों के मामले में स्थापना वेतन विपत्र पर

वेतन निकासी की प्रक्रिया लागू की जाती है उसी तिथि से पास-बुक पद्धति द्वारा भविष्य निधि लेखा का संधारण होगा। [*वित्त विभाग ज्ञाप संख्या ए 10-39/89/851 वि० दिनांक 1.3.1990]

2

***विषय**–राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के भविष्य-निधि लेखा संधारण का कार्य महालेखाकार, बिहार से लेकर राज्य सरकार द्वारा संधारण।

राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार तिथि 1.4.86 से राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के भविष्य-निधि लेखा का संधारण कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। यह कार्य विकेन्द्रीकृत रूप से होगा। सभी जिला कोषागारों के साथ भविष्य-निधि कार्य के लिये एक शाखा होगी।

2. भविष्य-निधि कार्य के लिये आवश्यकतानुसार कार्मिकों के पदों का सृजन किया गया है तथा उक्त पदों को भरने के लिये अलग से कार्रवाई की जा रही है।

3. प्रत्येक जिला में भविष्य-निधि कार्य के लिये एक शाखा होगी जिसमें एक प्रधान सहायक और 9 लिपिक होंगे। जिला स्थित इस शाखा द्वारा जिलान्तर्गत कार्यरत अखिल भारतीय सेवाओं तथा राज्य सेवा के पदाधिकारियों को छोड़, अन्य सभी कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों की भविष्य-निधि लेखा संधारण कार्य किया जाएगा।

4. भविष्य-निधि लेखा संधारण सम्बन्धी स्कीम की एक प्रति संलग्न है। संक्षेप में निम्नांकित कार्यों को जिला स्थित भविष्य-निधि कोषांग द्वारा सम्पादित किया जायेगा :–

(i) जिलान्तर्गत कार्यरत अखिल भारतीय और राज्य सेवा के पदाधिकारियों को छोड़कर, सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के मार्च, 1986 से वेतन विपत्र के साथ संलग्न अनुसूची जिला भविष्य-निधि कोषांग को कोषागार द्वारा टी० भी० न० अंकित कर भेजा जायेगा। अखिल भारतीय एवं राज्य-सेवा के अधिकारियों के वेतन विपत्र के साथ संलग्न अनुसूची टी० भी० अंकित कर भविष्य-निधि निदेशालय को भेजा जायेगा।

(ii) भविष्य-निधि अनुसूची प्राप्त होने पर प्रत्येक अंशदाता के मासिक लेजर कार्ड में आवश्यक प्रविष्टि की जायगी जबतक भविष्य-निधि निदेशालय द्वारा नयी लेखा संख्या आवंटित नहीं हो जाती है तबतक पुरानी लेखा का संधारण किया जायगा।

(iii) जिला स्तर पर कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों की भविष्य-निधि लेखा का संधारण होना है उनका विभाग/ कार्यालय एवं पदनाम एवं पुरानी लेखा संख्या की सूची निदेशालय को नई लेखा संख्या आवंटन हेतु जिला भविष्य-निधि कोषांग द्वारा भेजा जायगा।

(iv) तिथि 1.4.86 से भविष्य-निधि अनुसूची के आधार पर तथा 1.4.81 से मार्च 1986 तक की अवधि का लेखा अराजपत्रित कर्मचारियों के मामले में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों और राजपत्रित पदाधिकारियों के मामले में कोषागार द्वारा अभिप्रमाणित विवरणी के आधार पर लेखा का संचार किया जाएगा।

5. तत्काल अग्रिम कार्रवाई के रूप में आपसे अनुरोध है कि उक्त कंडिका-3 में उल्लिखित इसके अनुसार कोषागार के समीप पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के बैठने का कृपया व्यवस्था की जाए। [*वित्त विभाग ज्ञाप संख्या ए 2-10-0/85-8315-वि० दिनांक 28.12.1985]

भविष्य निधि लेखा संधारण के सरलीकरण हेतु
गठित समिति का प्रतिवेदन

वित्त विभाग के संकल्प संख्या ए 3-1023/84-4017 दिनांक 31.5.84 के द्वारा सरकारी सेवकों को भविष्य-निधि लेखा प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष प्रशासनिक सुधार आयुक्त थे एवं निम्नलिखित सदस्य थे–

(i) अपर वित्तीय आयुक्त

(ii) अपर सचिव, गृह (आरक्षी) विभाग और

(iii) आन्तरिक वित्तीय सलाहकार (वित्त विभाग)।

2. उप सचिव-प्रभारी भविष्य-निधि, वित्त विभाग को समिति को सचिवीय सहायता प्रदान करनी थी।

3. समिति ने अबतक महालेखाकार (लेखा), राँची (श्री रंगनाधन), महालेखाकार, लेखा II, पटना (श्रीगुरु शुर्ति) वरीय उप-महालेखाकार श्री डी० पी० राव एवं विभिन्न संघों से विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया।

4. सभी सम्बद्ध हितों के साथ विचार विमर्श के पश्चात् समिति के निष्कर्ष व अनुशंसायें निम्न प्रकार हैं–

(i) दिनांक 1.4.86 से महालेखाकार, बिहार से सरकारी कर्मचारियों के भविष्य-निधि लेखा संधारण का कार्य राज्य सरकार द्वारा ले लिया जाए। राज्य के सभी जिला कोषागारों के समीप एक भविष्य-निधि कार्यालय रखा जाये जो भविष्य-निधि पदाधिकारी के नियन्त्रण में कार्य करें। इस कार्यालय का नाम जिला भविष्य-निधि कार्यालय रहे। कार्यालय पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के लिए मुख्यालय में एक निदेशक के अधीन निदेशालय हो, जिसका नाम भविष्य-निधि निदेशालय रखा जा सकता है।

(2) जिला भविष्य-निधि के कार्यालय के लिपिक एवं प्रधान लिपिक समाहरणालय के समकक्ष वेतनमान में होंगे। उनके नियुक्ति पदाधिकारी निदेशक, भविष्य-निधि रहेंगे। परन्तु जिला स्तर के कार्यालय पर समाहर्त्ता का सीधा नियंत्रण रहेगा। आरक्षी एवं वित्त विभाग के कार्यों के लिए लिपिकों और अनुमान्यतानुसार एक से अधिक प्रधान लिपिक उपलब्ध रहने पर एक प्रधान लिपिक को एयरमार्क किया जाएगा। समाहर्त्ता वर्ष में दो बार जिला स्तर के कार्यालय का निरीक्षण करेंगे तथा अपना प्रतिवेदन निदेशक, भविष्य-निधि एवं वित्त आयुक्त को देंगे। आवश्यकतानुसार समाहर्त्ता बीच में भी निरीक्षण कर सकते हैं। प्रमण्डलीय आयुक्त जिला भविष्य-निधि कार्यालय का निरीक्षण वर्ष में एक बार करेंगे। जिला भविष्य-निधि पदाधिकारी 1000-1820 रु० के वेतनमान में होंगे।

(3) भविष्य निधि निदेशालय के निदेशक के पद संयुक्त सचिव के स्तर का होगा। आरम्भ में महालेखाकार, बिहार के लेखा पदाधिकारी की सेवाएं परामर्शी के रूप में निदेशालय के संगठन के लिए प्राप्त की जा सकती है। निदेशक के अधीन एक उप निदेशक तीन सहायक निदेशक, दो शाखाएँ और जिला स्तर के भविष्य-निधि कार्यालय के समान एक कार्यालय भी रहेगा।

(4) जिला भविष्य-निधि के कार्यालय के लिए 1200 लेखा पर एक लिपिक का मापदण्ड रखा जा सकता है।

(5) निदेशालय से भविष्य-निधि लेखा संख्या आवंटित किया जायगा। इसके लिए प्रत्येक जिला के लिए अलग-अलग चिन्ह होंगे, जो तीन अक्षरों के होंगे। जैसे–पी०टी०एन० पटना के लिए एवं जी० टी० ई० ए० गया के लिए। जिलों के चिन्ह के बाद विभाग का चिन्ह होगा वह तीन अक्षरों का होगा : जैसे–एडीनएन शिक्षा विभाग के लिए एवं एजी० आर कृषि विभाग के लिए। इसके बाद क्रम संख्या रहेगा। परन्तु राज्य स्तरीय संवर्ग के अंशदाताओं के लिए पूरे राज्य के लिए केवल विभाग का चिन्ह रहेगा। प्रत्येक जिला के लिए अलग-अलग लेखा आवंटित न कर के उन्हें विभाग के चिन्ह के बाद क्रम संख्या आवंटित कर दिया जायगा।

(6) 31.5.81 तक के जमा राशि, सूद सहित गणना कर प्रत्येक अंशदाता के लेखा में जमा राशि की सूचना महालेखाकार, भविष्य-निधि निदेशालय को देंगे, जिसमें सरकारी सेवकों का पूरा नाम, वर्त्तमान पता, लेखा संख्या एवं जमा राशि का उल्लेख रहेगा। इसी के आधार पर भविष्य-निधि निदेशालय जिलावार, सूची, दो प्रतियों में तैयार कर एक प्रति सम्बन्धित जिला को भेज देगा तथा दूसरी प्रति अपने कार्यालय में स्थायी अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखेगा। दिनांक 31.3.81 तक इनवायस क्लेयरींग क्रेडिट अथवा अन्य कारणों से अंशदाताओं के भविष्य-निधि लेखा की त्रुटियों का सुधार करने का दायित्व

महालेखाकार का होगा। वित्तीयवर्ष 1981-82, 82-83, 83-84, 84-85 एवं 85-86 के लेखा भविष्य-निधि कार्यालय द्वारा अराजपत्रित कर्मचारियों के मामले में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के सत्यापित विवरणी एवं राजपत्रित पदाधिकारियों के मामले में कोषागार पदाधिकारी द्वारा सत्यापित विवरणी के आधार पर संकलित किया जायगा तथा जमा राशि पर सूद की गणना भी की जायगी।

(7) महालेखाकार के कार्यालय से वर्ष 1980-81 तक का लेखा अनेक अंशदाताओं को अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। समिति का यह सुझाव है कि अंशदाताओं को महालेखाकार से प्राप्त अन्तिम लेखा तथा उसके बाद के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अराजपत्रित कर्मचारियों के मामले में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सत्यापित निकासी एवं जमा की विवरणी के आधार पर ब्राड सीट एवं लेजर में प्रविष्टि की जाय एवं राजपत्रित पदाधिकारियों के मामले में कोषागार द्वारा सत्यापित निकासी एवं जमा की विवरणी के आधार पर ब्राड सीट एवं लेजर में प्रविष्ट की जाय। जब तक महालेखाकार से 1984-85 का लेखा प्राप्त नही हो जाता है, तब तक भविष्य-निधि कार्यालय द्वारा उक्त प्रविष्टियों के आधार पर औपबंधिक लेखा प्रत्येक वित्तीय वर्ष का निर्गत किया जाय। महालेखाकार से 31.3.81 तक का लेखा प्राप्त हो जाने पर भविष्य-निधि कार्यालय द्वारा लेखा को अन्तिम रूप दिया जायेगा।

(8) मार्च 1986 और उसके बाद के वेतन के साथ संलग्न भविष्य-निधि अनुसूची महालेखाकार को न भेजकर कोषागार पदाधिकारी, भविष्य-निधि कोषागार को भेजेंगे। अनूसूची प्राप्त होने पर जिला भविष्य-निधि कोषांग सर्वप्रथम लेखा संख्या, अंशदाता का नाम एवं पदनाम की सूची निदेशालय को भेजेंगे, जिसके आधार पर निदेशालय नया लेखा संख्या आवंटित कर जिला भविष्य-निधि कार्यालय को भेज देंगे। नये भविष्य-निधि लेखा संख्या की सूचना जिला भविष्य-निधि कोषांग द्वारा सम्बन्धित कार्यालय के कार्यालय प्रधान को भेज दिया जायेगा। महालेखाकार से 31.3.88 तक का लेखा, जब तक प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुसूची में पुराने लेखा संख्या एवं नया लेखा संख्या दोनों का ही उल्लेख करेंगे। इसके लिए निदेशालय एवं जिला कार्यालय में एक पंजी रखी जायगी। जिससे पुरानी लेखा संख्या, अंशदाता का नाम, पदनाम, कार्यालय का नाम एवं नया लेखा संख्या अंकित किया जायेगा। 31.3.81 तक का लेखा महालेखाकार से प्राप्त हो जाने पर अनुसूची में केवल नये लेखा संख्या दी जायगी।

(9) कोषागार से प्राप्त अनुसूची के आधार पर भविष्य-निधि कोषांग ब्राड-शीट एवं लेजर कार्ड प्रविष्टि करेगा। ब्राड शीट एवं लेजर कार्ड के प्रपत्र महालेखाकार के कार्यालय द्वारा व्यवहृत प्रपत्र के समरूप होंगे।

(10) भविष्य-निधि अग्रिम विपत्र के साथ भी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एक अनुसूची संलग्न करेंगे, जिसे कोषागार पदाधिकारी, विपत्र से अलग कर उस पर टी० भी० नम्बर भरकर एवं उसे सत्यापित कर भविष्य-निधि कोषांग को भेज देंगे। भविष्य-निधि द्वारा सम्बन्धित अंशदाताओं के लेजर कार्ड एवं ब्राड शीट में इसी अनुसूची के अनुसार निकासी के सम्बन्ध में प्रविष्टियाँ की जायेगी। अनुसूची का समुचित प्रपत्र निदेशालय द्वारा बना लिया जाय।

(11) प्रत्येक माह में कोषागार पदाधिकारी भुगतान अनुसूची तैयार कर लेने के बाद निधि अनुसूची वेतन विपत्र से हटा लेंगे तथा उस पर टी० भी० नम्बर अंकित कर एवं उसे सत्यापित कर भविष्य-निधि कोषांग को भेज देंगे। यदि किसी कारणवश किसी कार्यालय की अनुसूची जिला भविष्य-निधि कोषांग में प्राप्त नहीं हो सके तो भविष्य-निधि पदाधिकारी, कोषागार से सम्पर्क स्थापित कर अनुसूची तुरत प्राप्त कर लेंगे।

(12) सामान्य भविष्य-निधि में नया लेखा संख्या आवंटित करने, अंशदान जमा करने, मनोनयन निधि से अग्रिम की स्वीकृति एवं अन्तिम निकासी के लिए बिहार सामान्य भविष्य-निधि नियमावली एवं कोषागार संहिता के नियम लागू होंगे एवं उनमें विहित प्रपत्र व्यवहार में लाये जायेंगे। परन्तु जिला संवर्गों से सम्बन्धित पदाधिकारियों के सम्बन्ध में निधि से अन्तिम निकासी के लिए भविष्य-निधि पदाधिकारी, जिला भविष्य-निधि कार्यालय द्वारा प्राधिकार पत्र निर्गत किया जायेगा और शेष के लिए निदेशालय द्वारा।

(13) किसी अंशदाता को अन्तिम निकासी प्राधिकृत करते समय बन्द लेखा पंजी एवं अन्तिम निकासी पंजी में प्रविष्टि कर दी जायेगी। बन्द लेखा पंजी एवं अन्तिम निकासी पंजी के प्रपत्र महालेखाकार के कार्यालय के प्रपत्र के समान रह सकते हैं।

(14) यदि किसी कारणवश कोई मद लेजर कार्ड में दर्ज नहीं किया गया तो उसे न दर्ज किये गये मदों का रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। रजिस्टर का प्रपत्र महालेखाकार कार्यालय के प्रपत्र के आधार पर निदेशालय द्वारा बन सकता है।

(15) वित्त विभाग द्वारा निर्धारित पास बुक की प्रचलित पद्धति लागू रहेगी, जो अंशदाता के जमा एवं निकासी का अतिरिक्त अभिलेख होगा।

(16) यदि किसी कारणवश किसी का स्थानान्तरण उसी विभाग में जिस विभाग में वह पदस्थापित है जिले के अन्तर्गत ही हो जाये, तो निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अन्तिम वेतन विपत्र की एक प्रति जिला भविष्य-निधि पदाधिकारी को भी देंगे, जिससे जिला भविष्य-निधि पदाधिकारी को अंशदाता के स्थानान्तरण की प्रमाणिक जानकारी प्राप्त हो जाय। यदि अंशदाता का स्थानान्तरण एक जिले से दूसरे जिले में हो जाय परन्तु विभाग का परिवर्त्तन न हो तो निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र की एक-एक प्रति दोनों जिलों के जिला भविष्य-निधि पदाधिकारी अंशदाता के लेखा संख्या एवं पिछले वित्तीय वर्ष तक जमा राशि की सूचना एवं चालू वित्तीय वर्ष में मासिक जमा एवं निकासी की मासिक विवरणी नये जिला भविष्य-निधि पदाधिकारी को देंगे।

(17) यदि किसी अंशदाता का स्थानान्तरण उसी जिले में हो जहाँ वे पहले से पदस्थापित थे परन्तु विभाग का परिवर्त्तन हो और यदि परिवर्त्तन अस्थायी हो तो पुराने भविष्य-निधिलेखा संख्या में ही उनके भविष्य-निधि का लेखा संख्या चलता रहेगा। परन्तु यदि विभाग का परिवर्त्तन स्थायी हो तो पुराने भविष्य-निधि लेखा को बन्द कर दिया जायगा एवं नये विभाग में लेखा संख्या आवंटित कर पुराने लेखा का अवशेष नये लेखा में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा और नये लेखा में भविष्य-निधि का लेखा सत्यापित होगा।

(18) यदि किसी अंशदाता का स्थानान्तरण एक जिले से दूसरे जिले में हो जाय और साथ-साथ विभाग का भी परिवर्त्तन हो तो जिस जिले में वे पहले पदस्थापित थे वहाँ का लेखा बन्द कर दिया जायगा एवं लेखा के जमा राशि की सूचना नये जिले को दी जायगी। नये जिला में नये विभाग के अनुसार लेखा संख्या आवंटित कर उसमें पहले से जमा राशि हस्तान्तरित कर दी जायगी और नये लेखा में भविष्य-निधि का लेखा संधारित होगा।

(19) राज्य स्तर के संवर्ग के अंशदाता के लेखा संख्या में स्थानान्तरण के कारण परिवर्त्तन नहीं होगा।

(20) किसी अंशदाता का स्थानान्तरण एक जिला से दूसरे जिला में हो जाने पर लेखा के स्थानान्तरण के साथ मनोनयन पत्र भी नये जिला में भेज दिया जायगा।

(21) यदि किसी अंशदाता की प्रतिनियुक्ति वाह्य सेवा में अथवा केन्द्र सरकार में हो जाये तो वैसे अंशदाता का लेखा निदेशालय में हस्ताक्षरित कर दिया जायगा। वाह्य सेवा अथवा केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्त अंशदाता के भविष्य-निधि का लेखा संधारण निदेशालय स्तर पर होगा जिसके लिए निदेशालय के साथ भी एक भविष्य-निधि कार्यालय संलग्न रहेगा।

(22) लेखा में आकलन एवं विकलन का दूसरे आडिट सर्किल में प्रवण बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से होगा।

(23) महालेखाकार के कार्यालय में ऐसे इन्शोरेन्स पालिशी सुरक्षित है, जो भविष्य-निधि द्वारा पोषित है। भविष्य-निधि निदेशालय महालेखाकार से ऐसे सभी इन्शोरेन्स पालिशी प्राप्त कर लेंगे और सम्बन्धित जिला भविष्य-निधि कोषांग को भेज देंगे।

(24) दिनांक 1.4.86 से आरक्षियों का भविष्य-निधि, जो अभी वित्त विभाग में संधारित हो रहा है, उसे भी जिला स्तर पर भविष्य-निधि कार्यालय में संधारित किया जाय।

(25) सरकारीकृत विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के भविष्य-निधि लेखा संख्या का जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा संधारित किये जाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में कदाचित यह काम अब तक वास्तविक रूप से प्रारम्भ नहीं किया जा सकता है। जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने वर्त्तमान कार्यभार के आलोक में भविष्य-निधि लेखा संधारण के कार्य को शायद ही देख पायेंगे। पुनः जब सरकारी सेवकों के भविष्य-निधि लेखा संधारण की व्यवस्था जिला स्तर पर ही की जा रही है, तब शिक्षक वर्ग के भविष्य-निधि का लेखा अलग से रखने की व्यवस्था आवश्यक नहीं रह जायेगी। अतः दिनांक 1.4.86 से ही सरकारी-कृत विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखा संधारण का कार्य भी जिला भविष्य-निधि कार्यालय में किया जाय।

(26) भविष्य-निधि में वार्षिक आकलन एवं विकलन का सत्यापन भविष्य-निधि कार्यालय द्वारा जिला कोषागार में कर लिया जाय। इसके लिये कोषागार द्वारा तैयार किये गये मासिक लेखा के प्रपत्रक में संशोधन की आवश्यकता है। विकलन के आंकड़े जिला कोषागार में उपलब्ध रहते हैं, क्योंकि 805 भविष्य-निधि के लिए एक भुगतान अनुसूची कोषागार द्वारा तैयार की जाती है। आकलन के आंकड़े कोषागार में ही तैयार हो इसके लिए भुगतान अनुसूची एवं लिस्ट ऑफ पेमेन्ट में एक कालम टोटल रीकभरी ऑफ प्रोभिडेन्ट फन्ड जोड़ दिया जाय। जिला भविष्य-निधि कार्यालय द्वारा आकलन एवं विकलन का सत्यापन जिला कोषागार के आंकड़े से कर लिया जाय।

(27) भविष्य-निधि लेखा संधारण का कार्य नया कार्य होगा। इसके लिये राज्य सरकार के पास प्रशिक्षित कर्मचारियों का सर्वथा अभाव है। इसलिए जिला भविष्य-निधि कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। महालेखाकार अपने कार्यालय से प्रशिक्षित पदाधिकारी को उचित शर्त पर राज्य सरकार को उपलब्ध करा सकते हैं।

(28) कोषागार का मासिक लेखा समय पर तैयार कराने की व्यवस्था करने की भी आवश्यकता है। कोषागार का लेखा विलम्ब से तैयार कर चेक होने से भविष्य निधि कार्यालय को भविष्य-निधि अनुसूची मिलने में विलम्ब होगा जिससे भविष्य-निधि लेखा संधारण कार्य में भी विलम्ब होगा।

(29) भविष्य-निधि लेखा संधारण सम्बन्धी नियमों को भविष्य-निधि हस्तक के रूप में संकलित कर देने से सरकारी सेवकों को नियमों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा होगी।

(30) विभिन्न अंशदाताओं के लेखा से प्रत्येक वर्ष में जमा की गयी सूद की राशि को निकासी भविष्य-निधि पदाधिकारी द्वारा "249–Interest" मद से की जायगी। अंशदाताओं के लेखा में जमा राशि घटाकर शून्य विपत्र कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। कोषागार पदाधिकारी "249–Interest" शीर्ष में विकलित कर "805–भविष्य निधि" शीर्ष में आकलित कर देंगे।

(31) अगर कोई ऐसा जिला संवर्ग हो जिसकी अन्तर्जिला स्थानान्तरण बहुधा होते हैं और अधिक संख्या में अन्य पद्धति अपनाई जाए जिससे जिलावर लेखा संख्या के आवंटन के कारण लेखा संधारण में कठिनाई एवं विसंगतियाँ उत्पन्न नहीं हो। इसके लिए लगातार भविष्य-निधि लेखा संख्या आवंटित किया जाना चाहिए।

(32) भविष्य-निधि सरलीकरण योजना की सफलता तब होगी, जब सरकारी कर्मचारी को लेखा-जोखा नियमित रूप से समय पर मिल रहा हो। अग्रिम लेते समय लेखा के अभाव में कोई कठिनाइयाँ उन्हें महसूस न करनी पड़े और भविष्य-निधि से आखिरी निकासी में कोई दिक्कत न हो इसलिये हमलोग जो भी योजना बनावें उसका यह उद्देश्य होना चाहिए कि समय पर सूद के साथ कर्मचारियों को अपने भविष्य-निधि का लेखा मिले और अग्रिम तथा अन्तिम निकासी में उन्हें दिक्कत नहीं हो। सरकारी कर्मचारियों की भारी संख्या को देखते हुए यह महसूस किया जा रहा है कि लेखा-जोखा रखने में data processing एवं कम्प्यूटर की मदद लेना श्रेयस्कर होगा। एक कम्प्यूटर कम्पनी हिन्दुस्तान कम्प्यूटर्स के नमूना योजना के लिये था। उससे मालूम हुआ कि हर जिला कार्यालय में data entry मशीन

रखी जाय और data को discs में टंकित कर उन discs को सेन्ट्रल यूनिट में भेज कर लेखा-जोखा को पूरा तैयार किया जा सकता है। राज्य में शायद कम्प्यूटर लगाने की योजना भी विचाराधीन है। इसलिये यह discs process method की भविष्य-निधि लेखा संधारण के अपनाने के लिये भारत सरकार के इलेक्ट्रोनिक कारपोरेशन से राय लेकर मशीन खरीदने की योजना बनानी चाहिए।

(33) उपर्युक्त प्रक्रिया को कार्यान्वित करने के लिए महालेखाकार, पटना एवं महालेखाकार, राँची द्वारा Controller & Auditor General की सहमति की भी आवश्यकता होगी एवं विधिवत् आदेश प्रेषित करना होगा। इस दिशा में अग्रेत्तर कार्रवाई वित्त विभाग द्वारा की जाय।

3

*विषय–राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के कार्मिकों की सामान्य भविष्य निधि की राशि का गैर-सरकारी पास-बुक से राजकोष में स्थानान्तरण।

शिक्षा विभाग के पत्र संख्या-740, दिनांक 19 जुलाई, 1984 से सम्बन्धित नियमावली के अनुसार राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के कार्मिकों के सामान्य भविष्य निधि की जो राशि गैर-राजकीय पास बुक में जाता है, उसे निम्न पद्धति से ट्रेजरी चालान द्वारा कोषागार में जमा करनी है–

(क) नियोजक अंशदान की राशि सूद समेत लेखा शीर्ष–"077 शिक्षा-माध्यमिक शिक्षा–अन्य प्राप्तियाँ" में जमा करनी है।

(ख) कार्मिकों की अंशदान की कुल राशि सूद सहित लेखा शीर्ष–"805 राज्य भविष्य निधियाँ–सिविल सामान्य भविष्य निधि शिक्षा अन्य (प्राप्तियाँ)" में जमा करनी है। पर अभी ऐसा नहीं किया जा सका है जिससे राज्य सरकार की अर्थोपाय स्थिति पर बुरा असर पड़ रहा है।

2. अत: यह निर्णय लिया गया है कि–

(क) उक्त कार्य अक्टूबर, 1985 तक अवश्य पूरा कर लिया जाय।

(ख) इसकी प्रविष्टि सम्बन्धित कार्मिकों के राजकीय सामान्य भविष्य-निधि पास-बुक में निम्न ढंग से कर दी जाय–

(i) नियोजक अंशदान जमा करने संबंधी प्रविष्टि अभ्युक्ति स्तम्भ में की जाय।

(ii) कार्मिक अंशदान जमा करने संबंधी प्रविष्टि उसके लिए पास-बुक में निर्धारित स्तम्भों में की जाए।

2. कोषागार पदाधिकारियों को आदेश दिया जा रहा है कि वे जिला शिक्षा पदाधिकारियों का नवम्बर, 1985 और उसके बाद अपना वेतन-विपत्र तभी पारित करेंगे जब उनके नियंत्रण-पदाधिकारी निम्न प्रमाण-पत्र दें।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ... ... (पदाधिकारी का नाम) ... ... (पदस्थापन-स्थान का नाम) के अधिकार-क्षेत्र में स्थित गैर-सरकारी पास-बुक में जमा थी, उसे सूद सहित राजकोष में स्थानान्तरित कर दी गई और कार्मिकों के राजकीय भविष्य निधि पास-बुक में आवश्यक प्रविष्टि कर दी गई है।"

3. इस पत्र की प्रतिलिपि जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी दी जा रही है। **[*F.D. Memo No. एम 4-15/85/5381 वि॰ dated 26.8.85]**

4

*विषय–राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के भविष्य निधि लेखा का संधारण तिथि 1.4.86 से

द्वारा करने का निर्णय है। अत: तिथि 1.4.86 तथा उसके बाद की तिथियों को सेवा-निवृत्त होने वाले पदाधिकारियों के भविष्य निधि से अंतिम भुगतान का उत्तरदायित्व राज्य सरकार पर होगा। कार्य के हस्तांतरण में एवं भविष्य निधि का पूर्ण रूप से कार्यरत होने में कुछ समय लगेगा ही। अत: सेवा-निवृत्ति के पश्चात् भविष्य निधि से अंतिम भुगतान प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं हो, इसके लिए अग्रिम कार्यवाई के रूप में अगले दो वर्षों (1987 के अंत तक) में जो सरकारी सेवक सेवा निवृत्त होने वाले हों, उनके सम्बंध में निम्नांकित सूचनाएँ (दो प्रतियों में) आवश्यक है–

लेखा संख्या ... ... पदाधिकारी/कर्मचारी का नाम ... ... विभाग ... ...सेवा-निवृत्ति की तिथि एवं पदनाम

2. उक्त सूचनाएँ सेवा-निवृत्ति की तिथि के क्रम में होना चाहिए, अर्थात् जो पहले सेवा-निवृत्त होंगे उनका नाम पहले होगा और इसी क्रम में सूची तैयार की जाएगी।

3. अतएव अनुरोध है कि आप अपने अधीनस्थ विभाग/कार्यालय में कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के संबंध में वांछित सूचनाएं एकत्र करें एवं उसे संकलित कर निदेशक भविष्य निधि कार्यालय, वित्त-विभाग को शीघ्रताशीघ्र भेजने की व्यवस्था की जाए। **[*F.D. Memo No. 8362 वि॰ (2) dated 31.12.85]**

5

*विषय–राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के भविष्य-निधि लेखा संधारण कार्य दिनांक 1.4.86 से महालेखाकार, बिहार से लेकर राज्य सरकार द्वारा किये जाने के क्रम में राजकीय एवं राजकीयकृत विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखों का संधारण कार्य उनके पदस्थापन के जिलों में स्थापित जिला भविष्य-निधि कोषांगों को सौंपने के संबंध में।

उपयुक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए निदेशानुसार कहना है कि दिनांक 1.4.86 से राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के भविष्य-निधि संधारण कार्य को महालेखाकार बिहार से लेकर राज्य सरकार द्वारा ही विकेंद्रित रूप से सम्पन्न किया जा रहा है।

इस प्रक्रिया के अनुसार उन सभी कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का लेखा-संधारण कार्य आवश्यकतानुसार वित्त विभाग के अंतर्गत स्थापित भविष्य-निधि निदेशालय अथवा जिलों में स्थापित "जिला भविष्य निधि कोषांगों" द्वारा किया जा रहा है, जिनका लेखा कार्य दिनांक 1.4.1986 से पहले महालेखाकार, बिहार के द्वारा संधारित होते रहे हैं। इसकी विस्तृत सूचना वित्त विभाग भविष्य-निधि निदेशालय के पत्र ... ... द्वारा पृथकरूप में दी जा चुकी है।

यहाँ विशेष रूप से शिक्षा विभाग के राजकीय विद्यालयों में कार्यरत वैसे शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के भविष्य-निधि लेखा के संधारण-कार्य का उल्लेख करना है, जिनके लेखा वर्ष 1973 से ही शिक्षा विभाग के अंतर्गत विकेन्द्रित रूप से किए जा रहे हैं। उक्त निर्णयानुसार अब इनके लेखा संधारण का कार्य भी जिला भविष्य-निधि कोषांग द्वारा ही सम्पन्न होंगे। इस हेतु शिक्षा विभाग द्वारा संधारित हो रहे इन लेखों को भी दिनांक 31.3.1986 तक अद्यतन करने के पश्चात् शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के पदस्थापन के जिलों में अवस्थित भविष्य-निधि कोषांग को सौंप देने की आवश्यकता है।

अतएव, शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के लेखों को अद्यतन करते समय पूरी सावधानी एवं सतर्कता बरती जानी चाहिए, जिससे इनके भविष्य-निधि लेखों में प्रत्येक माह की जमा अथवा कटौतियों की राशियों की आवश्यक प्रविष्टियाँ उनके लेखों-विशेष में नियमित रूप से दर्ज हो जाए और तदुपरांत आवश्यकतानुसार उनके 31.3.1986 के अवशेष पर विहित नियमों के आधार पर सूद की गणना कर अंतिम अवशेष सुनिश्चित किया जाए। लेखा-हस्तांतरण निमित्त विहित प्रपत्र में आवश्यक विवरण तैयार करते समय इस बात कैसे पूरी तरह संतुष्ट हो लेना आवश्यक है कि अंशदाता एवं विद्यालय द्वारा प्रदत्त अंशदानों की राशियों पर सूद की गणना पृथक-पृथक कर ली गई है और विद्यालय अंशदान को चालान द्वारा कोषागार में जमा कर दिया गया है।

ऊपर वर्णित स्थिति में यह आग्रह है कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को कृपया यथोचित

निदेश दिए जाएँ, ताकि वे उक्त अपेक्षाओं और औपचारिकताओं के परिप्रेक्ष्य में शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के दिनांक 31.3.1986 के अन्तिम अवशेष की सूद सहित गणना कर विहित प्रपत्र में विवरण तैयार करें और उनके पदस्थापन/हस्तांतरण की सूचना निदेशालय, वित्त विभाग को भी कृपया दें। किन्तु 1.4.1986 या उसके बाद जो शिक्षक या शिक्षकेत्तर कर्मचारी सेवा-निवृत्त होंगे होने वाले शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के अन्तिम भुगतान के मामले को संबंधित जिला भविष्य-निधि पदाधिकारी को भेजते हुए उसकी सूचना भविष्य-निधि निदेशालय को भी दी जाए। कृपया इस संबंध में अपने अधीनस्थ सभी शिक्षा पदाधिकारियों को आवश्यक निदेश अविलम्ब देने की कृपा की जाए। फिर भी इसकी प्रतिलिपि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भी आवश्यक कार्रवाई हेतु दी जा रही है। [*वित्त विभाग ज्ञाप संख्या भ० नि० (3) 100 वि० दिनांक 2.9.1986]

6

*विषय–राज्य के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के भविष्य-निधि में जमा करने के लिए उनके विपत्र से की गई कटौतियों तथा उनके द्वारा लिए गए अग्रिम संबंधी वित्तीय वर्ष 1982-83 से सत्यापित विवरणी निर्गत करने के संबंध में।

उपयुक्त विषयक वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या–3510/ वि० (2), दिनांक 5.5.86 के संदर्भ में यह सूचित करना है कि राज्य सरकार ने महालेखाकार से भविष्य-निधि लेखा संधारण कार्य दिनांक 1.4.86 से ही ले लिया है, परन्तु महालेखाकार, बिहार द्वारा राज्य के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के भविष्य-निधि लेखा संबंधी विवरणी 1981-82 वित्तीय वर्ष तक ही दी जा रही है। इस स्थिति में राज्य सरकार को ही अपने कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के भविष्य-निधि लेखा को वित्तीय वर्ष 1981-82 से 85-86 तक अद्यतन करने का कार्य सम्पादित करना है। इसी संदर्भ में उक्त विभागीय पत्र द्वारा आप से अनुरोध किया गया है कि उन कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों, जो सीधे वेतन-विपत्र कोषागार में भेज कर वेतन की निकासी करते हैं, को उनके वेतन से भविष्य-निधि लेखा में जमा करने के लिए की गई कटौतियाँ तथा उससे लिए गए अग्रिम संबंधी प्रमाण-पत्र कोषागार में संधारित अभिलेखों के आधार पर निर्गत करें। कोषागार पदाधिकारियों को प्रमाण-पत्र देने के पूर्व संबंधित पदाधिकारियों के भविष्य-निधि लेखा में जमा करने के लिए उनके विपत्र से की गई कटौतियाँ तथा भविष्य-निधि लेखा से लिए गए अग्रिम की राशि का भली-भाँति सत्यापन कर लेना आवश्यक है। कुछ मामलों में यह देखा गया है कि कोषागार पदाधिकारियों द्वारा भविष्य-निधि लेखा से लिए गए अग्रिम का ब्यौरा सही रूप में सत्यापित नहीं किया गया है। ऐसे कोषागार पदाधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि लेखा का सही सत्यापन-प्रतिवेदन नहीं रहने से लेखा संधारण की शुद्धता में कठिनाई के साथ-साथ राज्य सरकार को वित्तीय क्षति भी उठानी पड़ेगी।

सभी सरकारी पदाधिकारियों के मामले में भविष्य-निधि से की गई निकासी की रकम को संबंधित पंजी में लाल स्याही से अंकित करने की व्यवस्था की जाए ताकि सत्यापन विवरणी भेजने के समय निकासी की गई रकम छूट न जाए और सभी मामलों में यह निश्चित रूप से अंकित रहे।

इसके साथ-साथ यह भी अनुरोध है कि आप अपने हस्ताक्षर के नमूने सभी जिला भविष्य-निधि पदाधिकारियों एवं निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, वित्त विभाग को निर्वंधित डाक/विशेष दूत-पंजी से भेजने की व्यवस्था करें ताकि उनके द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण-पत्र की शुद्धता की जाँच भविष्य-निधि निदेशालय अथवा जिला भविष्य-निधि पदाधिकारी द्वारा की जा सके।

अंत में आपसे अनुरोध है कि आप अपने कोषागार से उन तमाम पदाधिकारियों के संबंध में 1982-83 से 1985-86 तक के उनके भविष्य-निधि लेखा में जमा की गई राशि तथा उससे निकासी की गई राशि, संबंधी वार्षिक विवरणी संधारित अभिलेखों के जाँचोपरान्त निर्वंधित डाक/विशेष दूत पंजी से संबंधित जिला भविष्य-निधि निदेशालय को भेजने की व्यवस्था करें, क्योंकि इन 4 वर्षों का भविष्य-निधि का हिसाब आप ही के द्वारा निर्गत किए गए प्रमाण-पत्र के आधार पर संधारित किया जाएगा। इस विवरणी में किसी तरह की त्रुटि पाये जाने पर प्रमाण पत्र देने वाले कोषागार पदाधिकारी पूर्णरूपेण जवाबदेह ठहराये जायेंगे। चूंकि इस कार्य में काफी विलम्ब हो चुका है, और आगे विलम्ब न हो, इसलिए इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर सम्पादित करने की व्यवस्था की जाए। [*वित्त विभाग ज्ञाप संख्या भ० नि० (3)-93 वि० दिनांक 1.9.86]

7

*विषय–जिला भविष्य-निधि कार्यालयों द्वारा भविष्य-निधि लेखा संख्या आवंटित करने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार मुझे कहना है कि निदेशालय के परिपत्र संख्या-4551, दिनांक 21.9.87 के अनुसार 1,000-1,800 रुपये से कम वेतनमान के राजपत्रित पदाधिकारियों एवं जिला स्थित कर्मचारियों का भविष्य-निधि लेखा संख्या का आवंटन संबंधित जिला भविष्य-निधि कार्यालयों द्वारा ही किया जाना है। जिला कार्यालयों द्वारा भविष्य-निधि लेखा संख्या आवंटन करने के सम्बन्ध में जो जिला कोड तथा विभाग/ कार्यालय कोड अपनाया जायेगा, इस सम्बन्ध में निदेशालय के परिपत्र संख्या 18 (भ० नि०) दिनांक 1.8.85 द्वारा प्रेषित "अनुदेश एवं निदेशालय के परिपत्र संख्या 201 भ० नि० दिनांक 17.9.86 में आवश्यक निदेश दिए गए हैं।" इधर कुछ जिला कार्यालयों द्वारा यह बतलाया गया है कि निदेशालय में उपयुक्त परिपत्रों में विभागों/कार्यालयों के कोड निर्धारित नहीं किए गये हैं, निदेशालय द्वारा इसकी समीक्षा कर उन विभागों/ कार्यालयों, जिनका कोड निर्धारित नहीं हुआ था, का कोड निर्धारित कर दिया है और पुनः उनकी एक समेकित सूची इसके साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

2. वाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्त कार्मिकों का लेखा-संधारण निदेशालय द्वारा किया जाता है। अतएव, यह निर्णय लिया गया है कि उनका लेखा संख्या आवंटन भी केन्द्रित रूप से निदेशालय द्वारा ही किया जायेगा। लेखा संधारण सम्बन्धी उल्लिखित अनुदेश में यह बतलाया गया है कि वाह्य सेवा के कार्मिकों का जिला कोड पी० टी० एस० होगा। परन्तु यह भी स्मरणीय है कि सचिवालय भविष्य-निधि कार्यालय का भी जिला कोड पी० टी० एस० ही है। अतएव, दोनों में अन्तर बनाये रखने हेतु यह निर्णय लिया जाता है कि वाह्य सेवा के कार्मिकों के जिला कोड पी० टी० एस० के बाद कोष्ठ में एफ० एस० (F.S.) भी जुटा रहेगा और इसके बाद ही विभाग के कोड और संख्या होंगे। वाह्य सेवा के कार्मिक अपने पदस्थापन के जिलों के जिला भविष्य-निधि पदाधिकारी से अग्रसारित कराकर अपना प्रपत्र (चार प्रतियों में) प्रस्तुत करेंगे। वाह्य सेवा के कार्मिक के लिए विहित प्रपत्र का नमूना संलग्न किया जा रहा है। 1,000-1,820 अथवा इससे अधिक के वेतनमान वाले पदाधिकारी का भविष्य-निधि लेखा संख्या का आवंटन निदेशालय से ही होता है और उसका राज्य कोड बी० एल० आर० रहता है। अतः ऐसे पदाधिकारी वाह्य सेवा में भी होंगे, तो उनके लेखा संख्या का आवंटन उसी प्रकार निदेशालय द्वारा होगा, जिस प्रकार वाह्य सेवा में भी होंगे, तो उनके लेखा संख्या का आवंटन उसी प्रकार निदेशालय द्वारा होगा, जिस प्रकार वाह्य सेवा में नहीं रहने पर उन्हें होता।

3. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–4969 भ० नि० (3) दिनांक 20.9.87 द्वारा यह निर्णय लिया जा चुका है कि आरक्षियों एवं हवलदारों के भविष्य-निधि लेखा का संधारण पूर्ववत वित्त विभाग के आरक्षी भविष्य-निधि शाखा द्वारा तिथि 28.2.89 तक संधारण किया जाता रहेगा। उपर्युक्त सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ज्योंहि आरक्षी/हवलदार की प्रोन्नति जमादार/ सहायक आरक्षी अवर निरीक्षक के पद पर होती है उस समय से उनके भविष्य-निधि लेखा-संधारण सम्बन्धित जिला भविष्य-निधि कार्यालयों द्वारा ही किया जाएगा। अतएव उक्त प्रोन्नति के बाद सम्बन्धित जिला भविष्य निधि कार्यालय उन्हें नये लेखा संख्या का आवंटन भी करेंगे। [*वित्त विभाग ज्ञाप संख्या भ० नि० (3) 503 दिनांक 21.11.1988]

8

*विषय–सामान्य भविष्य-निधि के अस्थायी/अप्रत्यपर्णीय अग्रिम की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के सामान्य भविष्य-निधि से किसी प्रकार के अग्रिम

की स्वीकृति की सूचना संबंधित जिला भविष्य-निधि पदाधिकारियों को सीधे भेजी जाए ताकि उन्हें भविष्य-निधि लेखा-संधारण कार्य में सुविध हो। राज्य सरकार के जिन पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लेखा-संधारण के कार्य भविष्य-निधि निदेशालय, वित्त विभाग द्वारा किया जाता है, उन पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के सामान्य भविष्य-निधि से किसी प्रकार की अग्रिम स्वीकृति की सूचना सीधे भविष्य-निधि निदेशालय, वित्त विभाग में भेजी जाए।

बाह्य सेवा के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों, नई दिल्ली स्थित बिहार भवन के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों, एवं वाणिज्य कर विभाग के कलकत्ता स्थित कार्यालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लेखा-संधारण का कार्य भविष्य-निधि निदेशालय, वित्त विभाग द्वारा सम्पादित किया जाता है। इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों (यानि आई० ए० एस०, आई० पी० एस० तथा आई० एफ० एस०, भारतीय वन सेवा), बिहार लोक सेवा आयोग एवं उच्च न्यायालय के न्यायमूर्त्तियों के लेखा-संधारण के कार्य भी भविष्य-निधि निदेशालय द्वारा सम्पादित किए जाते हैं। सरकार के अन्य पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लेखा-संधारण के कार्य उनके पदस्थापन के जिले के भविष्य-निधि पदाधिकारियों के कार्यालय में सम्पादित किए जा रहे हैं।

अतः अनुरोध है कि सामान्य भविष्य निधि अग्रिम की स्वीकृति की सूचना तदनुसार भविष्य-निधि निदेशालय, वित्त विभाग एवं संबंधित जिला भविष्य-निधि पदाधिकारियों को सीधे भेजी जाने वाली सूचना की एक प्रति भविष्य-निधि निदेशालय को भी सूचनार्थ भेजी जाए। [*वित्त विभाग ज्ञाप सं० 10 (भ० नि०) (3) वि दिनांक 7.8.1988]

परिशिष्ट-1

बिहार वित्तीय नियमावली, खण्ड-1 के सुसंगत नियम।

अनुभाग 2—भविष्य निधियाँ।

350. भविष्य निधि अभिव्यक्ति, भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19), यथा संशोधित, के अभिप्राय के अंतर्गत उन सभी "भविष्य निधियों" पर पूर्णतया लागू होगी जो सरकारी सेवकों के लाभ के लिये गठित की गई हो। ऐसी निधि में अंशदानों की वसूली और उनसे निकासियों से सम्बन्धित प्रक्रिया पूर्णतया बिहार कोषागार संहिता के अध्याय 8 के अनुभाग 3 में अंतर्विष्ट क्रमशः भविष्य निधि नियमावली और सहायक अनुदेश के प्रावधानों के अनुसार विनियमित की जाएगी।

भविष्य निधि नियमावली के प्रावधानों का कानूनी पहलू "सरकारी भविष्य निधि नियमावली के स्पष्टीकारक ज्ञापन" जो विधि परामर्शियों के परामर्श से भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया है, के अंतर्गत निपटाया गया है। (परिशिष्ट 2) ज्ञापन, जैसा कि उसकी प्रस्तावना में कहा गया है, व्यापक नहीं है और वैसे आपवादिक स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जो ज्ञापन के अनुदेशों द्वारा आच्छादित नहीं होगी, किंतु साधारणतः यह विभिन्न भविष्य निधि नियमावलियों के अधीन उत्पन्न स्थितियों के निपटारे में लाभप्रद होगा।

351. बिहार कोषागार संहिता के नियम 524 में निर्देशित, निधि अनुसूचियों को ठीक तरह से तैयार करने के मद्देनजर कार्यालय-प्रधानों द्वारा निम्नांकित अनुदेशों का सावधानीपूर्वक अनुपालन करना होगा :

(i) प्रत्येक व्ययन कार्यालय में अनुसूची के फारम में प्रत्येक निधि के अभिदाताओं की सम्पूर्ण सूची संधारित की जायेगी।

(ii) प्रत्येक नया अभिदाता को इस सूची पर लाया जाएगा और उसके स्थानांतरण से उत्पन्न होनेवाला या अभिदान की दर, आदि में कोई भी पश्चातवर्ती परिवर्तन साफ-साफ उल्लिखित किये जाएंगे।

(iii) सिवा जहां कि सम्बन्धित निधि की नियमावली में अन्यथा उपबंधित हों, अभिदान के मासिक दरों में हर साल केवल पहली अप्रैल से, अर्थात्, अप्रैल में निकाला गया मार्च वास्ते वेतन के प्रभाव से, परिवर्तन अनुमतेय होगा।

टिप्पणी—अभिदाताओं को वित्तीय वर्ष के दौरान किसी समय एक बार अभिदान की दर बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी।

(iv) जब किसी अभिदाता की मृत्यु होगी, सेवा छोड़ेगा या किसी अन्य कार्यालय में स्थानांतरित किया जाएगा तब सूची में पूरे ब्यौरे सम्यक रूप से अभिलिखित किये जाएंगे।

(v) अभिदाता के अन्य कार्यालय में स्थानांतरण की स्थिति में, दोनों कार्यालयों की सूची में स्थानांतरण की आवश्यक टिप्पणी दर्ज की जाएगी।

(vi) वेतन विपत्र में संलग्न की जानेवाली मासिक अनुसूची इस सूची से तैयार की जाएगी और की गई वसूलियों से मेल खाती हुई होगी, और उसके बाद ही वह विपत्र भुगतान के लिए कोषागार को समर्पित किया जाएगा।

अनुभाग 3—सेवा और अन्य निधियाँ

भारतीय सिविल सेवा परिवार पेंशन निधि।

उच्च सेवा (भारत) परिवार पेंशन निधि।

भारतीय सिविल सेवा (गैर यूरोपियन सदस्य), भविष्य निधि, डाकघर बीमा निधि।

352. ऊपर में उल्लिखित की गई निधियों के सम्बन्ध में वसूलनीय अंशदान, अंशदाय आदि और देय पेंशन और अन्य लाभ क्रम से उन निधियों की नियमावली और बिहार कोषागार संहिता के अनुभाग 3, अध्याय 8 और नियम 522 में अंतर्विष्ट पूरक अनुदेशों के अनुसार विनियमित किए जाएंगे।

353. सिवा सरकार के विशेष आदेश के परिवार पेंशन या सरकार के अधीन स्थानांतरित अन्य निधि के प्रति अभिदान नकद में अथवा वेतन या पेंशन विपत्र से कटौती द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकेगा (बिहार कोषागार संहिता का नियम 523 देखें)।

टिप्पणी—यह स्पष्ट रूप से समझ लेना अनिवार्य है कि सामान्य परिवार पेंशन निधि, हिन्दू परिवार वार्षिकी निधि और बंगाल इसाई परिवार पेंशन निधि के मामले में सरकार उन निधियों के प्रबन्धन पर किसी तरह का अधीक्षण का प्रयोग नहीं करती है और उनकी शोध क्षमता के लिये किसी तरह उत्तरदायी नहीं है।

354. कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार को प्रत्येक महीना के नकद लेखा के साथ प्रत्येक निधि की ओर से नकद में वसूले गये अभिदानों की विस्तृत सूची दी जाएगी जिसमें प्रत्येक प्राप्ति की तिथि और राशि तथा उस व्यक्ति का नाम जिसकी ओर से भुगतान किया गया है दर्शित रहेंगे। यह सूची कोषागार में संधारित पंजी की नकल होगी।

355. सरकारी बही पर इन निधियों के जमा-लेखाओं में वैसे दरों पर और वैसे अन्तरालों पर ब्याज आकलित किये जायेंगे जैसे हर मामला में सरकार द्वारा विहित किये जायेंगे।

टिप्पणी—सिवा बंगाल अप्रसंविदाकृत सेवा परिवार पेंशन निधि के मामले में, वेतन-विपत्र से कटौती द्वारा दिया गया अभिदान और नकद में दिया गया अभिदान के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर किया गया है कि महीना की 4थी के बाद प्राप्त किया गया नकद अभिदान पर अदायगी का महीना वास्ते कोई ब्याज देय नहीं होगा, जबकि विपत्र से कटौती किया गया अभिदान पर ब्याज देय होगा मानो वह महीना की 1ली को प्राप्त हुआ हो। [बिहार वित्तीय नियमावली भाग 1 के नियम 350 से 355 समाप्त]

परिशिष्ट 2

बिहार कोषागार संहिता, खंड–1,
के सुसंगत नियम भविष्य और अन्य निधियां

अंशदानों आदि की वसूली

520. सरकार की सेवा (निधि) या सरकार की भविष्य निधि में वैसे सरकारी सेवकों से जो निधि के नियमों द्वारा उसमें अंशदान करनेवाले अपेक्षित या अनुमत किये गये हैं, अंशदान प्राप्त किया जा सकता है, जिसके लिए साधारणतः सम्बद्ध सरकारी सेवकों के वेतन-विपत्रों से कटौतियों द्वारा वसूलियां की जाएंगी।

यह देखना अंशदाता का स्वीय उत्तरदायित्व होगा कि उसके विपत्रों से समुचित कटौती की जाती है, यद्यपि उसकी सुविधा के लिए नियम 227 में यह प्रावधान किया गया है कि नियमित और सही रूप से आवश्यक कटौतियां करने का उत्तरदायित्व विपत्र निकासी कर्त्ता पर न्यागत होगा।

521. डाकघर बीमा निधि को प्रीमियम या अंशदान, निधि के नियमों के अनुसार, अंशदाताओं के वेतन विपत्रों से कटौती द्वारा या नकद-राशि से वसूल किया जा सकेगा। किसी भी परिस्थिति में उक्त प्रीमियम या अंशदान कोषागार में नहीं प्राप्त किया जाएगा, नकदी संदाय केवल डाकघरों में अनुमतेय होगा।

डाकघर बीमा निधि के अंशदाता जो सेवानिवृत्त हो गए हैं और जिनको पेंशन भारत में दी जाती है, को पेंशन-विपत्रों से प्रीमियम या अंशदान करवाने का विकल्प स्वीकृत किया जा सकेगा। पेंशन संदाय के लिए पेंशन-संदाय आदेश या अन्य प्राधिकार निर्गत करनेवाला महालेखाकार उन मामलों में, यथास्थिति, पेंशन-संदाय आदेश या अन्य प्राधिकार से मासिक कटौती की राशि दर्ज करेगा। तथापि बीमित व्यक्ति पेंशन विपत्र से काटी जानेवाली सही राशि की प्रविष्टि के लिए स्वयमेव उत्तरदायी होगा, और यदि किसी समय ऐसा करने में विफल होगा तो उसके लिए छूट होगी कि वह उक्त राशि को डाकघर में भुगतान करे।

[समीक्षा, नियम 521—डाकघर जीवन बीमा प्रीमियम के मामलों में अनुसूची के माध्यम से वेतन-विपत्रों से कटौतियां की जाती हैं उन पेंशन भोगियों के मामले में, जिन्हें अब भी डाकघर जीवन बीमा निधि में अभिदान करना पड़ता हो, पेंशन की राशि से वसूली की जाएगी। किंतु सही वसूली का उत्तरदायित्व सम्बद्ध व्यक्ति पर होगा।

522. इंडियन सिविल सर्विस तथा उच्च सेवा (भारत) पारिवारिक पेंशन निधियों के सम्बन्ध में देय अंशदान, अंशदाय, आदि महालेखाकार द्वारा संसूचित दरों पर अंशदाताओं के वेतन-विपत्रों से कटौती द्वारा या कोषागार में नकद राशि के रूप में निविदत्त करके वसूले जा सकेंगे।

टिप्पणी—कोषागार और अन्य व्ययन पदाधिकारियों को सम्बद्ध सरकारी सेवकों के वेतन संदाय के लिए प्रविष्ट करते समय इस नियम में उल्लिखित निधियों के सम्बन्ध में कटौतियों की जांच करना अनिवार्य होगा।

523. (1) निम्न विनिर्दिष्ट निधियों को किया गया अंशदान केवल, महालेखाकार के माध्यम से प्राप्त, उक्त निधियों के प्राधिकारियों के विशेष अनुदेशों के तहत, कोषागार से प्राप्त किया जा सकेगा—

बंगाल अप्रसंविदाकृत सेवा परिवार पेंशन निधि।
सरकारी सेवकों के बंबई परिवार पेंशन निधि।
बंगाल और मद्रास सेवा परिवार पेंशन निधि।
सामान्य परिवार पेंशन निधि।
बंगाल इसाई परिवार पेंशन निधि।

(2) सरकार से अपना वेतन या पेंशन निकालने वाले अंशदाताओं के मामले में, उनके वेतन या पेंशन विपत्रों से कटौतियों द्वारा अंशदान वसूलनीय होगा, सिवा सामान्य परिवार पेंशन निधि, हिन्दु परिवार

वार्षिकी निधि और बंगाल इसाई पेंशन निधि के जिनमें अंशदाताओं के इच्छानुसार, नगदराशि के रूप में या तो सीधे उक्त निधि के प्राधिकारियों या कोषागार को दिया जा सकेगा।

टिप्पणी—बंगाल और मद्रास सेवा परिवार पेंशन निधि वास्ते कोषागारों में अंशदान तभी लिये जा सकेंगे जब महालेखाकार, बंगाल, इसकी अनुमति देगा।

524. जिन मामलों में निकासियों की राशि वापसी समेत, अंशदान वेतन-विपत्रों से कटौती द्वारा संदाय किया जाता है, उनमें अंशदाता द्वारा आवश्यक ब्यौरे प्रविष्ट किये जाएंगे—यदि वह अपना वेतन स्वयं निकालता है, या अन्य स्थिति में—कार्यालय प्रधान द्वारा प्रविष्ट किया जायगा को० सं० फारम 70 ए, 71 या 72 में से किसी एक में पृथक् अनुसूची में, जो सम्बन्धित निधि की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त होगा और इस प्रकार सम्पन्न किये गये फारम वेतन-विपत्र में संलग्न किये जायेंगे। यदि अंशदान नकद संदाय किया जाता है तो, यथास्थिति, पॉलिसी की लेखा-संख्या और अन्य सारे ब्यौरे दिया जाना अनिवार्य होगा। उन सभी मामलों में, जिनमें अंशदान प्रथम बार दिया जाता हो, नियम या विशेष प्राधिकार भी जिसके तहत अंशदान प्राप्त किया जा सकेगा; फारम में, या नगद संदायों की स्थिति में, ब्यौरे के पृथक दस्तावेज में, उद्धृत किया जाएगा।

525. उन मामलों में, जिनमें अंशदान वेतन की दर पर प्रतिशतता में है, अंशदाता, यदि 1ली जनवरी, 1922 से प्रभावी नये नियमों के तहत विदेश सेवा में है तो विदेश-सेवा में उसके द्वारा निकाले गए वेतन पर अंशदान करेगा, किन्तु यदि उक्त विदेश सेवा पुराने नियमों के तहत है जो 1ली जनवरी, 1922 के पहले प्रभावी थे तो प्रथम प्रकार की विदेश सेवा के मामले में "कल्पित वेतन" पर और दूसरे प्रकार की विदेश सेवा के मामले में "वास्तविक मंजूर किया गया वेतन" पर अंशदान की गणना की जाएगी।

526. यदि किसी निधि के अंशदाता का, जिसका अंशदान वेतन-विपत्र से कटौती द्वारा वसूला जाता है, स्थानांतरण अन्य जिला या अंकेक्षण अंचल में हो जाएगा, तो इस बात का उल्लेख कि वह निधि में अंशदान कर रहा है, उसके अंतिम वेतन प्रमाण पत्र में किया जाएगा कि उसकी मासिक अंशदान राशि कितनी है और उसकी लेखा या पॉलिसी संख्या क्या है।

टिप्पणी—जब डाकघर बीमा निधि का अंशदाता का स्थानांतरण अन्य अंकेक्षण-अंचल में हो जाएगा तो स्थानीय महालेखाकार के माध्यम से नया अंकेक्षण-अंचल के महालेखाकार को उप-महालेखाकार, डाक एवं तार, कलकत्ता को भी स्थानांतरण की सूचना दी जाएगी।

527. कोषागार पदाधिकारी द्वारा नगद राशि लेखा के साथ प्रत्येक प्राप्ति की राशि और तिथि दर्शित करती प्रत्येक निधि के प्रति नगद राशि में वसूले गए अंशदान और उस व्यक्ति का नाम जिसकी ओर से वह संदत्त हुआ है, की विस्तृत सूची समर्पित की जाएगी। उक्त सूची कोषागार में संधारित की गई पंजी की प्रतिलिपि होगी।

निकासियां

भविष्य निधि

528. (1) (क) भविष्य निधि से अग्रिम, यदि निधि के नियमों के तहत अनुमतेय है, राजपत्रित सरकारी सेवक द्वारा सामान्य वेतन विपत्र फारम पर निकाला जा सकेगा, विपत्र को अग्रिम की मंजूरी आदेश की विधिवत प्रमाणित प्रति द्वारा समर्थित किया जाएगा। अराजपत्रित सेवक के मामले में, अग्रिम यदि अनुमतेय है, ठीक वेतन जैसा तरीका से ही निकाला और वितरित किया जा सकेगा, विपत्र को कार्यालय प्रधान द्वारा विधिवत् अभिप्रमाणित मंजूरी की प्रति द्वारा समर्थित किया जाएगा।

(ख) उन मामलों में जिनमें कार्यालय प्रधान द्वारा राशि निकाली और वितरित की जाती है, वितरण के यथासंभव शीघ्र बाद महालेखाकार को निम्नांकित फारम में वितरण प्रमाण पत्र दिया जाएगा :—

"मैंने अपना समाधान कर लिया है कि विपत्र सं० ... ... दिनांक ... ... पर श्री ... ... के भविष्य निधि लेखा से ... ... भविष्य निधि नियमावली के नियम ..

. ... के तहत निकाली गई ... ... रू० की राशि तत्सुतः श्री ... ... को दिनांक ... ... को वितरित कर दी गई और मेरे कार्यालय में संधारित भरपाई बही में प्राप्ति की रसीद ले ली गई।"

महालेखाकार के पूर्व प्राधिकार के बिना अग्रिम मंजूर करनेवाला सरकारी सेवक के प्राधिकार और दायित्व पर संदाय किया जा सकेगा, बशर्ते कि विपत्र निम्नांकित उप-नियम (2) (क) में निर्धारित किया गया प्रमाणपत्र द्वारा समर्थित हो कि उक्त अग्रिम सम्बन्धित सरकारी सेवक के जमा-अतिशेष से आच्छादित है।

(2) (क) जीवन बीमा पॉलिसियों के प्रति संदाय या परिवार पेंशन निधि को अंशदान को पूरा करने के लिये, यदि निधि के नियमों के तहत अनुमतेय हो, निधि से निकासियां, जैसा और जब कार्यालय प्रधानों द्वारा अपने अधीनस्थ के लिए अपेक्षित हो, बिना महालेखाकार के पूर्व निर्देश के, उनके अपने प्राधिकार और दायित्व पर की जा सकेगी।

राजपत्रित सरकारी सेवक भी अपनी पॉलिसियों, आदि के लिए आवश्यक राशि उसी तरह और उन्हीं तरह की स्थितियों के अन्दर निकाल सकेंगे। विपत्र प्रकीर्ण विपत्र फारम (को० सं० फारम 76) में तैयार किया जाएगा और विपत्र पर उक्त पॉलिसी या पॉलिसियों, जिसके या जिनके लिए प्रीमियम या अंशदान भुगतान किया जाना है, के ब्यौरे उल्लिखित किये जाएंगे।

सभी मामलों में यह देखने का दायित्व निकासी पदाधिकारी पर होगा कि अधिक निकासी नहीं है, और कोषागार या किसी अन्य वितरण कार्यालय में प्रस्तुत किया गया विपत्र पर उसके द्वारा निम्नलिखित फारम में प्रमाणपत्र अभिलिखित किया जाएगा–

"प्रमाणित किया जाता है कि निकासी की तिथि को $\frac{\text{मेरे जमा}}{\text{अंश दाता के जमा}}$ में अतिशेष इस विपत्र पर निकाली गई राशि को आच्छादित करता है।"

(ख) विपत्र, जिसमें प्रथम प्रीमियम निकाला जाएगा, में इस आशय का एक अतिरिक्त प्रमाणपत्र का रहना अनिवार्य होगा कि पॉलिसी के ब्यौरे महालेखाकार को संसूचित और उनके द्वारा स्वीकृत किये गये हैं।

टिप्पणी–पानेवाले की रसीद, आवश्यकतानुसार स्टाम्पयुक्त, विपत्र पर रहेगी और कोषागार पदाधिकारी भुगतान नहीं करेगा यदि विपत्र पर रसीद नहीं होगी।

(3) इस नियम में यथोपबंधित को छोड़कर, महालेखाकार के स्पष्ट प्राधिकार के बिना भविष्य निधि मद्दे कोई संदाय, चाहे अधि संदत्त अंशदान की वापसी के रूप में या अंशदाता के जमा में संगृहीत राशि के समस्त या भाग की वापसी के रूप में नहीं किया जाएगा।

[समीक्षा, नियम 523—भविष्य निधि से अग्रिम का विनियमन सामान्य भविष्य निधि नियमावली के नियम 15 द्वारा किया जाता है। जोखिम से बचने वास्ते निर्धारित आवश्यक प्रमाण-पत्र अभिलिखित करना होगा।]

529. (1) जब भविष्य निधि का अंशदाता सेवा-निवृत्त होने को रहेगा और उसके खाता पर निधि में रहनेवाली धनराशि, निधि के नियमानुसार, उसे देय हो जाएगी तो वह उस महालेखाकार से पत्राचार स्थापित करेगा, जिसके द्वारा उसका निधि लेखा संधारित किया गया है, और उसे अपनी सेवा-निवृत्ति की तिथि बतलाते हुए अनुरोध करेगा कि उसका लेखाबन्द करने की कार्रवाई की जाए और उसकी बाकी राशि भुगतान कर दी जाए। महालेखाकार उक्त दावा की सत्यता के बारे में अपना समाधान करने के पश्चात और यह सुनिश्चित करने के बाद कि किस तिथि तक अंशदान किया गया है, निधि लेखा में अंशदाता के साख मद्दे राशि के भुगतान वास्ते व्यवस्था करेगा।

(2) उस नियम में विहित की गई प्रक्रिया उन सभी मामलों में आवश्यक परिवर्त्तनों के साथ लागू

होगी जिनमें किसी अंशदाता के साख में उसकी भविष्य निधि राशि उसे अंतिम रूप से सेवा छोड़ने के कारण देय हो जाएगी चाहे इस्तीफा, बर्खास्तगी या मृत्यु ही कारण क्यों न हो।

अतएव इस बात की सूचना तत्काल महालेखाकार को दी जानी चाहिए कि अंशदाता का निधि-लेखा बन्द किया जाए और अंतिम भुगतान की व्यवस्था की जाए। अंतिम निकासी के लिए आवेदनपत्र को० सं० फारम 73 में किया जाएगा और उसमें दिये गये अनुदेशों को अत्यंत सावधानीपूर्वक अनुपालन किया जाएगा क्योंकि किसी एक बिन्दु पर भी जानकारी का अभाव लेखा कार्यालय को भुगतान प्राधिकृत करना असंभव कर देगा।

530. किसी भविष्य निधि मद्दे अंतिम भुगतान प्राधिकृत किये जाने के पश्चात्, केवल अंशदाता की वैयक्तिक रसीद पर या, यदि वह भारत से बाहर होने की वजह से अनुपस्थित हो, उसके विधिवत् प्राधिकृत अभिकर्त्ता की रसीद पर किया जा सकता है। तथापि, नियम 250 में विहित की गई रीति से, यदि अंशदाता चाहे, प्राधिकृत बैंकर को भुगतान किया जा सकता है। भुगतान होने से पहले उसकी मृत्यु हो जाने पर भुगतान केवल उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को किया जा सकता है जो सम्बन्धित निधि के नियमों और उन अनुषंगी अनुदेशों, जो सरकार द्वारा इस निमित्त निर्गत किये जा सकेंगे, के तहत भुगतान प्राप्त करने के लिये प्राधिकृत किया जाएगा या किए जाएंगे।

डाकघर बीमा निधि

531. डाकघर बीमा निधि के सम्बन्ध में भुगतान उक्त निधि के नियमों में निर्धारित की गई प्रक्रिया के सर्वथा अनुसार किया जाएगा। [बिहार कोषागार संहिता, खण्ड-1 के नियम 520 से 531 समाप्त]

प्रथम अनुसूची

[नियम 8(2) एवं (4)]

नाम निर्देशन का फारम जब अभिदाता को परिवार हो।

मैं एतद् द्वारा निम्नांकित व्यक्ति/ व्यक्तियों को, जो बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली के नियम (2)(i) (ग) में यथा परिभाषित मेरे परिवार का सदस्य है/ के सदस्य हैं' को सामान्य भविष्य निधि में मेरे खाता पर रहनेवाली राशि को, उक्त राशि के देय होने से पहले मेरी मृत्यु की स्थिति में अथवा देय हो चुकने पर नहीं संदत्त हुई स्थिति में, प्राप्त करने के लिए नाम निर्देशित करता हूँ (और निदेश देता हूँ कि उक्त राशि उक्त व्यक्तियों में उनके नाम के सामने नीचे दी गई रीति से वितरित की जाएगी)।

नाम निर्देशिती या नाम निर्देशितियों के नाम और पता	अभिदाता के साथ रिश्ता	नाम निर्देशिती की आयु	संचित राशि में हिस्सा	यदि नाम निर्देशिती अवयस्क हो तो उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों के नाम और पता जिसे या जिन्हें उसकी ओर से भुगतान किया जायगा	स्तंभ 5 में दर्ज व्यक्ति का लिंग और माता-पिता का नाम
1	2	3	4	5	6